रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 1987/आश्विन 11 1909
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 1987/ASVINA 11 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

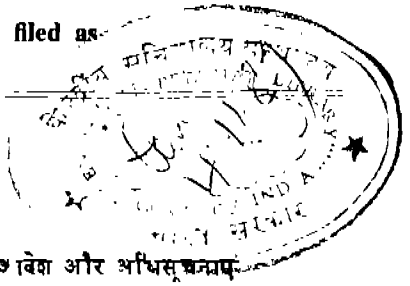

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987

सूचना

का. आ. 2629.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एन. आर. बसंतानि, एजवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जुही गौसाला (कानपुर) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(51)/87-न्याय]
आर. एन. पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 17th September, 1987

NOTICE

S.O. 2629.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri N. R. Basantani Advocate for appointment as a Notary to practise in Juhi, Gaushala (Kanpur).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(51)/87-Judl.]
R. N. PODDAR, Competent Authority

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1987

आदेश

का. आ. 2630.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की

धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कटनी में अम्ल फेंकने की घटना से संबंधित मामले की बाबत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दण्डनीय अपराध और जबलपुर जिले के कटनी पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत अपराध सं. 396/86 के बारे में उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए उक्त अपराध और किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर करती है ।

[संख्या 228/17/87-ए. वी. डी. (II)]
जी. सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 15th September, 1987

ORDER

S.O. 2630.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of the State of Madhya Pradesh, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Madhya Pradesh for the investigation of the offence punishable under section 307 of the Indian Penal Code (45 of 1860), in the case relating to acid throwing incident at Katni and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offence and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to crime No. 396/86 registered at Police Station, Katni in the district of Jabalpur.

[No. 228/17/87-AVD. II]
G. SITARAMAN, Under Secy.

New Delhi, the 18th September, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 2631.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) No. S.O. 1751, published at page 2375 in the Gazette of India Part II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 11th July, 1987, in the ninth line, for "Shri S. C. Santant" read "Shri S. C. Samant".

[No. 225/4/87-AVD.II]
G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1987

आय-कर

का. आ. 2632 .—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 2-5-1984 की अधिसूचना सं. 5784 (फा. सं. 398/9/84-आ.क.(ब.) [का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री बी. एस. बड़ाडे, को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

यह अधिसूचना श्री बी. एस. बड़ाडे द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 7433 /फा. सं. 398/24/87-आ.क.(ब.)]

MINISTRY OF FINANCE

New Delhi, the 21st July, 1987

(Department of Revenue)

INCOME-TAX

S.O. 2632.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5784 [F. No. 398/9/84-IT(B)] dated the 2-5-1984, the Central Government hereby authorises Shri B. S. Bodade, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B. S. Bodade takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7433 /F. No. 398/24/87-IT(B)]

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1987

आयकर

का. आ. 1663 .—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं का अधिलंघन/आंशिक संशोधन करते हुए स्तम्भ (3) में उल्लिखित कर वसूली अधिकारियों के स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है :—

क्रम सं.	उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाना है	उन कर वसूली अधिकारियों के नाम जिनके स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना है	उस पुरानी अधिसूचना की संख्या और तारीख जिसका अधिलंघन/आंशिक संशोधन किया जाना है
1	2	3	4
	सर्वश्री	सर्वश्री	
1.	काशीनाथ मजूमदार	अशोक कुमार गोलदार	6383 दिनांक 23-8-85 (फा. सं. 398/23/85-आ.क.ब.)

1	2	3	4
	सर्वश्री	सर्वश्री	
			6383 दिनांक 23-8-85
2.	सुधांशु शेखर घोष	दीप्तिमय बोस	(फा सं 398/23/85
3.	सैयद नवाजिज रहमान	सचिन्द्र एन. हलदर	आ० क० ब०)
4.	नीलमणि दत्त	एन. एम. चौधरी	—तदैव—
5.	भूतनाथ मुखर्जी	गौड हरिघोष	—तदैव—
6.	भवानी प्रसाद चक्रवर्ती	शान्ति रत्न भट्टाचार्जी	—तदैव—
7.	दिलीप कुमार दासगुप्ता	श्याम सुन्दर घोष	—तदैव—
8.	नेताई के. बैनर्जी	शिशिर रत्न घोष रॉय	—तदैव—
9.	नेताई च. साहू	असित कुमार बैनर्जी	—तदैव—
10.	प्रफुल्ल कुमार दास (नं.-II)	सत्य व्रत सिन्हा रॉय	—तदैव—
11.	अमल कुमार मण्डल	श्रीमती प्रतिमा दास	—तदैव—
12.	निहार रत्न बाग	मिलन कुमार चक्रवर्ती	—तदैव—
13.	बालाचन्द्र मैत्रा	समरेन्द्र एन. मैत्रा	—तदैव—
14.	राम सरन सरकार	तपन कुमार मुखर्जी	—तदैव—
15.	हिमांशु बी. नाग	तपन च. बोस	—तदैव—
16.	रंजीत कुमार सेठ	शैलेन्द्र के. मुखर्जी	—तदैव—
17.	हरीपादा चटर्जी	कार्तिक च. आर्य	—तदैव—
18.	निधुराम भट्टाचार्जी	स्वप्न कुमार मुक्ति	6823 दि. 21-7-86 (फा. सं. 398/18/86-आ.क.ब.)

2. यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी तथा जहां तक स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है, कर वसूली अधिकारियों के रूप में उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 7460 /फा. सं. 398/25/87-आ. क. (ब.)]

New Delhi, the 10th August, 1987

Income-Tax

S.O. 2633 :—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the persons mentioned below column 2, being the Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in column 3 in supersession /partial modification of the Notifications mentioned below in column 4 :

Sl. No.	Name of the persons to be authorised to exercise powers of Tax Recovery Officers	Name of Tax Recovery officers in place of whom the persons mentioned in column 2 are to be authorised	Old Notification No. and date to be superseded/ partially modified
(1)	(2)	(3)	(4)
	S/Shri	S/Shri	
1.	Kashi Nath Majumdar	Ashok Kumar Goldar	6383 dt. 23-8-85 [F.No. 398/23/85-IT (B)]
2.	Sudhangshu Sekhar Ghosh	Diptimoy Bose	-do-
3.	Sayed Newazes Rahman	Sachindra N. Haldar	-do-
4.	Nilmoni Dutta	N.M. Chaudhury	-do-
5.	Bhutnath Mukherjee	Gour Hari Ghosh	-do-
6.	Bhabani Pr. Chakraborty	Santi Rn. Bhattacharjee	-do-
7.	Dilip Kumar Dasgupta	Shyam Sundar Ghosh	-do-
8.	Netai K. Banerjee	Sisir Rn. Ghosh Roy	-do-
9.	Netai Ch. Saha	Asit Kr. Banerjee	-do-
10.	Prafulla Kr. Das (No. II)	Satya Brata Sinha Roy	-do-
11.	Amal Kr. Mondal	Smt. Pratima Das	-do-
12.	Nihar Rn. Bag	Milan Kr. Chakraborty	-do-
13.	Kalachand Maitra	Samarendra N. Maitra	-do-
14.	Ram Saran Sarkar	Tapan Kr. Mukherjee	-do-
15.	Himangshu B. Nag	Tapan Ch. Bose	-do-
16.	Ranjit Kr. Seth	Sailendra K. Mukherjee	-do-
17.	Haripada Chatterjee	Kartick Ch. Arraya	-do-

1	3	4
18. Nidhuram Bhattacharjee	Swapan Kr. Mukhuty	6823 dt. 21-7 86 [F. No. 398/18/86 IT (B)]

2. This notification shall come into force with immediate effect and in so far as persons mentioned in Column 2 from the dates they take over charge as Tax Recovery Officers.

[No. 7460 (F. No. 398/25/87-IT (B)]

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

का.आ. 2634.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री के. सी. गोयल को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री के.सी. गोयल द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभा ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 7467 (फा. सं. 398/15/87-आ.क.(ब.)]

New Delhi, the 12th August, 1987

S.O. 2634.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorise Shri K. D. Goel being a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri K. C. Goel takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7467 (F. No. 398/15/87-IT(B)]

का.आ 2635.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 21-5-1984 की अधिसूचना संख्या 5814 [फा. सं. 398/14/84-आ.क.(ब)] का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी श्री जी.पी. घोरे को कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री जी.पी. घोरे द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 7465 (फा/.सं. 398/15/87-आ.क.(ब)]

बी. ई अलैक्जैंडर, अवर सचिव

S.O. 2635.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5814 (F. No. 398/14/84-IT(B) dated the 21-5-1984, the Central Government hereby authorise Shri G. P. Ghore, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri G. P. Ghore takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7465 (F. No. 398/15/87-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1987

आयकर

का.आ. 2636.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ळ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "एरुलमिगु माडियार्जु-नेश्वरास्वामी टैम्पल पेटैवैथालै" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ समस्त तमिलनाडु राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 7459 (फा.सं. 176/51/87-आ.क.(नि.-1)]

दलाप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी

New Delhi, the 10th August, 1987

INCOME TAX

S.O. 2636.—In exercise of the poers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 80G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Arulmigu Madarjuneswaraswamy Temple, Pettaivaithalai", to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purpose of the said Section.

[No. 7459 (F. No. 176/51/87-IT(AI)]

DALIP SINGH, Officer on Special Duty

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1987

(आयकर)

का.आ. 2637.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "द मक्का मस्जिद सोसायटी, हैदराबाद" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 7474(फा.सं. 197/83/84-आ.क.(नि०-1)]

New Delhi, the 12th August, 1987

INCOME TAX

S.O. 2637.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Mecca Masjid Society, Hyderabad" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1988-89.

[No. 7474 (F. No. 197/83/84-IT(AI)]

का.आ. 2638.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "बाला मन्दिर कामराज ट्रस्ट, मद्रास" को कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 7473 (फा. सं. 197/144/87-आ.क. (नि.-1)]

S.O. 2638.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bala Mandir Kamaraj Trust, Madras" for the purpose of the said clause for the assessment years 1987-88 and 1988-89.

[No. 7473 (F. No. 197|144|87-IT(AI)]

का.आ. 2639.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड V द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "मिशनरी इवांजेलिस्म सोसायटी, कोल्हापुर" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 7472(फा.सं. 197-क/241/82-आ.क 2(नि.-1)]

S.O. 2639.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Missionary Evagelism Society, Kolhapur" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1988-89.

[No. 7472/F. No. 197-A/241/82-IT(AI)]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

का.आ. 2640.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126, 121-क तथा 122 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बंध में इसे सक्षम बनाने के लिए अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक 6 फरवरी, 1986 की अपनी अधिसूचना सं. 6587 [फा. सं. 187/1/86-आ.क. नि.-1] में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

2. क्रम सं. 2 की प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :—

> बशर्ते कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता का कोई आयकर अधिकारी, विदेश अनुभाग/परिमण्डल, भी ऐसे कर्मचारियों के सम्बंध में आयकर आयुक्त अधिकारी, 1961 की धारा 230(1) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य भी कर सकता है ।

यह अधिसूचना दिनांक 15-8-1987 से लागू होगी ।

[सं. 7464(फा.सं. 187/1/86-आ.क. (नि.-1)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

S.O. 2640.—In exercise of the powers conferred under Section 126, 121-A and 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in this behalf the Central Board of Direct Taxes makes the following amendment to its notification No. 6587 (F. No. 187|1|86-IT(AI) dated the 6th February, 1986.

2. The following Proviso will be added at the end of the entry at Serial No. 2 :—

> Provided that any Income-tax Officer, Foreign Section| Circle at Bombay, Madras and Calcutta may also perform the function of issuing certificates under Section 230(1) of the Income Tax Act, 1961 in respect of such employees.

This notification shall take effect from 15-8-1987.

[No. 7464 (F. No. 187|1|86-IT(AI)]

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1987

का.आ. 2641.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1987 की अपनी अधिसूचना सं. 7206 [फा. सं. 187/3/87-आ.क.नि.-1] के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

क्रम सं. 11-ग के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

आयकर आयुक्त प्रधान कार्यालय		क्षेत्राधिकार
1	2	3
11-ग	कानपुर केन्द्रीय कानपुर	1. केन्द्रीय परिमण्डल I से VI कानपुर I 2. केन्द्रीय परिमण्डल I, II तथा III 3. केन्द्रीय परिमण्डल, बरेली । 4. निरीक्षी सहायक आयुक्त (क.नि.) केन्द्रीय-1, लखनऊ । 5. नि.स.आ. (क. नि.) केन्द्रीय-II, लखनऊ । 6. केन्द्रीय परिमण्डल, इलाहाबाद । 7. नि. स. आ. (क. नि.) केन्द्रीय, इलाहाबाद । 8. केन्द्रीय परिमण्डल-I तथा II, वाराणसी । 9. नि. स. आ. (क. नि.) केन्द्रीय, वाराणसी । 10. केन्द्रीय परिमण्डल, गोरखपुर ।

यह अधिसूचना दिनांक 16-4-1987 से लागू होगी ।

[सं. 7484(फा. सं. 187/3/87-आ.क. (नि.-1)]

New Delhi, the 21st August, 1987

S.O. 2641—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 121 of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule appended to its Notification No. 7206 [F. No. 187/3/87-IT(A1)] dated 27th March, 1987.

Existing entries under Column (1), (2) & (3) against serial No. 11C shall be substituted by the following entries:—

Commissioner of Income-tax	Head-quarters	Jurisdiction
1	2	3
11C. Kanpur Central	Kanpur	1. Central Circles I to VI Kanpur. 2. Central Circles I, II & III, Lucknow 3. Central Circle, Bareilly. 4. IAC (Asstt.) Central-I, Lucknow. 5. IAC (Asstt.) Central-II, Lucknow. 6. Central Circle, Allahabad. 7. IAC (Asstt) Central Allahabad. 8. Central Circle I & II, Varanasi. 9. IAC (Asstt) Central, Varanasi. 10. Central Circle, Gorakhpur.

This notification shall take effect from 16-4-1987.

[No. 7484 (F. No. 187/3/87-ITA. (1)]

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1987

शुद्धि-पत्र

आयकर

का. आ. 2642 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक 1-10-1986 की अपनी अधिसूचना सं. 6946 में दी गई अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है। आयकर आयुक्त, कर्नाटक-II, बंगलौर के संबंध में क्रम सं. 12-क के सामने स्तम्भ 3 के नीचे तीसरी प्रविष्टि निम्न अनसार प्रतिस्थापित की जाएगी :—

के लिए	पढ़ा जाए
परिमण्डल-II, बंगलौर	परिमण्डल-III, बंगलौर

यह शुद्धिपत्र दिनांक 1-10-1986 से लागू होगा।

[सं. 7491 (फा. सं. 187/5/86-आ. क. नि.-1)]

रोशन सहाय, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 1987

CORRIGENDUM

(INCOME-TAX)

S.O. 2642.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes makes the following amendment in the Schedule appended to its notification No. 6946 dated 1-10-1986. The third entry under column 3 against Sl. No. 12A) relating to Commissioner of Income-tax, Karnataka-II, Bangalore) shall be substituted as under :—

For
Circle-II, Bangalore.
Read
Circle-III, Bangalore.

This corrigendum shall take effect from 1-10-1986.

[No. 7491/F. No. 187/5/86-ITA. (1)]

ROSHAN SAHAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 2643 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले केवल पचास करोड़ तिरानवे लाख रुपये के मूल्य के 11% आई. ई. सी. बंधपत्र-2001 (14वीं शृंखला) के रूप में विनिर्दिष्ट ऋणपत्रों के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं. 38/87-स्टम्प - फा. सं. 33/41/87-बि. क.]

बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

New Delhi, the 17th September, 1987

ORDER

STAMPS

S.O. 2643.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures described as 11 per cent REC Bonds-2001 (Fourteenth Series) of the value of rupes fifty crores and ninety three lakhs only to be issued by The Rural Electrification Corporation Ltd., New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 38/87-Stamps-F. No. 33/41/87-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1987

का. आ. 2644 :—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के खंड 8 के उपखंड (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित लोक संस्थान का नाम शामिल करती है, अर्थात् :—

"राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।"

सं. 4 (2)-संस्था. V/83-(II)]

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 14th September, 1987

NOTIFICATION

S.O. 2644.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 8 of the Provident Funds Act 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act the name of the following public institution, namely :—

"National Institute of Immunology, New Delhi."

[No. 4(2)-EV/83]

सा. आ. 2645 :—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के खंड 8 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उपर्युक्त अधिनियम के उपबंध राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान, संस्थान, नई दिल्ली, के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे।

[सं. 4 (2)-संस्था. V/83-(1)]

के. रतन, निदेशक

S.O. 2645.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the provident fund established for the benefit of the employees of the National Institute of Immunology, New Delhi.

[O. M. No. 4(2)-EV/83]

K. RATAN, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1987

का. आ. 2646 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निदेश देती है कि श्री अरविंद बासप्पा जत्ती, शिवानंद, 224, बेलारी रोड, बंगलौर, जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 18 सितम्बर, 1984 की अधिसूचना सं. एफ. 9/10/83-बी ओ-1, के तहत बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेशक नियुक्त किए गए थे, दिनांक 18 सितम्बर, 1987 से निदेशक नहीं रहेंगे।

[सं. एफ. 9/37/87—बी. ओ. I]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 15th September, 1987

S.O. 2646.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government is pleased to direct that Shri Arvind Basappa Jatti, 'Shivanand' 224, Bellary Road, Bangalore appointed as Director of the Bank of Maharashtra under notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), No. F. 9/10/83-BO. I dated 18th September, 1984 shall cease to hold the office of Director with effect from 18th September, 1987.

[No. F. 9/37/87-BO. I]

S. S. HASURKAR, Director

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987

का. आ. 2647 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (छ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे की सारणी के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक के सामने उसी सारणी के कालम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों के स्थान पर सारणी के कालम (1) में दिए गए राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

1	2	3
1. पंजाब नैशनल बैंक	कुमारी वी. विश्वनाथन, मुख्य अधिकारी, औद्योगिक एवं निर्यात ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बंबई।	श्री एम. एल. टी. फर्नांडिस
2. यूको बैंक	श्री ए. के. बोस, प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर	श्री ए. पी. अय्यर

[सं. एफ. 9/4/87—बी. ओ.-1]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 17th September, 1987

S.O. 2647.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints the persons

Specified in column 2 of the Table below as directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

TABLE

(1)	(2)	(3)
1. Punjab National Bank	Kumari V. Viswanathan, Chief Officer, Industrial and Export Credit Department, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay.	Shri M.L.T. Fernandes
2. UCO Bank	Shri A.K. Bose, Manager, Reserve Bank of India, Kanpur.	Shri A.P. Aiyer

[No. F. 9/4/87-BO.I]

M.S. SEETHARAMAN, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1987

आयकर

का. आ. 2648.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (iiख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ आवास विकास वित्त निगम निगम लि. बम्बई द्वारा जारी किए गए "आ. वि. वि. नि. 12.5 प्रतिशत बन्धपत्र 1997(क)" को विनिर्दिष्ट करती है ।

बशर्ते कि पृष्ठांकन अथवा वितरण द्वारा इस प्रकार के बन्ध पत्रों के अन्तरण के मामले में उक्त परन्तुक के अन्तर्गत लाभ केवल तब स्वीकार्य होगा यदि अन्तरिती पृष्ठांकन या वितरण द्वारा किए गए अन्तरण से 60 दिन की अवधि के अन्दर रजिस्टर्ड डाक द्वारा उक्त आवास विकास वित्त निगम को सूचित करें।

[सं. 7513 (फा. सं. 275/34/87-आ. क. (ब.))]

बा. नागराजन, निदेशक

(Department of Revenue)

New Delh, the 28th August, 1987

INCOME-TAX

S.O. 2648.—In exercise of the powers conferred by clause (iib) of the proviso to section 193 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the "HDFC—12.5 per cent Bonds 1997 (A)" issued by the Housing Development Finance Corporation Limited, Bombay for the purposes of the said clause;

Provided that the benefit under the said proviso shall be admissible in the case of transfer of such bonds by endorsement or delivery, only if the transferee informs the Housing Development Finance Corporation by registered post within a period of sixty days of the transfer by endorsement or delivery.

[No. 7513/F. No. 275/34/87-IT(B)]

B. NAGARAJAN, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1987

का० आ० 2649:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) उपबन्ध सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई पर, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध गिरवीदार के रूप में मेसर्स अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्स कं. लि. को 30 प्रतिशत से अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी की उसकी शेयर धारिता से है ।

[संख्या 15/12/87-बी. ओ.-III]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 14th September, 1987

S.O. 2649.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act, shall not apply to Central Bank of India, Bombay for a period of two years from the date of this notification in respect of its holding of shares in excess of 30 per cent of the paid up share capital of M/s. Ahmedabad Shri Ramakrishna Mills Co. Ltd. as pledgee.

[No. 15/12/87-B.O.III]

का आ 2650:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की उपधारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर 15 अगस्त, 1988 तक एक वर्ष का और अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध गिरवीदार के रूप में मेसर्स स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल्स प्राडक्टस कं प्रा. लि. को 30 प्रतिशत से अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी की उसकी धारिता से है ;

[संख्या 15/13/87-बी. ओ.-III]

एम. के. एम. कुट्टि, अवर सचिव

S.O. 2650.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to

the United Bank of India, Calcutta for a further period of one year i.e. upto the 15th August, 1988 insofar as they relate to its holding of shares of M/s. Sterling Pharmaceutical Product Co. Pvt. Ltd. in excess of 30 per cent of the paid up share capital of the Company as pledgee.

[No. 15/13/87-B.O.III]

M. K. M. KUTTY, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1987

आदेश

का. आ. 2651.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध उपाबंध में विनिर्दिष्ट नियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

उपाबंध में विनिर्दिष्ट नियमों में, निरीक्षण फीस से संबंधित उपबंध में, जहां कहीं यह आता है, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त में जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"टिप्पण:— निर्यातकर्ता द्वारा प्रत्येक परेषण के लिए देय निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णीकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में पैसों के रूप में रुपए का भाग है वहां यदि ऐसा भाग 50 पैसे या उससे अधिक है, वहां उसे एक रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग 50 पैसे से कम है तो उसे गिनती में नहीं लिया जाएगा।"

[फाइल सं 2/1/85-ई आई एण्ड ई पी]

उपाबंध

क्रम सं.	संक्षिप्त नाम	का. आ. संख्या	राजपत्र में प्रकाशित की तारीख
1	2	3	4
1.	डीजल इंजिन का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1967	3207	07-09-1967
2.	विद्युत चालित पम्प का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1967	3221	09-09-1967
3.	स्टील ट्रंक का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967	4455	14-12-1967
4.	लघु औजारों तथा दस्ती औजारों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1967	3412	20-09-1967
5.	विद्युत पंखों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1967	3215	07-09-1967
6.	विस्तारित धातु इस्पात की चद्दरों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967	4575	19-12-1967
7.	सिलाई की मशीनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1967	3211	07-09-1967
8.	साईकिलों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1967	4357	05-12-1967
9.	विद्युत केबिलों और चालकों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968	3493	27-09-1968
10.	स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967	372	27-01-1968
11.	स्टील ट्यूबों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970	2743	13-08-1970
12.	संचरण लाइन टावर का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1971	5577	25-12-1971
13.	ढले हुए लोहे के मैनहोल ढक्कनों तथा फ्रेमों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971	2155	28-05-1971
14.	ढले हुए लोहे के मलनाल तथा फिटिंग्स का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971	1916	06-05-1971
15.	आटोमोबाईल के पुर्जों, संघटकों तथा उपसाधनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973	459	17-02-1973
16.	चमकदार इस्पात की छड़ों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973	1622	09-06-1973
17.	इस्पात के तार के रस्सों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974	1990	10-08-1974
18.	घरेलू रेफ्रिजरेटरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1974	2351	14-09-1974
19.	वायु सम्पीडकों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974	2502	21-09-1974
20.	जल प्रशीतकों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974	2353	14-09-1974
21.	वातानुकूलकों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974	2355	16-10-1974
22.	लघु अभियान्त्रिक उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976	894	21-02-1976
23.	पाईप फिटिंग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977	62	01-01-1977

1	2	3	4
24.	ढले हुए लोहे से बने नालों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977	1270	30-04-1977
25.	विद्युत परिणामित्रों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977	2275	09-07-1977
26.	वाहनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978	3094	29-10-1978
27.	संचायक बैटरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978	1507	27-05-1978
28.	वैल्डिंग इलैक्ट्रोड का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978	1611	03-06-1978
29.	क्षणदीपों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978	2139	22-07-1978
30.	तामचीनी के बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978	2910	30-09-1978
31.	चांदी के पत्तर चढ़े बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978	719	11-03-1978
32.	औद्योगिक जंजीरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978	1659	10-0-1978
33.	कीलकों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978	1511	27-05-1978
34.	विद्युत लैम्प तथा ट्यूबों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978	1609	03-06-1978
35.	शुष्क बैटरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978	1607	03-06-1978
36.	इस्पात के तार की लड़ियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979	2125	23-06-1979
37.	जूट मिलों के पुर्जे तथा उपसाधनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1979	939	17-03-1979
38.	सफाई के बर्तनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980	2440	20-09-1980
39.	सफाई तथा जल फिटिंग्स का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980	2101	23-08-1980
40.	विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980	2554	27-09-1980
41.	प्रेशर कुकर का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1983	73	01-01-1983
42.	सेफ्टी रेजर ब्लेडों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983	4073	05-11-1983
43.	स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984	730	17-02-1984
44.	सेफ्टी माचिस का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984	1221(ए)	14-04-1984
45.	घरेलू विद्युत उपकरणों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984	3423 (ए)	03-11-1984
46.	गैस सिलेण्डरों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984	2868	10-09-1984
47.	खनिज और अयस्क ग्रुप-I का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965	3877	20-12-1965
48.	खनिज और अयस्क ग्रुप —II का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1965	3980	20-12-1965
49.	रबर की बर्फ की थैलियों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	2216	22-07-1966
50.	रबर की गर्म पानी की बोतलों का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1966	2459	16-08-1966
51.	अकार्बनिक वर्णकों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	2674	01-09-1966
52.	धुलाई के साबुन का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	1772	07-06-1966
53.	अकार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	1271	25-09-1966
54.	कार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	481	09-02-1966
55.	सुरक्षा कांच का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968	2837	21-09-1966
56.	रबर बैल्टों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	80	05-10-1967
57.	रबर की बैल्टिंग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	848	13-03-1967
58.	रबर के नम्यनाल का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967	1005	23-03-1967
59.	वैक्यूम फ्लास्कों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968	1617	07-05-1968

1	2	3	4
60.	लिनोलियम का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1968	3753	15-09-1969
61.	मृत्तिका उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969	2335	12-06-1969
62.	अबरक का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969	268	16-01-1969
63.	विन्यस्त फिल्म तथा चद्दरों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969	457	01-02-1969
64.	नाणीकोटमार तथा उनके निरूपणों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970	3311	07-10-1970
65.	वियतीय प्रयोजनों के लिए रबर दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973	158	13-01-1973
66.	सल्फयूरिक अम्ल का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973	2968	06-10-1973
67.	छपाई की स्याही का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974	1933	03-08-1974
68.	क्रीम वर्फ़क का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974	2429	21-09-1974
69.	मिट्टी के बने सफाई उपकरणों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977	1553	28-05-1977
70.	रोजिन का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978	576	25-02-1978
71.	पोर्सिलेन उष्मारोधी तथा बुर्शों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979	3757	17-11-1979
72.	क्षारकदार मिट्टी की टाईलों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980	359	16-02-198
73.	प्रगाधन साबुन का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980	1016	19-04-1980
74.	संश्लिष्ट अपमार्जक का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980	1024	19-04-1980
75.	पी. वी. सी. चमड़े के कपड़े का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1981	49	03-01-1981
76	अष्ट्रमैरान नील का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1981	92	10-01-1981
77.	संरक्षित अबरक का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983	2953	23-07-1983
78.	सीमेंट तथा कंकरीट की फर्श की टाईलों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1983	3000	30-07-1983
79.	सेफटी माचिस का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984	1221(ए)	28-03-1984
80.	उष्मसह ईंटों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	2266	14-06-1986
81.	साईकिल टायरों तथा साईकिल ट्यूबों का निर्यात, (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987	143	17-01-1987
82.	रंगलेप मेथा संबंद्ध उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987	309	07-02-1987
83.	काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987	1023	26-03-1966
84.	भुनी हुई तथा नमक लगी हुई काजू की गिरियों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977	276	21-01-1978
85.	काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और और निरीक्षण) नियम, 1986	783	01-03-1986
86.	काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986	905(ए)	10-12-1986
87.	मछली तथा मछली से बने उपत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977	4008	31-12-1977
88.	मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979	1890	06-06-1979
89.	मत्स्य चूर्ण का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1980	1150	26-04-1980
90.	डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983	863	12-02-1983
91.	सुखाए हुए शार्क के पंख तथा सुखाए हुए मछली के जबड़ों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985	3090	19-05-1985

1	2	3	4
92.	सूखी मछली का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1985	3332(ए)	20-07-1985
93.	जूट उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970	3396	14-10-1970
94.	जूट सूत तथा जूट सूतली का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1982	3619	23-10-1982
95.	दोहरे ताने वाले पटसन तिरपाल कपड़े तथा थेले, दोहरे ताने वाले पटसन कैन्वस कपड़े तथा थैले का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983	3270	20-08-1983
96.	कयर उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965	1892	15-06-1965
97.	कयर या सूत का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966	3134	23-09-1966
98.	बिना गांठ बंधे कयर सूत का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1972	1132	13-05-1972
99.	कयर मैटिंग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972	1387	03-06-1973
100.	जूतों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967	2385	17-07-1967
101.	मानवकेश का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1986	1976	17-05-1986
102.	कालीन का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और (निरीक्षण) नियम, 1973	1488	26-05-1972
103.	गम कराया का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1986	4136	13-12-1986
104.	बासमती चावल का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1980	1026	19-04-1980

[फा.सं. 2/1/85-ई.आई. एण्ड ई.पी.]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 26th September, 1987

ORDERS

S.O. 2651.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the rules specified in the Annexure annexed hereto namely :—

In the rules specified in the Annexure, in the provision relating to inspection fee, wherever it occers, the following entry, shall be added at the end, namely :—

"Note :—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored."

S. No.	Short Title	S.O. No.	Date of Publication in the official gazette
1	2	3	4
1.	The Export of Diesel Engines (Quality Control & Inspection) Rules, 1967	3207	07-09-1967
2.	The Export of Power Driven pumps (Quality Control and Inspection) Rules, 1967	3221	08-09-1967
3.	The Export of Steel Trun (Inspection) Rules, 1967	4455	14-12-1967
4.	The Export of Small Tools and Hand Tools (Quality Control & Inspection) Rules, 1967	3412	20-09-1967
5.	The Export of Electric Fans (Quality Control & Inspection) Rules, 1967	3215	07-09-1967
6.	The Export of Expanded Metal Steel Sheets (Inspection) Rules, 1967	4575	19-12-1967
7.	The Export of Sewing Machines (Quality Control and Inspection) Rules, 1967	3211	07-09-1967
8.	The Export of Bicycles (Quality Control & Inspection) Rules, 1967	4357	05-12-1967
9.	The Export of Electric Cables and Conductors (Inspection) Rules, 1968	3493	27-09-1968
10.	The Export of Stainless Steel Utensils (Inspection) Rules, 1967	372	27-01-1968
11.	The Export of Steel Tubes (Quality Control & Inspection) Rules, 1970	2743	13-08-1970
12.	The Export of Transmission Line Tower (Quality Control and Inspection) Rules, 1971	5577	25-12-1971
13.	The Export of Cast iron Manhole Cobers & Frames (Inspection) Rules 1971	2155	28-05-1971

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	The Export of Cast Iron Soil Pipes and Fittings (Inspection) Rules, 1971	1916	06-05-1971
15.	The Export of Automobile Spares, Components and Accessories (Quality Control & Inspection) Rules, 1973	459	17-02-1973
16.	The Export of Bright Steel Bars (Quality Control & Inspection) Rules, 1973	1622	09-06-1973
17.	The Export of Steel Wire Ropes (Quality Control Inspection) Rules, 1974	1990	10-08-1974
18.	The Export of Domestic Refrigerators (Quality Control & Inspection) Rules, 1974	2351	14-09-1974
19.	The Export of Air Compressors (Quality Control & Inspection) Rules, 1974	2502	21-09-1974
20.	The Esport of Water Coolers (Quality Control & Inspection) Rules, 1974	2353	14-09-1974
21.	The Export of Air Conditioners (Quality Control & Inspection) Rules, 1974	2355	14-10-1974
22.	The Export of Light Engineering Products (Inspection) Rules, 1976	894	21-02-1976
23.	The Export of Pipe Fittings (Inspection) Rules, 1977	62	01-01-1977
24.	The Export of Cast Iron Spun Pipes (Quality Control and Inspection) Rules, 1977	1270	30-04-1977
25.	The Export of Power Transformers (Quality Control & Inspection) Rules, 1977	2275	09-07-1977
26.	The Export of Valves (Inspection) Rules, 1978	3094	29-10-1978
27.	The Export of Storage Batteries (Quality Control & Inspection) Rules, 1978	1507	27-05-1978
28.	The Export of Welding Electrodes (Quality Control & Inspection) Rules, 1978	1611	03-06-1978
29.	The Export of Flash Lights (Inspection) Rules, 1978	2139	22-07-1978
30.	The Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1978	2910	30-09-1978
31.	The Export of Silver Plasted Wares (Inspection) Rules, 1978	719	11-03-1978
32.	The Export of Industrial Chains (Quality Control & Inspection) Rules, 1978	1659	10-06-1978
33.	The Export of Fasteners (Inspection) Rules, 1978	1511	27-05-1978
34.	The Export of Electric Lamps & Tubes (Quality Control & Inspection) Rules, 1978	1609	03-06-1978
35.	The Export of Dry Batteries (Quality Control & Inspection) Rules, 1978	1607	03-06-1978
36.	The Export of Steel Wire Strands (Quality Control & Inspection) Rules, 1979	2125	23-06-1979
37.	The Export of Jute Mills Spares and Accessories (Inspection) Rules, 1979	939	17-03-1979
38.	The Export of Aluminium Utensils (Quality Control and Inspection) Rules, 1980	2440	20-09-1980
39.	The Export of Sanitary & Water Fittings (Quality Control and Inspection) Rules, 1980	2101	23-09-1980
40.	The Export of Electric Motors and Generators (Quality Control and Inspection) Rules, 1980	2554	27-09-1980
41.	The Export of Pressure Cooker (Inspection) Rules, 1983	73	01-01-1983
42.	The Export of Safety Razor Blades (Quality Control & Inspection) Rules, 1983	4073	05-11-1983

(1)	(2)	(3)	(4)
43.	The Export of Switchgear and Control gear (Quality Control and Inspection) Rules, 1984	730	17-02-1984
44.	The Export of Safety Matches (Quality Control and Inspection) Rules, 1984	1221(A)	14-04-1984
45.	The Export of Household Electrical Appliances (Quality Control & Inspection) Rules, 1984	3423(A)	03-11-1984
46.	The Export of Gas Cylinders (Quality Control & Inspection) Rules 1984	2868	10-09-1984
47.	The Export of Mineral & Ores Group-I (Inspection) Rules 1965	3877	20-12-1965
48.	The Export of Mineral & Ores Group-II (Inspection) Rules, 1965	3980	20-12-1965
49.	The Export of Rubber Ice Bags (Inspection) Rules, 1966	2216	22-07-1966
50.	The Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection) Rules, 1966	2459	16-08-1966
51.	The Export of Inorganic Pigments (Inspection) Rules, 1966	2674	01-09-1966
52.	The Export of Laundry Soaps (Inspection) Rules, 1966	1772	07-06-1966
53.	The Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Rules, 1966	1271	25-09-1966
54.	The Export of Organic Chemicals (Inspection) Rules 1966	481	09-02-1966
55.	The Export of Safety Glass (Inspection) Rules 1968	2837	21-09-1966
56.	The Export of Rubber Belts (Inspection) Rules 1966	80	05-01-1967
57.	The Export of Rubber Beltings (Inspection) Rules 1966	848	13-03-1967
58.	The Export of Rubber Hoses (Inspection) Rules 1967	1005	23-03-1967
59.	The Export of Vacuum Flasks (Inspection) Rules, 1968	1617	07-05-1968
60.	The Export of Linoleum (Quality Control & Inspection) Rules, 1968	3753	15-08-1969
61.	The Export of Ceramic Products (Inspection) Rules, 1969	2335	12 06-1969
62.	The Export of Mica (Inspection) Rules, 1969	268	16-01-1969
63.	The Export of Vinyl Film and Sheetings (Inspection) Rules, 1969	457	01-02-1969
64.	The Export of Pesticides & their Formulations (Inspection) Rules, 1970	3311	07-10-1970
65.	The Export of Rubber Gloves for Electrical Purposes (Inspection) Rules, 1973	158	13-01-1953
66.	The Export of Sulphuric Acid (Inspection) Rules, 1973	2968	06-10-1973
67.	The Export of Printing Inks (Quality Control and Inspection) Rules, 1974	1933	03-08-1974
68.	The Export of Chrome Pigment (Quality Control & Inspection) Rules, 1974	2429	21-09-1974
69.	The Export of Ceramic Sanitary Appliances (Quality Control and Inspection) Rules, 1977	1553	28-05-1977
70.	The Export of Rosin (Inspection) Rules, 1978	576	25-02-1978
71.	The Export of Porcelain Insulators and Brushings (Quality Control and Inspection) Rules, 1979	3757	17-11-1979
72.	The Exports of Glazed Earthenware Tiles (Quality Control & Inspection) Rules, 1980	359	16-02-1980
73.	The Export of Toilet Soap (Quality Control & Inspection) Rules, 1980	1016	19-04-198

(1)	(2)	(3)	(4)
74.	The Export of Synthetic Detergent (Quality Control & Inspection) Rules, 1980	1024	19-04-1980
75.	The Export of PVC Leather Cloth (Inspection) Rules, 1981	49	03-01-1981
76.	The Export of Ultramarine Blue (Quality Control & Inspection) Rules, 1981	92	10-01-1981
77.	The Export of Fabricated Mica (Quality Control & Inspection) Rules, 1983	2953	23-07-1983
78.	The Export of Cement & Concrete Flooring Tiles (Inspection) Rules, 1983	3000	30-07-1983
79.	The Export of Safety Matches (Quality Control & Inspection) Rules, 1984	1221(A)	28-03-1984
80.	The Export of Refractory Bricks (Inspection) Rules, 1966	2266	14-06-1986
81.	The Export of Cycle Tyres & Cycle Tubes (Quality Control & Inspection) Rules, 1987	143	17-01-1987
82.	The Export of Paint & Allied Products (Quality Control & Inspection) Rules, 1987	309	07-02-1987
83.	The Export of Cashew Kernels (Quality Control & Inspection) Rules, 1967	1023	26-03-1966
84.	The Export of Roasted & Salted Cashew Kernels (Inspection) Rules, 1977	276	21-01-1978
85.	The Export of Cashew Kernels (Quality Control & Inspection) Rules, 1986	783	01-03-1986
86.	The Export of Cashew Kernels (Quality Control & Inspection) Rules, 1986	905(E)	10-12-1986
87.	The Export of Fish & Fishery Products (Quality Control & Inspection) Rules, 1977	4008	31-12-1977
88.	The Export of Frozen Froglegs (Quality Control & Inspection) Rules, 1979	1890	06-06-1979
89.	The Export of Fish Meal (Inspection) Rules, 1980	1130	26-04-1980
90.	The Export of Canned Fish & Fishery Products (Quality Control & Inspection) Rules, 1983	863	12-02-1983
91.	The Export of Dried Shark Fins & Dried Fish Maws (Quality Control & Inspection) Rules, 1985	3090	15-06-1985
92.	The Export of Dried Fish (Inspection) Rules, 1985	3332(A)	20-07-1985
93.	The Export of Jute Products (Quality Control & Inspection) Rules, 1970	3396	14-10-1970
94.	The Export of Jute Yarn & Jute Twine (Quality Control & Inspection) Rules, 1982	3619	23-10-1982
95.	The Export of Double Warp Jute Tarpauline Cloth & Bag, Double Warp Jute Canvas Cloth & Bag (Quality Control & Inspection) Rules 1983	3270	20-08-1983
96.	The Export of Coir Products (Inspection) Rules, 1965	1892	15-06-1965
97.	The Export of Coir Yarn (Inspection) Rules, 1966	3134	23-09-1966
98.	The Export of Non-baled Coir Yarn (Inspection) Rules, 1972	1132	13-05-1972
99.	The Export of Coir Mattings (Inspection) Rules, 1972	1387	03-06-1972
100.	The Export of Footwear (Inspection) Rules, 1967	2385	17-07-1967
101.	The Export of Human Hair (Inspection) Rules, 1986	1976	17-05-1986
102.	The Export of Carpet (Quality Control & Inspection) Rules, 1973	1488	26-05-1973
103.	The Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1986	4136	13-12-1986
104.	The Export of Basmati Rice (Inspection) Rules, 1980	1026	19-04-1980

[F. No. 2/1/85–E I & E P]

का. आ. 2652 :—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि साईकिलों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्थापनाएं तैयार की हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और नरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में और अधिसूचना सं. का. आ. 4356 तारीख 5 दिसम्बर, 1967 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, उक्त प्रस्थापनाओं को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है;

2. यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव भेजने का इच्छुक व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद, 11 तल प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-8 को भेज सकता है ।

प्रस्थापनाएं

(1) यह अधिसूचित करना कि साईकिलों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण होगा ;

(2) इस आदेश के उपबंध 1 में उपवर्णित साईकिल निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1987 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसी साईकिलों पर लागू होंगे ।

(3) (क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को;

(ख) इस आदेश के उपबंध 2 में उपवर्णित न्यूनतम विनिर्देशों के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच करार पाए गए निर्यात संविदा के विनिर्देशों को, साईकिलों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसी साईकिलों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इसका प्रमाण-पत्र न हो कि साईकिलें निर्यात योग्य हैं या उन पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मुद्रा या चिन्ह न चिपकाया गया हो।

3. इस आदेश की कोई भी बात भू-मार्ग, जल मार्ग, या वायु मार्ग द्वारा 500 रुपए मूल्य तक के साईकिलों के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी।

4. इस अधिसूचना में, साईकिल से दो पहिया या तिपहिया यान अभिप्रेत है जिसमें पहियों को आगे पीछे करने की सुविधा सवार के लिए गद्दी, एक टैरिंग हैंडल तथा सवार के पैरों से नोदन के लिए फ्रेंक भी लगे हों तथा इसमें उसके पुर्जे संघटक और उपसाधन सम्मिलित है।

उपाबंध —1

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन तथा अधिसूचना सं. का. आ. 4357, तारीख 5 सितम्बर, 1967 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जाता है या करने से लोप किया है, बनाए जाने वाले प्रस्थापित नियमों का प्रारूप है ।

1. संक्षिप्त नाम ————इन नियमों का संक्षिप्त नाम साईकिल निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे ।

3. परिभाषाए :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22 अभिप्रेत है ;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है,

(ग) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुमोदित यूनिट" से ऐसा विनिर्माण यूनिट अभिप्रेत है जिसे प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण की अपेक्षाओं को पूरा करने पर नियम 4 के अधीन अभिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(ङ) "परीक्षणानुसार निरीक्षण" से यह अवधारित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है कि क्या निर्यात के लिए बनी साईकिलों का परीक्षण परिषद् द्वारा अधिकथित ढंग से अधिकरण द्वारा निरीक्षण और परीक्षण करके मानक विनिर्देशों के अनुरूप

(च) "उत्पादन के दौरान प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण" से ऐसी क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली अभिप्रेत है जिसके द्वारा विनिर्माण एकक यह सुनिश्चित करता है कि साईकिल सामग्री तथा संघटकों के क्रय, विनिर्माण, निरीक्षण, परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए विनिर्देशों के अनुरूप करने के लिए परिषद द्वारा अधिकथित ढंग से विनिर्मित की गई है;

(छ) "कालिक दौरा" से अनुमोदित यूनिट में अभिकरण के अधिकारियों द्वारा बीच-बीच में प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण अपेक्षाओं की अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए दौरे अभिप्रेत है ;

(ज) "स्थल पर जांच" से परिषद द्वारा अधिकथित ढंग से प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण की अनुमोदित यूनिट द्वारा दिए गए निर्यात परेषण की मानक विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए अभिकरण द्वारा निरीक्षण अभिप्रेत है ;

(झ) "साईकिल" से दो पहिया या तिपहिया यान अभिप्रेत है जिसमें पहियों के आगे पीछे करने की सुविधा, सवार के लिए गद्दी एक स्टैरिंग हैन्डल तथा सवार के पैरों से नोदन के लिए क्रेंक लगे हों तथा इसमें उसके पुर्जे, संघटक और उपसाधन भी सम्मिलित है ।

3. निरीक्षण की आधार :— साईकिलों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि साईकिलों की क्वालिटी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है; अर्थात:—

(क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों के मानक;

(ख) उपाबन्ध-II में उपवर्णित न्यूनतम विनिर्देशों के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच करार पाये गये निर्यात संविदा के विनिर्देश ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—

(1) प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण—कोई भी विनिर्माण यूनिट जो अपने द्वारा विनिर्मित साईकिलों का निर्यात करने का इच्छुक हो तथा जिसके पास प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण हो, प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने के अपने आशय की सूचना देते हुए अभिकरण को आवेदन करेगा ।

(2) विनिर्माण यूनिट द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये अभिकरण व्यवस्था करेगा तथा यदि उसका समाधान हो गया हो तो विनिर्माण यूनिट को अनुमोदित यूनिट के रूप में घोषित कर देगा ।

(3) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिये कि अनुमोदित यूनिट द्वारा अनिवार्य प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण जारी है, अभिकरण कालिक दौरे तथा मौके पर जांच करेगा ।

(4) प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण, के अधीन यूनिट को दिया गया अनुमोदन विनिर्माण यूनिट को कम से कम सात दिन की सूचना देने के पश्चात् परिषद् द्वारा इस बाबत अधिकथित मानों के अनुसार अभिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा ।

(5) यूनिट जिसका अनुमोदन वापिस ले लिया गया है, दोषों में परिशोधन के पश्चात् पुनः अनुमोदन के लिये अभिकरण को नया आवेदन दे सकेगा ।

2. परेषणानुसार निरीक्षण :

(1) साईकिलों के परेषण का निर्यात करने का आशयित निर्यातकर्ता निरीक्षण के लिये लिखित सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ ऐसे निर्यात से संबंधित निर्यात संविदा में अनुबंधित सभी तकनीकी विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए विनिर्देशों की घोषणा भी परेषण के देने के कम से कम चार दिन पहले प्रस्तुत करेगा ताकि अभिकरण नियम 3 के और उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण कर सके ।

(2) अभिकरण अपना यह समाधान होने पर कि परेषण मानक विनिर्देशों और अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है यह सूचना प्राप्त होने के चार दिन के भीतर निर्यात के लिये निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(3) परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं हो पाता है तो वह उक्त चार दिन की अवधि के भीतर उसके कारणों सहित लिखित रूप में प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर सकेगा ।

5. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण निम्नलिखित परिसरों में किया जायेगा :

(क) विनिर्माण यूनिट के परिसर पर, या

(ख) उस परिसर पर जहां निरीक्षण के लिये माल प्रस्तुत किया गया हो परन्तु यह तब जब कि इस प्रयोजन के लिये वहां पर्याप्त सुविधायें विद्यमान हों, या

(ग) पोत लदान पत्तन पर ।

6. निरीक्षण फीस :—निर्यातकर्ता अभिकरण को नियमानुसार फीस संदत्त करेगा :—

(1)(क) प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण योजना के अधीन निर्यात के लिये पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के

0.2 प्रतिशत की दर से किन्तु कम से कम 20 रु. प्रति परेषण;

(ख) परेषणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिये पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 रु. प्रतिशत की दर से किन्तु कम से कम 20 रु. प्रति परेषण।

(2) उन विनिर्माताओं/निर्यातकर्ताओं के लिये जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास लघु उद्योग यूनिटों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, (क) और (ख) के लिये दरें क्रमशः 0.18 रु. प्रतिशत और 0.36 रु. प्रतिशत होंगी किन्तु कम से कम 20 रु. प्रति परेषण होगी।

(3) उन यूनिटों द्वारा विनिर्मित मदों के निर्यात के लिये जिनके पास पर्याप्त प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण स्तर है तथा जो वाणिज्यिक निर्यात-कर्ताओं द्वारा निर्यात की जाती है पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.3 प्रतिशत की दर से किन्तु कम से कम 20 रुपये प्रति परेषण।

7. अपील :—

(1) नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल को, अपील कर सकेगा।

(2) निर्यात के विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) निर्यात के पैनल की गणपूर्ति तीन होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जायेगी।

उपाबन्ध—2

1. घंटी

1. डिजाइन और विमाएं :—

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच करार के अनुसार होंगी।

2. कारीगरी और फिनिश :—

2.1 पुर्जे खुरदरेपन, खरोचों और अन्य विनिर्माण दोषों से मुक्त होंगे।

2.2 घंटी —डोम और लीवर निकल तथा क्रोम चढ़े होंगे जिसमें बाहरी सतह पर निकल की न्यूनतम मोटाई 0.008 मि० मीटर होगी। परत (प्लेटिंग) एक सी होगी और परत दाग जैसे मुहे, उठान, प्लेट न हुए भाग, दरारें और धब्बों से मुक्त होंगे परन्तु मूल धातु पर मजबूती से जमी होनी चाहिये और रन्ध्र रहित होगी। अन्य सभी पुर्जों और शाम की अन्दर की सतह का जंग निवारण के लिये समुचित रूप से उपचार किया जायेगा। रीविट गाल्वनीकृत हो सकता है या उन पर जिंक भी चढ़ी हो सकती है।

3. निष्पादन :—

3.1 घंटी ठीक से बजेगी और स्पष्ट बजने की धात्विक आवाज उत्पन्न करेगी।

4. परीक्षण :—

4.1 आसंजन परीक्षण—परिशिष्ट-1 के अनुसार।

4.2 फैरोलिक परीक्षण—परिशिष्ट-1 के अनुसार।

2. निचले ब्रेकेट की धुरी

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 निम्नलिखित के अधीन रहते हुए डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी :

	प्रकार I	प्रकार II
(क) बियरिंग भाग का व्यास	न्यू 16.45 मिमी अधि 16.65 मिमी	16.45 मि मी 16.65 मीमि
(ख) क्रेंक भाग का व्यास	न्यू 15.65 मिमी अधि. 1582 मिमी	16.80 मिमी 16.00 मिमी
(ग) काटर पिन स्लाट की मोटाई	न्यू 12.60 मिमी अधि 12.90 मिमी	12.30 मिमी 12.70 मिमी

(घ) कुल लम्बाई की सहायता ±1.0 मि. मी. होगी।

(ङ) धुरी के अंतिम सिरे और काटर पिन स्लाट के निकटतम सिरे के बीच की न्यूनतम दूरी 3 मि. मी. होगी।

2. कारीगरी और फिनिश

2.1 धुरी की फिनिश समतल, खुरदरेपन, खरोचों और अन्य विनिर्माण त्रुटियों से मुक्त होगी। दोनों बियरिंग सतह के मध्य ग्राह्य सत्केन्द्रता 0.30 मि. मी. से अधिक नहीं होगी।

2.2 धुरी रासायनिक रूप से रंग की हुई या विद्युतलेपित होगी। जब विद्युतलेपी हो तब सतह परत दोषों जैसे, गढे, ऊंचा नीचा, परत किए हुए भाग और दरारों से मुक्त होंगी।

3. कठोरता

3.1 धुरी का समुचित रूप से ऊष्मा उपचार किया जाएगा। कठोरता 30 किलोग्राम भार पर 400 उच्च वोल्टता (एचवी) और 800 उच्च वोल्टता (एचवी) के बीच होगी।

3. निचले ब्रेकेट के कप (समायोज्य और स्थिर)

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 निचले ब्रेकेट के कपों का डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी :—

(क) भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों की न्यूनतम आंतरिक गहराई और पूर्ण चौड़ाई निम्नलिखित के अनुसार होगी :—

	अन्दर की न्यूनतम गहराई मि., मीटर में	संपूर्ण चौड़ाई मि. मीटर में
1. स्थित प्रकार I	10.5	13.9
2. स्थिर प्रकार II	8.8	12.2
3. स्थिर प्रकार III	8.50	12.50
4. समायोज्य प्रकार I	10.5	13.9
5. समायोज्य प्रकार II	10.0	13.4
6. समायोज्य प्रकार III	10.50	13.90

(ख) आहूय सिरों पर कपों का भीतरी व्यास—
न्यूनतम 29.8 मि. मी.
अधिकतम 30.2 मि. मी.

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 कप खुरदरेपन, खरोंचों और औजारों के चिन्हों से मुक्त होंगे। बियरिंग भाग की समुचित रूप से पालिस होगी।

2.2 समायोज्य और स्थिर कपों के लिए चूड़ी, यथास्थिति, 34.8×24 टी पी आई या 34.8×26 टी पी आई या 35×1 मि. मी. पिच साईकिल चूड़ी आर एच या एल एच की हो या क्रेता की अपेक्षानुसार होगी। चूड़िया पूरी बनी तथा सही होंगी। अधिकतम और न्यूनतम मुख्य व्यास सुसंगत भा. मा. विनिर्देश में दी गई सह्यताओं के अनुसार होना चाहिए।

2.3 कप रासायनिक रूप से रंग किए हुए या विद्युत लेपित होंगे। यदि विद्युत लेपित हो तो वे परत त्रुटियों, जैसे गढ़ों, उठानों लेप न किए भागों और दरारों से मुक्त होंगे।

3. कठोरता :

3.1 निचले ब्रेकेट कपों का समुचित रूप से ऊष्मा उपचार किया जाएगा। कठोरता 30 किलोग्राम एफ भार पर न्यूनतम 400 उच्च बोल्टना (एच वी) होगी।

4. आधारित ब्रेकेट लाक रिंग

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 आधारित ब्रेकेट लाक रिंग की डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच करार के अनुसार होंगी।

(i) मोटाई – 2.75 मि. मी. न्यूनतम

(ii) आंतरिक चूड़ी 34.8×24 टी पी आई या 26 टी पी आई या 35×1 की पिच साईकिल चूड़ी आर एच या क्रेता की अपेक्षानुसार होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2. वे नुकीले किनारों, खुरदरे या अन्य विनिर्माण दोषों से मुक्त होंगी।

2.2 चूड़ियां पूरी बनी और सही होंगी।

2.3 रिंग रासायनिक रूप से रंग किए हुए विद्युत लेपित होंगी यदि जब विद्युत लेपित हो तो परत दोषों जैसे गढ़ों, उठानों, लेप न किए गए भागों और दरारों से मुक्त होंगे।

5. ब्रेक

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 ब्रेक के भाग खुरदरे और नुकीले किनारों से मुक्त होंगे। रिबेट सही होंगे।

2.2 ब्रेक लिंको की ड्रिल सकेन्द्रित होंगी।

2.3 नट और पेचों की चूड़ियां सही होंगी।

2.4 ब्रेक के पुर्जे या निकल और क्रोम चढ़े होंगे या स्टोव इनेमल के एकसार फिनिश होंगे या गाल्वनीकृत होंगे। परत दृश्यमान परत दोषों जैसे गढे, उठानों, लेप न किए गए भाग दरारों या धब्बों से मुक्त होंगे। ब्रेक की पादाधार पर जब निकल या क्रोम चढ़ी हो तो न्यूनतम निकल मोटाई 0.006 मि.मी. और बच्चों की साईकिल के लिए 0.005 मि. मी. होगी।

3. कठोरता :

3.1 ब्रेक जूते की रबड़ की कठोरता 70° से 90° चलोरीस्कोप के बीच होगी।

4. परीक्षण :

4.1 विद्युत लेपन

(क) आसंजना परीक्षण—परिशिष्ट I के अनुसार

(ख) फेरोक्सिल परीक्षण—परिशिष्ट I के अनुसार

6. पम्प

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 पम्प खुरदरेपन और नुकीले किनारों से मुक्त होगा।

2.2 पम्प संयोजकों में और पम्प की बाडी में चूड़ियां ठीक से लगी होंगी।

2.3 पम्प का कार्यकरण निर्बाध होगा।

2.4 बाडी में जुड़े पम्प के जोड़ों या ट्यूब से जुड़े जोड़ों में से हवा का रिसाव नहीं होगा।

2.5 पम्प पर निकल और क्रोम चढ़ा होगा जिसमें न्यूनतम निकल की मोटाई 0.008 मि. मी. होगी या स्टोव एनेमल से एकसार पूर्ण होगी। जब परत चढ़ी हो तो वह दृश्यमान परत दोषों जैसे गढ़े, उठानों, सफेद, धब्बों, बिना प्लेट न हुए भागों, दरारों या धब्बों से मुक्त होगी।

2.6 परत, मूल धातु पर मजबूती से जमी होनी चाहिए और रन्ध्र रहित होगी। यदि पेंट किया गया है तो 3.2 में किए गए परीक्षण पर खरा उतरना चाहिए और जब निकल या क्रोम की परत चढ़ा हो तो 3.3 में दी हुई अपेक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए।

3. परीक्षण :

3.1 कार्य क्षमता परीक्षण – पम्प I किलोग्राम/सें. मी. 2 के दबाव को विकसित करने में सक्षम होगा।

3.2 लवण घोल परीक्षण – परिशिष्ट – I के अनुसार

3.3 विद्युत लेपन :

(क) आसंजन परीक्षण – परिशिष्ट I के अनुसार

(ख) फैरोक्सिल परीक्षण – परिशिष्ट I के अनुसार

7. चैन पहिया और क्रेंक

1 डिजाइन और विमाएं :

1.1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी :—

	प्रकार – I	प्रकार – II
(क) गियर कैंस निकासी	न्यू 8.9 मि मी.	न्यू. 8.9 मिमी.
(ख) धुरी छिद्र का व्यास	न्यू. 15.85 मिमी अधि. 16.00 मिमी	न्यू० 16.00 मिमी अधि. 16.15 मिमी
(ग) काटर पिन छिद्र का व्यास	न्यू 9.4 मि मी. अधि. 9.7 मिमी	न्यू. 9.0 मिमी. अधि. 9.15 मिमी
(घ) पैडल छिद्र पर क्रेंक फ्रैंक की मोटाई	न्यू. 9.5 मिमी.	न्यू. 9.50 मिमी
(ङ) आधारित क्रेंक धुरी छिद्र पर बाएं क्रेंक की मोटाई	न्यू. 17.5मिमी	न्यू. 17.50 मिमी
(च) निचले क्रेंक धुरी छिद्र पर चारों ओर दीवार क्रेंक की दीवार मोटाई	न्यू. 16.15 मिमी (बच्चों की साईकिल के लिए न्यूनतम 5.00 मि. मी)	
(छ) चैन पहिये के दांतों की वृत्तीय दूरी	12.70 मि मी तत्स्थानी चैन से जांच की जाएगी।	
(ज) पेडिल धुरी छिद्र पर चूड़ी	एल एच और आर एच क्रेंक के लिए क्रमश 14.3×20 टी पी आई या 14.00×1.25 मि. मी. की पिच क्रमशः एल. एच. या आर. एच., एल एच और आर एच क्रेंक के लिए	

(झ) क्रेंक की कुल लम्बाई पर सहायता ± 3 मि. मी. होगी।

(ञ) निचले क्रेंक धुरी छिद्र की मध्य लाइन और काटर पिन छिद्र के मध्य लाइन की दूरी प्रकार-I के लिए 7.8 मि. मी. से 8.2 मि. मी. के मध्य होगी और प्रकार–II के लिए 8.0 से 8.4 मि. मी. होगी।

(ट) चैन पहिए की मोटाई 2.64 किलोमीटर से कम नहीं होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :—

2.1 क्रेंक में गढ़ई दोष, जैसे दरारें, गढ़े और स्क्रेप नहीं होंगी। क्रेंक समान फिनिश का होगा और नुकीले किनारों को गोल किया गया होगा।

2.2 चैन पहिया एक लेन में सही बैठने वाला होगा। दातें सही और ठीक बैठने वाले होंगे तथा साईकिल की चैन के उपयुक्त होंगे। चैन पहिए खुरदरेपन, दरारों और अन्य दोषों से मुक्त होगा तथा केन्द्रीय धुरी के लिए क्रेंक छिद्र संकेन्द्रित होंगे।

2.3 क्रेंक और चैन के पहिए पर निकल और क्रोमियम चढ़ी होगी। निकल की परत की मोटाई कम से कम 0.008 किलोमीटर होगी। परत चढ़ी सतह दृश्यमान दोषों जैसे गढ़ों, उठानों बिना प्लेट हुए भागों, दरारों और धब्बों से मुक्त होगी। परत धातु पर मजबूती से जमी होगी और रन्ध्र रहित होगी।

3. परीक्षण :—

3.1 विद्युत लेपन

3.1.1 आसंजन परीक्षण – परिशिष्ट–I के अनुसार

फैरोक्सील परीक्षण – परिशिष्ट –I के अनुसार

3.2 भार परीक्षण – क्रेंक चैन का पहिया संयोजन मजबूती से सपाट क्रेंक पर अर्ध रूप से समतल पर लगाया जाएगा और पैंडल स्पिंडल के लिए भार छिद्र के बीच से लागू किया जाएगा समायोजन को पैंडल छिद्र पर बिना टूटे या जोड़ खुले बिना 180 किलोग्राम भार झेलना होगा। बच्चों की साईकिल के लिए समायोजन में पैंडल छिद्र पर बिना टूटे या जोड़ खुले बिना 150 किलोग्राम का भार झेलना होगा

8. काटर पिन

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 निम्नलिखित के अधीन रहते हुए डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी।

	प्रकार–I	प्रकार–II
(क) चूड़ीदार भाग की न्यूनतम लम्बाई	18 मि० मी०	18 मि० मी०

		प्रकार-I	प्रकार-II
(ख)	शुंडाकार के छोटे किनारों की मोटाई	न्यू० 7.4 मि०मी०	न्यू० 7.00 मि० मी०
		अधि० 7.8 मि० मी०	अधि० 7.10 मि. मी०
(ग)	शुंडाकार के बड़े किनारों का व्यास	न्यू० 9.3 मि० मी	न्यू० 8.80 मि०मी०
		अधि० 9.55 मि०मी०	अधि० 9.00 मि०मी०
(घ)	चूड़ीदार भाग की न्यूनतम	लम्बाई—10 मि० मी०	
(ङ)	चूड़ी लगाना—67×26 टीपी आई या 17 1 मि०मी० पिच आर० एच०		

कॉटर पिनों के साथ उचित वाशर और ढिबरी लगाई जाएगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 काटर पिनों की ढलाई और काटर एक सार होंगे तथा केन्द्रीय धुरी पर क्रैंक को मजबूती से उचित सुविधा देगा।

2.2 चूड़ियां एक जैसी और सही होंगी जिसमें की क्रैंक को हिलाने या ढीला होने से बचाने के लिए नटों को कसने में सुविधा रहे।

2.3 काटर पिन, वाशर और नट पर या तो रासायनिक रूप से रंगीन या जिंक कैडमियम या निकल क्रोम की परत चढ़ी होगी।

9. डायनमो :

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 संघटक खुरदरेपन और नुकीले किनारों से मुक्त होंगे।

2.2 चुम्बक धुरी पर स्वतन्त्र और सही चलेगा/अधिकतम उत्केन्द्रिता 0.2 मि०मी० (0.008) से अधिक नहीं होगी।

2.3 संश्लिष्ट बियरिंग अधिकतम 0.05 मि०मी० उत्केन्द्रिता के साथ सकेन्द्रीय घूमेगा।

2.4 संयोजन में रोलर की उत्केन्द्रिता 0.05 मि०मी० से अधिक नहीं होगा।

2.5 (i) डायनमों की आगे और पीछे की बत्ती पर निकल और क्रोम की परत चढ़ी होगी जिसमें निकल की मोटाई अधिकतम 0.01 मि०मी० होगी। परत दृश्यमान दोषों, जैसे गढ़ों, उठानों धुंधले धब्बों, प्लेट न हुए भागों दरारों और धब्बों से मुक्त होगी। परत मूल धातु पर मजबूती से जमी होगी और रन्ध्र रहित होगी।

(ii) पीछे की बत्ती और आगे की बत्ती किसी भी समुचित प्लास्टिक से बनाई जा सकती है।

(iii) डायनमों की पीछे की बत्ती और आगे की बत्ती पर एनेमल भी किया जा सकता है।

2.6 आगे और पीछे की बत्ती के अन्दर की ओर जंग रोधी लेपन किया जाएगा।

2.7 डायनमों के साथ समुचित आगे और पीछे की बत्ती जिसमें, बल्ब, डायनमों के लेम्प, बाडी सेट क्लैम्प और जोड़ने वाली तार लगी होंगी, दी जाएगी।

3. परीक्षण 3.1 (i) कार्यक्षमता परीक्षण—(क) डायनमों का परीक्षण 10 एम पी एच या 16 कि०मी० एच की गति से किया जाएगा। उत्पादित वोल्टता निर्धारित वोल्टता से 10 प्रतिशत से अधिक भिन्न नहीं होगी।

(ख) ब्रैकेट को स्प्रिंग की कार्यक्षमता का परीक्षण करने के लिए 50 बार संचालित किया जाएगा जो परीक्षण के अन्त में टूट-फूट के कोई चिह्न दर्शित नहीं करेगा।

(ii) विद्युत लेपन :—

(क) आसंजन परीक्षण—परिशिष्ट 1 के अनुसार

(ख) फेराबिसल परीक्षण—परिशिष्ट I के अनुसार

10. पहिए का ताने (स्पोक और निप्पल) :

1 सामग्री .

1.1 ताने (स्पोक) चमकदार गाल्वीकृत उच्च कार्बन स्टील तार से बनाई जाएगी जिनकी अन्तिम तनन क्षमता 100 से 130 किलोग्राम एफ/मि०मी० से कम नहीं होगी।

2. डिजाइन और विमाएं :

2.1 निम्नलिखित विमाओं और सह्यताओं के अधीन रहते हुए, (स्पोक) और निप्पल का डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी। ताने (स्पोक)

(क)	नामीय तार का व्यास	±0.03 मि० मी०
(ख)	कुल लम्बाई	±0.0 मि०मी०
(ग)	चूड़ी की लम्बाई न्यूनतम	10 मि० मी०
(घ)	झुकाव का कोण निप्पल	95° ±5° −0°

(क) कुल लम्बाई न्यूनतम 10.5 मि०मी०

(ख)

तान (स्पोक) तार	15 जी (1.8 मि.मी.)	14 जी (2.0 मि.मी.)	13 जी (2.3 मि.मी.)	12 जी (2.64 मि.मी.)	10 जी (3.25 मि.मी.)
निप्पल के अग्र-भाग का व्यास मि० मी०	6.0	6.0	7.3	7.3	9.2
वर्गाकार भाग मि०मी०	3.26	3.29	3.8	3.8	5.0

निप्पल अग्रभाग के व्यास पर सहयता ±0.5 मि०मी०
±0.1 मि०मी०

वर्गाकार भाग पर सहयता ±0.13 मि०मी०

3. कारीगरी और फिनिश :

3.1 स्पोक पर चूड़ी इस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि निप्पल और स्पोक के बीच भली प्रकार फिट हो जाएगी और उनकी अदला बदली भी की जा सके।

3.2 गाल्वनीकृत होगी या निकल परत चढ़ी स्पोक होगी।

3.3 निप्पल निकल की परत चढ़ी होगी और दृश्यमान दोषों से मुक्त होगी।

3.4 वाशर गाल्वनीकृत टिन चढ़ा या पत्तर चढ़ा होगा

4. परीक्षण :

4.1 झुकाव परीक्षण--(स्पोक) तान आगे और पीछे की ओर कम से कम तीन बार 180° कोण पर परिधि के बराबर अर्ध व्यास पर बिना टूटन चिह्न दर्शित झुका होगा। 90° का पहला झुकाव गिनती में नहीं लिया जाएगा

4.2 लेपन परीक्षण :

स्पोक को मेथाइस स्प्रिट से साफ करने के बाद 1.86 (18.2° सेन्टीग्रेड) अपेक्षिक धनत्व वाले कापर सल्फेट घोल में 30 सेकेन्ड अवधि तक डुबोया जाएगा। परीक्षण के अन्त में स्पोक को पानी में धोने के पश्चात् उस पर कोई लाल चीज जमा नहीं दिखनी चाहिए।

4.3 विद्युत लेपन :

आसंजन परीक्षण-परिशिष्ट । के अनुसार

11. मुक्त पहिया (फ्री व्हील) :

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 मुक्त पहिए का डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी। दांते दार पहिए के दांतों का आकार ऐसा होगा जो साईकिल चेन के लिए उपयुक्त हो।

1.2 पश्च हब पर फिटिंग के लिए मुख्य भाग के साईकिल चूड़ी 34.8×24 टी पी आई या 34.7×1 मि०मी० पिच होगी। मुक्त पहिए पर चूड़ी की जांच करने हेतु चूड़ी गेजों पर संगत भारतीय मानक या बि० मानक के अनुसार दी गई सहयता का अनुपालन किया जाएगा। बच्चों की साईकिल के लिए मुख्य भाग में साईकिल चूड़ी 0.970×20 टी पी आई या इसके समतुल्य होगी।

2. कारीगरी और फिनिश .

2.1 गोली धावपंथों की आन्तरिक सतह अच्छी तरह से परिरूपित होगी कि यह सुनिश्चित हो सके कि गोलियां निर्बाध रूप से चलेंगी।

2.2 संघटकों को पूर्ण रूप से धोया जाएगा और गोला धावपंथों में संयोजन से पूर्व ग्रीस लगाई जाएगी।

3. कठोरता .

3.1 संघटकों को नीचे कथित न्यूनतम कठोरता तक कठोर किया जाएगा।

*(i) मुक्त पहिए की दंतरिका—5 किलोग्राम भार पर 400 एच वी

(ii) पेच बैजल—किलोग्राम भार पर 400 एच वी

(iii) मुख्य भाग—किलोग्राम भार पर 400 एच वी

(iv) स्टील की गोली—किलोग्राम भार पर उच्च कार्बन के लिए 600 एच वी तथा उच्च कार्बन उच्च क्रोमियम के लिए 700 एच वी.

(v) पाल—5 किलोग्राम भार पर 444 एच वी

*मल्टी स्पीड मुक्त पहिए के लिए कठोरता 350 एच वी होगी।

4. परीक्षण

4.1 घूर्णन परीक्षण .--मुक्त पहिया बिना असम्यक घर्षण के और बिना कंपन पैदा किए घूमेगा।

4.2 विक्षेप परीक्षण :--मुक्त पहिए को जब ठीक से चढ़ाया जाए और पहिया दंतरिका को घुमाया जाए तो धुरीय और त्रिज्या विक्षेप 0.4 मि. मी. से अधिक नहीं होगा। बहुगति वाले मुक्त पहिए के लिए धुरीय त्रिज्या विक्षेप क्रमशः अधिकतम 0.8 मि. मी. और 0.5 मि. मी. अनुज्ञेय होंगे। विक्षेप को मुक्त पहिए चक्र के गोलाकार किनारे से मापा जाएगा। मुक्त पहिया जब धुरीय और त्रिज्या विक्षेप दोनों के लिए दंत तल पर चैक किया जाएगा तब धुरीय और त्रिज्या विक्षेप दांतों पर मूल्य 0.5 मि. मी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

12. आगे का चिमटा

1. डिजाइन और विमाएं

1.1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी।

(क) फोर्क कालम 25.4×1.62 मि. मी. नली से बनाया जाएगा।

(ख) कालम का आन्तरिक व्यास आकार में अधिकतम 22.83 मि. मी. की और न्यूनतम 22.25 मि. मी. तक बढ़ाया जाएगा।

(ग) कालम पर चूड़ी की न्यूनतम लम्बाई 25 मि. मी. होगी।

(घ) चिमटे के किनारे का व्यास 26.67 मि. मी. और 26.77 मि. मी. के बीच या 27.00 और 27.10 मि. मी. के बीच होगा। बच्चों की साईकिल के लिए फोर्क किनारे का व्यास 26.75 मि. मी. ±1 मि. मी. या 27.10± मि. मी. होगा।

(ङ) क्राउन के आधार से 50.8 मि. मी. दूरी पर चिमटे की टांगों के बीच की दूरी 50.8 मि. मी. से कम नहीं होगी।

(च) चिमटे के कालम की चूड़ियां 25.4 मि. मी. और 24.26 टी पी आई या 25.1 मि. मी. आई एस ओ मीटरिक इसके समतुल्य होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 चिमटे को दोनों टांगों और उर्ध्व पट्टे फोर्क के बीच से लम्बाई के अनुसार वर्गाकार फिट किया जायेगा और जोड़ों पर ठीक से टांके लगाए जाएंगे। दोनों टांगे उर्ध्व पट्टे की केन्द्र रेखा के समानान्तर होंगी।

2.2 हब की धुरी, केन्द्र रेखा पर समान लम्बित होगी। चिमटे के किनारे की समानान्तर और वर्गाकार होंगे। चूड़ियां इस प्रकार बनी होंगी जिससे कि लगाने और बदलने में सरलता हो।

2.3 अच्छी फिनिश के लिए चिमटा पूर्ण रूप से साफ, जंगरोधी, स्टोव ऐनेमल किया हुआ या विद्युत्त लेपित होगा। पेंट एकसार और दोषों से मुक्त होगा।

2.4 क्राउन कवर अच्छी तरह विद्युत लेपित और पीतल या स्टील से बना होगा।

3. परीक्षण :

3.1 चिमटा निम्नलिखित के लिए परीक्षित किया जाएगा।

3.1.1 टांके के लिए ध्वनि परीक्षण :—चिमटे की टांगों और कालम पर 1/2 कि. ग्रा. हथौड़े से चोट की जाएगी। आवाज स्पष्ट होनी चाहिए।

3.1.2 भार परीक्षण :—चिमटा अपने स्टेम पर मजबूती से लगा होगा और उसकी धुरी क्षैतिज होगी और चिमटे की टांगों के सिरे ऊपर की ओर मुड़े होंगे। जिससे कि चिमटे के क्राउन और कुम्भाजा के बीच 8 मि. मी. दूरी रहे। उर्ध्वाधर भार चिमटे के सिरों पर ठीक वहां डाला जाएगा जहां सामने के हब की धुरी लगाई जानी है जिससे की भार दोनों सिरों पर बराबर बना रहे। भार 45 किलोग्राम तक पहुंचाने तक धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। (बच्चों की साईकिल के लिए भार 40 किलोग्राम होगा) चिमटे को इस प्रकार लदी हुई अवस्था में 30 सेकेंड तक रखा जाएगा, बाक्स प्रकार के क्राउन वाले चिमटे में भार हटाने के पश्चात् भार बिन्दु पर 1.6 मिलीमीटर से अधिक स्थायी संदर्शन नहीं होना चाहिए। चिमटे के अन्य डिजाइन, जैसे दोहरी नली अक्षिक-प्रकार और खेल-प्रकार, आदि में स्थायी सेट 2.5 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा।

3.1.3 विस्तारण परीक्षण :—मैंड्रल या किसी अन्य उचित युक्ति पर धकेलने पर जब 13 मिलीमीटर तक उन्हें फैलाया जाए तब (बच्चों की साईकिल में 10 मिलीमीटर तक) चिमटे की टांगों और मुक्त सिरों के बीच की दूरी में माप की साधारण पद्धति के अधीन कोई भी मापने योग्य स्थायी वृद्धि दर्शित नहीं होनी चाहिए।

3.1.4 पेंटिंग के लिए परीक्षण :—

(क) बोल ड्राप परीक्षण—उपबंध I के अनुसार

(ख) नमक घोल परीक्षण—उपबंध I के अनुसार

3.5 विद्युत्त लेपन :—

(क) आसंजन परीक्षण—परिशिष्ट I के अनुसार

(ख) फैरोकिसल परीक्षण—परिशिष्ट I के अनुसार

13. गद्दी के आधार स्तम्भ

1. डिजाइन और विमाएं

1.1 गद्दी के आधार स्तम्भ स्टील टयूब के बने होंगे। डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार निम्नलिखित के अधीन रहते हुए होंगी।

(i) पूर्ण लम्बाई न्यूनतम—125 मि. मी.

(ii) ग्रीवा की लम्बाई न्यूनतम—38 मि. मी.

(iii) ट्यूब की मोटाई न्यूनतम—1.0 मि. मी.

(iv) ग्रीवा भाग का बाहरी व्यास 22.22 ±0.5 मि. मी.

(v) गद्दी के आधार स्तम्भ का बृहत व्यास या तो 25.4±0.3 मि. मी. या 26.34±0.3 मि. मी. होगा।

2. कारीगरी और फिनिश

2.1 गद्दी के आधार पर स्तम्भ की फिनिश अच्छी होगी, और रासायनिक रूप से रंगीन, जिंक, या कैडमियम की

परत चढ़ी, एनेमल या निकल और क्रोम की परत चढ़ी होगी। निकल परत की दशा में परत की न्यूनतम मोटाई 0.006 मि. मी होगी।

3. परीक्षण :

3.1 विद्युत लेपन :—

3.1.1 आसंजन परीक्षण—परिशिष्ट I के अनुसार

3.1.2 फैरोक्सल परीक्षण—परिशिष्टि—I के अनुसार

14. गद्दी

1. डिजाइन और विमाएं :—

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 सभी दाब और यांत्रिक संघटक नुकीले किनारों और खुरदरेपन से मुक्त होंगे।

2.2 चूड़ी एकसार और सही होंगे।

2.3 रिवेट पक्के और सही होंगे।

2.4 स्प्रिंग और अन्य भाग या तो रासायनिक रंगों या गाल्वीनीकृत काले या निकल या क्रीम के परत चढ़े होंगे।

3. परीक्षण :

3.1 सीट या तो चमड़े की बनी होगी या किसी अन्य संश्लिष्ट सामग्री की बनी होगी। गद्दी के ऊपरी भाग की फिनिश उचित प्रकार से की जाएगी वह किसी भी कटाव या अन्य दृश्यमान दोषों से मुक्त हों।

3.2 पक्का रंग :—हवा में सुखाए हुए, ब्लीच किए हुए (कलफ लगा नहीं) सूती सफेद कपड़े का परीक्षण किए जाने वाले चमड़े के नमूने को सतह पर रगड़ा जाएगा वह परीक्षण दुबारा गीले कपड़े के साथ किया जाएगा। गीले या सूखे कपड़े पर कोई रंग नहीं उतरना चाहिए।

3.3 आर्द्रता शोषण परीक्षण—पानी में 30 मनट तक पूर्णतः डुबोने पर साईकिल के चमड़े के भार में वृद्धि 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. साईकिल रिम :

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार निम्नलिखित के अधीन रहते हुए होंगी :—

(क) परिधि पर सहायता + 2 मि. मी.
—1 मि. मी.

(ख) प्रोफाइल सहायता

(1) पूरी ऊंचाई ± 0.5 मि. मी.

(2) पूरी चौड़ाई ± 0.5 मि. मी. (बच्चों की साईकिल के लिए ± 1 मि. मी में)

(3) आन्तरिक चौड़ाई ± 0.5 मि. मी (परख के मध्य) —1.0 मि. मी.

(ग) परख की ऊंचाई—अधिकतम ± 5.9 मि. मी.
न्यूनतम न्यूनतम—7.7 मि. मी.

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 वाल्व छिद्र विपरीत जोड़ों के सामने केन्द्र से लगभग 2 स्पोक छिद्रों के केन्द्र पर रिम के कोण पर पंच या ड्रिल किया जाएगा।

2.2 पहिए के घेरे के आगे और रिम के समीप छिद्रों की संख्या विदेशी क्रेता के साथ हुए करार के अनुसार होगी।

2.3 पहियों के घेरे के छिद्र लगभग समान दूरी पर होंगे। और अनुमानतः रिम की केन्द्रीय रेखा के किसी भी ओर होंगे।

2.4 रिम पर निकल या क्रीम की परत चढ़ी होगी। परत की न्यूनतम मोटाई निम्नलिखित के अनुसार होगी :
निकल—0.008 मि. मी.

क्रेता की विशिष्ट मांग की दशा में रिम के केन्द्र पर मंद फिनिश की जा सकती है।

3. परीक्षण :

3.1 संपीडन परीक्षण—रिम को भार बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखा के समकोणों पर वेल्ड रखते हुए दो स्पोंटो के बीच रखा जाएगा। रिम पर उर्ध्वाधर संपीडन के लिए भार 30 किलो से प्रारम्भ किया जाएगा। भार को धीरे-धीरे 10 किलो से 70 किलो तक बढ़ाया जाएगा जो 2 मिनट तक रखा जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा। रिम की परिधि पर स्थायी सेट 2.5 मि. मी. से अधिक नहीं होगा।

3.2 विद्युत लेपन :—

3.2.1 आसंजन परीक्षण—परिशिष्ट 1 के अनुसार

3.2.2 फैरोविमल परीक्षण—परिशिष्ट 1 के अनुसार

16. पैडल

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार निम्नलिखित के अधीन रहते हुए होंगी।

पैडल धुरी

क्रेंक के सिरे पर चूड़ीदार भाग की लम्बाई न्यूनतम 8.0 मि. मी. चूड़ी—सीधे हाथ और उल्टे हाथ की ओर पैडल क्रमशः 14.28×1.27 या 24×1.25 मि. मी. सीधे हाथ या बाएं हाथ होंगे।

शंकू—धारक छड़ से होगा। वहन भाग औजारों के चिन्ह रहित ठीक से मशीनीकृत होगा।

रबड़—रबड़ के एक जोड़े का भार 165 ग्राम से अधिक नहीं होगा। रबड़ विनिर्माण के दोषों से मुक्त होगा।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 पैडल धुरी, शंकू और ढिबरी के दोनों किनारों की चूड़ियां की फिनिश बराबर होगी ताकि समुचित फिटिंग सुनिश्चित की जा सके।

2.2 पैडल धुरी, पैडल छड़, शंकु या ढिबरी पर रासायनिक रूप से रंग किया हुआ या विनिर्दिष्ट रूप से अनुरोध किए जाने पर प्राकृतिक रूप में प्रदाय किया जा सकता है।

2.3 नली, कोर, स्ट्रेचर, छड़ें और ढक्कन यदि इस्पात के बने हो तो उसका फिनिश बराबर तथा रासायनिक रूप से रंग किए हुए या उन पर इनेमल या निकल या क्रीम या की परत चढ़ी होगी जब परत चढ़ाई जाएगी तो निकल की न्यूनतम मोटाई 0.004 मि. मी. होगी।

3. कठोरता :

3.1 पैडल धुरी और धुरी शंकु की न्यूनतम कठोरता क्रमशः 5 किलोग्राम एफ भार पर 400 उच्च वोल्टता होगी तथा गोली की न्यूनतम कठोरता 5 किलोग्राम एफ भार पर हाई कौर्बन के लिए 500 एच वी और उच्च कार्बन उच्च क्रोमियम के लिए 700 एच वी होगी। जहां कहीं भी परावर्तक लगाए जाएं पैडल रबड़ की कठोरता 70° से 90° के बीच या न्यूनतम 65° होगी।

4. परीक्षण :

4.1 झुकाव परीक्षण; 800 एन का भार धीरे-धीरे स्पिंडल पर रखा जाएगा और एक मिनट अवधि तक रखा जाएगा। जब छोड़ा जाएगा स्पिंडल पर विक्षेप (स्थायी सेंट) 3 मि. मी. से अधिक नहीं होगा और दरार का कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए।

1 किलोग्राम एफ—9806 न्यूटन (एन)

4.2 विद्युत लेपन—

आसंजन परीक्षण—परिशिष्ट—1 के अनुसार

17. मडगार्ड

1. डिजाइन और विमाएं :—

1.1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी :—

(क) चौड़ाई (मध्य भाग के निकट)—न्यूनतम 46 मि. मी. (40 मि. मी. बच्चों की साईकिल के लिए)

(ख) गहराई—न्यूनतम 180 मि. मी.

(ग) प्रयोग की गई चादर की मोटाई—न्यूनतम 0.45 मि. मी. (0.40 मि. मी. बच्चों की साईकिल के लिए)

2. कारीगरी और फिनिश :—

2.1 मडगार्ड नुकीले किनारों, खुरदरेपन और अन्य विनिर्माण दोषों से मुक्त होगा।

2.2 मडगार्ड अच्छी तरह से साफ होगा जिससे जंग परत और तैलीय पदार्थों से मुक्त हो और फिर रासायनिक रूप से फास्फेट और स्टोव इनेमल या रंग छिड़काव किया जाएगा या अन्यथा चमकदार परिरूपण देने के लिए निकल या क्रोम की परत चढ़ी होगी।

2.3 रंग सिलवटों, फफोलों, असमतल और खरोंचों से मुक्त होगा।

3. परीक्षण

3.1. लवण घोल परीक्षण – परिशिष्ट –I के अनुसार

3.2 आसंजन परीक्षण – परिशिष्ट –I के अनुसार

18 क. साईकिल का ताला

1. डिजाइन और विमाएं :—

1.1. डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी :—

मुख्य भाग के लिए चादर की न्यूनतम मोटाई 0.6 मि० मी० चाबी के लिए चादर की न्यूनतम मोटाई 1.5 मि० मी०

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 शौकिल की सीधें सही होगी और वह निर्बाध कार्य करेगा।

2.2 शौकिल के किनारे खुरदरेपन और नुकीले किनारों से मुक्त होंगे।

2.3 ताले का डिजाइन इस प्रकार होगा कि बिना खुले ताले की स्थिति में चाबी बाहर नहीं आए। चाबी सहज रूप में कार्य करे।

2.4 ताले के आन्तरिक भागों पर जंग रोधी परत चढ़ाई जाएगी।

2.5 ताला बन्द की स्थिति में कठोर लकड़ी के टुकड़े पर अडेगा और ताला अपने आप नहीं खुलेगा।

2.6 ताले पर स्टोव इनेमल होगा और एकसार फिनिश होगी।

3 परीक्षण

3.1 कार्य क्षमता परीक्षण – ताले का परीक्षण 50 बार खोलने और बन्द करने से किया जाएगा। उसके किसी पुर्जे को नुकसान नहीं होना चाहिए।

3.2 ताले को इस रीति से पैक किया जाएगा जिससे कि निरीक्षण अभिकरण उसके अवन्त-परिवर्तनशीलता की जांच कर सके जो चार में एक से कम नहीं होंगे।

18 ख – साईकिल का केबल ताला

1. डिजाइन और विमाएं :—

1.1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी :

चाबी के लिए चावर की न्यूनतम मोटाई 1.5 मि०मी० होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 चाबी और तालों के सभी संघटकों की फिनिश अच्छी होगी।

2.2 ताले के आंतरिक भागों पर जिसमें तार रस्सी भी है जंगरोधी परत चढ़ी होगी।

2.3 धातु कैसिंग या तो इनेमल से रंग की हुई होगी या उस पर निकल, क्रोमियम या जिंक की परत चढ़ी होगी।

2.4 ताला बन्द स्थिति में कठोर लकड़ी के टुकड़े पर अड़ेगा ताला अपने आप नहीं खुलेगा।

3. परीक्षण :–

3.1 कार्यक्षमता परीक्षण – ताले को 50 बार खोलकर और बन्द करके परीक्षण किया जाएगा इसमें पुर्जों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।

3.2 ताले को इस रीति से पैक किया जाएगा जिससे कि निरीक्षण अभिकरण अन्त परिवर्तन की जांच कर सके जो चार में से कम से कम एक होगा।

19. हब संयोजन

1. डिजाइन और विमाएं :–

1.1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित के अधीन रहते हुए क्रेता और विक्रेता के बीच करार पाए के अनुसार होगी :–

(क) हब स्पिंडल में से कुल लम्बाई पर सहायता ±3 मिमी०

(ख) रिम्र हब स्पिंडल की कुल लम्बाई पर सहायता ±3 मि०मी०

(ग) प्रत्येक और फ्रंट हब स्पिंडल की चूड़ियों की न्यूनतम लम्बाई ±30 मि०मी०

(घ) प्रत्येक और रिम्र हब स्पिंडल को चूड़ियों की न्यूनतम लम्बाई —40 मि०मी०

(ङ) हब संयोजन और शुकु की चूड़ियां या तो 7.94 × 26 टी पी आई या 9.52 × 26 टी पी आई होगी या 8 × 1 मि० मी० या आई एस ओ मीटरिक या 9.1 × 1 मि० मी० आई एस ओ मीटरिक

(च) मुक्त पहिए को लगाने के लिए रिम्र हब स्पिंडल पर चूड़ियों 34.8 × 24 टी पी आई या 35 × 1 मि० मी० पिच की होगी। अच्चों की साईकिल के लिए ये 34.8 मि० मी० × 24 टी पी आई या 34.70 × 1 मि० मी० पिच या 0.970 × 20 टी पी आई की होगी।

(छ) शुकुओं की बाह्य सतह के बीच की दूरी पर सहायता ± 3 मि० मी० (पूरे हब में)

(ज) हब कोरों की न्यूनतम मोटाई फ्रंट हब के लिए 1.9 मि मी० और रिम्र हब के लिए 2.2 मि० मी० होगी।

(झ) हब कोरों में छिद्रों की संख्या क्रेता और विक्रेता के बीच करार के अनुसार होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :—

2.1 (क) संघटकों की फिनिश अच्छी होगी।

(ख) डिबरियों (गोली धाव पंथ) के अन्दर का भाग चिकना होगा जिससे गोलियों का स्वतन्त्र रूप से घूमना सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) स्पिंडल, शंकू और डिबरी पर चूड़ियां समुचित होगी। जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो हब कोरों के फ्रंट हब पर 16 स्पोक छिद्र और रिम्र हब पर 20 स्पोक छिद्र किए जाएंगे। दोनों कोरों में छिद्र अलग– अलग होंगे और स्पोक सिरों को स्वच्छन्द रूप से समंजित करने के लिए प्रत्येक कोर के दोनों ओर बारी–बारी पर धंसे हुए होंगे। फिटिंग अनुचित झटकों, या करार रहित होगी। चूड़ी अच्छी तरह से चढ़ी होगी। स्पिंडल, डिबरी, शंकू या कप या तो रासायनिक रूप से रंग किए हुए होंगे या उन पर रंगलेपित होगी। हब शेल और कोर पर निकल और क्रोम की परत चढ़ी होगी जिसमें निकल की लेयर की न्यूनतम मोटाई 0.008 मि० मी० होगी। धूल रोधी डिबरी धात्विक या अन्य किसी संश्लिष्ट धातु की हो सकती है। यदि डिबरी धातु की होगी तो उस पर निकल क्रोम की पलस्तर चढ़ी होगी या काली होगी। विशिष्ट अनुरोध पर स्पिंडल, गोली धाव पंथ और शंकु का प्रयास प्राकृतिक फिनिश में भी किया जा सकता है।

3. कठोरता :–

3.1 निम्नलिखित संघटकों को नीचे कथित न्यूनतम कठोरता प्राप्त करने तक कठोर किया जाएगा :–

(1) हब कप (गोली धाव पंथ)– 5 किलोग्राम एफ पर 400 उच्च वोल्टता

(2) शंकु — — 5 किलो ग्राम एफ भार पर 400 उच्च वोल्टता

(3) इस्पात की गोलियां — 5 किलोग्राम एफ भार पर हाई-कार्बन के लिए 600 एच बी और हाई कार्बन तथा हाईक्रोमियम के लिए 700 एच बी।

4. परीक्षण:—

4.1 संकेन्द्रीयता परीक्षण-फ्रंट और रियर हब के संयोजन अपनी धुरियों पर घुमेंगे। कोरों की सतहों पर हब शेल और गोलों पथ की केन्द्रीयता 0.4 मि. मी. से अधिक नहीं होगी।

4.2 रियर हब संयोजन अपनी धुरी पर घुमेंगे। गेज चूड़ीदार भाग की परिधि पर मापा जाएगा तो सकेन्द्रीयता 0.4 मि. मी. से अधिक नही होगी।

4.3 रियर हब संयोजन अपनी धुरी पर घुमेंगे। जब गेज चूड़ीदार भाग की परिधि पर मापा जाएगा तो सकेन्द्रीयता 0.4 मि मी. से अधिक नहीं होगी।

4.4 परत परीक्षण—

4.4.1 आसंजन परीक्षण—परिशिष्ट–1 के अनुसार

4.4.2 फैरोकिसल परीक्षण—परीशिष्ट-1 के अनुसार

20. फोर्कफिटिंग्स

1. डिजाइन और विमाएं:—

1. डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच करार के अनुसार होगी। क्रेता की इच्छानुसार फोर्क के एक सैट में 5 से 7 नग हो सकते हैं।

2. कारीगरी और फिनिश:—

2.1 कटे की फिनिश चिकनी, खुरदरेपन से खरोंचों और औजार चिन्हों से मुक्त होगी। रेसरों की बियरिंग सतहों को उचित रूप से पालिश किया जाएगा।

2.2 स्क्रू रेसरों और चैंक नटों की चूड़ियां पूरी और सही होंगी।

2.3 फ्रेम का कप और चैंक नट पर निकल या क्रोम की परत चढ़ी होगी और वह दृश्यमान परत दोषों जैसे गड्ढे, उठानों, धुधले धब्बों, बिना परत चढ़े भागों, दरारों या धब्बों से मुक्त होंगे।

3. कठोरता:—

3.1. थ्रास्ट रेसर के निचले सिरें, क्राउन रेसर और रफ्करेसर का 5 किलोग्राम भार पर न्यूनतम 400 उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए उष्मा उपचारित किए जाएंगे। इस्पात गोली की न्यूनतम कठोरता 5 किलोग्राम एफ भार पर हाई कार्बन के लिए न्यूनतम 600 एच बी और हाई कार्बन हाई क्रोमियम के लिए न्यूनतम 700 एच बी होगी।

21. सामान के लिए कैरियर

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच करार के अनुसार होंगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 सामान के लिए कैरियर नुकीले किनारों, खुरदरेपन और अन्य विनिर्माण दोषों से मुक्त होंगे।

2.2 सामान के लिए कैरियर को पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा ताकि वह जंग, खरोचों, तैलीय पदार्थों से मुक्त हो और फिर उस पर रासायनिक फास्फर या स्टोव इनेमल, रंगलेप छिड़काव किया जाएगा या अन्यथा अच्छे परिरूपण करने के लिए परिसंसित किया जाएगा। कैरियर पर कैडमियम या निकल और क्रोम की परत भी चढ़ी हो सकती है।

2.3 पेंटिंग झरियों, उठानों, असमानताओं या खरोचों से मुक्त होगी। परत दृश्यमान परत दोषों जैसे गड्ढों उठानों, धुधले धब्बों बिना परत चढ़े भागों दरारों या धब्बों से मुक्त होगी। परत आधारित धातु पर अच्छी तरह से आसंजित होगी और रंध्र रहित होगी।

3. परीक्षण :

3.1. सामान के लिए कैरियर में लगाए गए स्प्रिंग के ठोस गुण का परीक्षण कैरियर को 50 बार खोलकर और बन्द करके किया जाएगा। इस परीक्षण के उपरांत कैरियर के कार्य करने में कोई विपरीत प्रभाव नही दिखना चाहिए यह परीक्षण केवल स्प्रिंग वाले भार कैरियर पर लागू होगा।

3.2 नमक घोल परीक्षण—परिशिष्ठ 1 के अनुसार

3.3 आसंजन और फैराकिसल—परिशिष्ट 1 के अनुसार

22. हैंडिल छड़ें

1. सामग्री :

1.1 हैंडिल छड़ें मोड़ और स्तम्भ (स्टेम) हैं आर/डब्ल्यू इस्पात की ट्यूबों से बनी होगी।

2. डिजाइन और विमाएं :

2.1 डिजाइन और विमाएं निम्नलिखित अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी :—

हैंडल छड़ का बाहरी व्यास—22.28 मि. मी.
22.09 मि. मी.

3. कारीगरी और फिनिश :

3.1 हैंडिल छड स्तम्भ बीच के छल्ले पर चौकोर फिट किया जाएगा और ठीक प्रकार से टांका लगाया जाएगा इसके मुड़े भाग पर विकृत व्यास 2.0 मि. मी. से अधिक नहीं होगी।

3.2 लीवर शलाका का संचालन बिना किसी रुकावट हिलाने के होगा ।

3.3 विस्तारक बोल्ट पर 7.94×26 टी पी आई की चूड़ियां होंगी। तार की लम्बाई 35 मि. मी. से कम नहीं होगी। बोल्ट का समुचित शंकु और वाशर होगा। शंकु की न्यूनतम मोटाई 9 मि. मी. और विस्तृत परिधि 19.5 मि. मी. और 2.6 मि. मी. की होगी। कोण पर टेपर 5° से 7° के बीच में होगी। वाशर की न्यूनतम मोटाई 1.5 मि. मी. होगी।

3.4 हैंडिल छड़ पर उपयुक्त दस्ती मूठ फिट किया जाएगा। मूठ आकार और आकृति में एक सार होगी और विनिर्माण दोषों के मुक्त होगी। हैंडिल छड़ के सभी पुर्जे निकल और क्रोमियम की परत चढ़े होंगे। केवल हैंडिल छड़ों के लिए प्लेटिंग में निकल की परत की मोटाई 0.008 मि. होगी। यदि विदेशी क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा की गई तो विद्युत गाल्वनीकृत स्प्रिंग भी अनुज्ञेय होंगे।

4. परीक्षण:—

4.1 मजबूती परीक्षण:—कमानी की मजबूती की जांच पूर्ण नियंत्रण 50 बार लीवर छड़ों को पूर्णतः दबाने और छोड़ने से किया जाएगा। लीवर छड़ें 50 संचालकों के पश्चात् साधारण स्थित में आ जाएगी।

4.2 भार परीक्षण:—हैंडिल छड़ दस्ती स्तम्भ पर (पकड़ बिन्दु में लगे हुए विस्तारक बोल्ट और शंकु और स्तम्भ को हटाने के पश्चात्) इस रीति से लगाया जाएगा कि स्तम्भ उर्ध्वाकर हो और शाफ्ट व्यास जो 56 मि. मी. है से ढाई गुने के बराबर गहराई तथा फिक्सिंग बिन्यासों में प्रविष्ट हो। 45 किलोग्राम भार बच्चों की साईकिल के लिए 35 किलोग्राम (सिरे) (बाई से दाएं) से 13 मि. मी. दस्ती के प्रत्येक सिरे पर धीरे-धीरे और साथ-साथ लागू किया जाएगा और उसी अवस्था में दो मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। हैंडिल बार के सिरों पर स्थायी सैट (बच्चों की साईकिल के लिए 2.50 मि. मी.) 2 मि. मी. से अधिक नहीं होगा।

4.3 विद्युत लेपन :

4.3.1 आसंजन परीक्षण—परिशिष्ट-1 के अनुसार

4.3.2 फैरोक्सिल परीक्षण—परिशिष्ट-1 के अनुसार

23. चैन गार्ड

1. डिजाइन और विमाएं:—

1.1 डिजाइन और विमाये क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :—

2.1 चैन गार्ड को पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा जिस से कि वह जंग, खरोंचों और तैलीय पदार्थों से मुक्त रहें और फिर रासायनिक रूप से फास्फेट और स्टोव एनेमल, पेंट छिड़काव किया जाएगा या अन्यथा चमकदार परिरुपण करने के लिए निकल और क्रोम की परत चढ़ायी जाएगी।

2.2 पेंटिंग झुर्रियों, उठानों, विषमताओं और खरोंचों से मुक्त होंगी। परत दृश्यमान दोषों से मुक्त होगी।

3. परीक्षण:—

3.1 लवण धोल परीक्षण—परिशिष्ट-1 के अनुसार

3.2 आसंजन और फैरोक्सिल परीक्षण—परिशिष्ट-1 के अनुसार

24- चैन

1. डिजाइन और विमाएं :—

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार 1/2" × 1/8 (12.7/3.00 मि० मी० चैनों के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए होंगी।

(क) रोलर का अधिकतम व्यास—7.75 मि.मी.

(ख) आन्तरिक कड़ी की ऊपरी अधिकतम चौड़ाई 5.89 मि.मी.

(ग) बाहरी प्लेटों के मध्य की न्यूनतम चौड़ाई 5.75 मि.मी.

(घ) बियरिंग पिन के ऊपर अधिकतम चौड़ाई—10.16 मि.मी.

(ङ) 12.7 किलो के भार के + 2.1 मि.मी.

अन्तर्गत चैन की लम्बाई पर सहायता—0.0 मि.मी०

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 संघटक खुरदरेपन और नुकीले किनारों से मुक्त होंगे। चैन पर जंग रोधी तेल या ग्रीस का लेप किया जाएगा।

3. कठोरता :

3.1 चैन की कतिपय संघटकों की कठोरता निम्नलिखित होगी :—

(क) पिन-5 किलोग्राम एफ भार पर उच्च वोल्टता न्यूनतम।

(ख) प्लेट और ब्रुश/रोलर-5 किलोग्राम एफ भार पर 384 उच्च वोल्टता न्यूनतम.

4. परीक्षण :

4.1 टूटन भार परीक्षण-चैन में 127 मि.मी. लम्बे कटे भाग परीक्षण मशीन के शैकलों से जोड़ा जाएगा और अक्षीय खिचाव किया जाएगा। चैन 820 किलोग्राम से कम भार पर नहीं टूटेगी।

25. साईकिल स्टैंड

1. डिजाइन और विमाएं :

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 स्टैंड नुकीले किनारों, खुरदरेपन और अन्य विनिर्माणकारी दोषों से मुक्त होंगे ।

2.2 स्टैंड को अच्छी प्रकार से साफ किया जाएगा जिससे की वह जंग, खरोंचों तथा तैलीय पदार्थों से मुक्त हो, और फिर रासायनिक रूप से काफिर किया जाएगा और स्टोव एनेमल रंग स्प्रे किया जाएगा या अन्यथा चमकदार फिनिश के लिए अच्छी फिनिश की जाएगी। स्टैंड पर भी कैडमियम या निकल और क्रोम की परत चढ़ी होगी ।

2.3 पैंटिंग, झुर्रियों, उठानों विषमताओं और खरोंचों से मुक्त होगी। परत दृश्यमान परत दोषों जैसे गड्ढ़ों, धुंधले, धब्बों, बिना परत चढ़े भागों, दरारों या धब्बों से मुक्त होगी। परत मूल धातु पर मजबूती से जमी होगी और जंग रहित होगी ।

3. परीक्षण :

3.1 साईकिल स्टैंड में प्रयुक्त स्प्रिंग के मजबूती की जांच स्टैंड के 50 बार कार्य करने से की जाएगी। इस परीक्षण के पश्चात, स्टैंड के कार्य करने में कोई दोष नहीं दिखना चाहिए ।

3.2 लवण घोल परीक्षण-परिशिष्ट-1 के अनुसार

3.3 आसंजन परीक्षण-परिशिष्ट-1 के अनुसार

26. फ्रेम

1. सामग्री :

1.1 चैन स्टे और सीट स्टे को संभालने वाला फ्रेम ई. आर. डब्ल्यू. इस्पात की ट्यूब से बनाया जाएगा। अस्तरण और पकड़ नर्म इस्पात से बने होंगे ।

1.2 बी.बी. शैल मृदु इस्पात से या अधातवर्ध्य ढलवां लोहे में से बना होगा और बी.बी. शैल पर चूड़ियां 24 टी पी आई या 26 टी पी आई की होगी ।

2. डिजाइन और विमाएं–

2.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी ।

3. कारीगरी और फिनिश :

3.1 ट्यूबें वर्गाकार रूप में क्रमशः अपनी-अपनी पकड़ के साथ फिट होंगी और निचले ब्रेकिट की धुरी फ्रेम की सतह पर लम्बाकार होंगी ।

3.2 फ्रेम को जंग, खरोंचों और तैलीय पदार्थों से मुक्त करने के लिए रेत विस्फोटक, स्यूनीकृत विस्फोटक या पिकलिंग से अच्छी तरह साफ किया जाएगा । इसको फिर रासायनिक रूप से अंगरोधी बनाया जाएगा और चमकदार फिनिश करने के लिए स्टोव इनेमल किया जाएगा ।

3.3 पेंटिंग के पश्चात् चूड़ी पर अच्छी तरह ग्रीस लगाई जाएगी ।

4. परीक्षण :

4.1 फ्रेम के निम्नलिखित परीक्षण किए जाएंगे ।

4.1.1 ध्वनि परीक्षण:— फ्रेम को 1/2 किलोग्राम के इस्पात के हथौड़े से जोड़ों के पास चोट लगाई जाएगी और उससे स्पष्ट धात्विक ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए।

4.1.2 संरेखण परीक्षण/फ्रेम का उचित संरेखण किया जाएगा और समुचित फिसुवर जांच की जाएगी।

4.1.3 भार परीक्षण :—इस परीक्षण के लिए फ्रेम पर चैन स्टे बैच पर लेप चढ़े हुए उचित कर्णक पर इस रीति से किया जाएगा कि जिससे कि वह रोलर आलंक पर टिक सकें फ्रेम को उन बिन्दुओं पर जहां हैंडिल बार और सीट जुड़े हैं: क्रमशः 23 किलोग्राम एफ तथा 82 किलोग्राम एफ का किलोग्राम एफ का भार लादा जाएगा। भार में (बच्चों की साईकिल के लिए 75 किलोग्राम एफ) 100 किलोग्राम एफ और 350 किलोग्राम एफ (बच्चों की साईकिल के लिए 260 किलोग्राम एफ) भार, वृद्धि की जाएगी। अधिकतम भार दो मिनट के लिए रखा जाएगा और फिर हटा लिया जाएगा। पहले परीक्षण में देखी गई किसी भी विकृति पर गौर नहीं किया जाएगा और फ्रेम के पश्चात् वाली तीन परीक्षणों में निचले ब्रेकेट पर 0.15 मि.मी. से अधिक कोई भी विकृति नहीं होनी चाहिए ।

4.2 रोटिंग के लिए परीक्षण :—

(क) बॉल ड्राप परीक्षण—परिशिष्ट I के अनुसार

(ख) लवण घोल परीक्षण-परिशिष्ट-I के अनुसार

27. पश्च दृश्य दर्पण

1. डिजाइन और विमाएं :—

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगी ।

2. कारीगरी और फिनिश :

2.1 दर्पण चारों ओर ठीक प्रकार से लगाया जाएगा। पृष्ठ भाग धातु, प्लास्टिक, पी.वी.सी. या किसी भी समुचित सामग्री का बना होगा जो नुकीले कोनों और किनारों से मुक्त होगा।

2.2 फ्रेम व कांच के बीच में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा।

2.3 दर्पण में समुचित स्थायी छड़ स्थायी क्लिप और नट लगी होगी ।

2.4 दर्पण के चारों ओर लगी छड़ क्लिप और धातु पर निकल तथा क्रोम की परत चढ़ी होगी या एनोडकृत होगी। जब परत की जाए तो दृश्यमान परत दोषों जैसे गड्ढ़ों, उठानों, धब्बों या बिना परत चढ़े भागों, दरारों या धब्बों से मुक्त होंगे। लगाने वाला क्लिप भी पी.वी.सी. रबड़ की बनी होगी

2.5 लगाने वाली छड़ और ढिबरी पर उचित चूड़ियां होगी।

28. रिम टेप और बकल

1. डिजाइन और विमाएं :–

1.1 डिजाइन और विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी।

1.2 टेप निम्नलिखित के अनुसार होगी :—

(1) चौड़ाई न्यूनतम 11.0 मि.मी.,

(2) पूरी चौड़ाई में किनारे में न्यूनतम 18 अधिकतम 25

2. कारीगरी और फिनिश :—

2.1 टेप ठीक प्रकार से बने होंगे नरम इस्पात से बने हुए बकल टिन किए हुए या गोल्बनीकृत होंगे। बकल नुकीले किनारों और खुरदरेपन से मुक्त होंगे।

3. परीक्षण :–

3.1 20 सें.मी. पट्टी की लम्बाई पर पूर्ण चौड़ाई पर नापा गया टूटन भार 18 किलोग्राम एफ से कम नहीं होगा।
2.0 सभी साईकिल संघटकों की अनुरूपता के लिए नमूना लेना और मापदंड—

प्रत्येक परीक्षण के निरीक्षण के लिए नमूना लेने का कार्य और अनुरूपता के लिए मापदण्ड नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी :—

सारणी

लॉट आकार	चाक्षुष और विमाओं की जांच के लिए नमूना आकार	अन्य सभी परीक्षणों के लिए नमूना आकार से लिए जाने वाले उप-नमूना आकार	दोषों की अनुज्ञेय संख्या स्तम्भ 2 के लिए	दोषों की अनुज्ञेय संख्या स्तम्भ 3 के लिए
50 तक	3	1	0	0
50 से 100 तक	5	1	0	0
101 से 300	8	2	0	0
301 से 500	13	3	1	0*
501 से 1000	20	3	1	0*
1001 से 3000	32	5	2	1
3001 और उनसे अधिक	50	6	3	1

एक नमूने के असफल होने की दशा में 3 और नमूने निकाले जाएंगे और यदि फिर कोई असफलता नहीं होती है तो परेषण पास कर दिया जाएगा।

3.0 चिन्हन: जब तक विदेशी क्रेता अन्यथा विनिर्दिष्ट न करें पुर्जों पर विनिर्माता का नाम, व्यापार चिन्ह या पहचान से पढ़े जाने योग्य रूप से चिन्हित किए जाएंगे।

4.0 पैकिंग: क्रेता के अनुबंध के अनुसार पुर्जों को इस रीति से पैक किया जाएगा जिससे कि बिना किसी हानि के उसके गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित हो जाए। पैकिंग के लिए परीक्षण :—

पैकिंग की फिनिश अच्छी होगी और देखने में सुन्दर होगी पैकेज इस प्रकार का होगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आन्तरिक वस्तुएं नीचे दिए गए ड्राप परीक्षण, रोलिंग परीक्षण और जल फुहार परीक्षण में सही उतरगी।

1. ड्राप परीक्षण :– (केवल मुख्य भारों तक आधारित) 150 सें.मी. ऊंचाई से गिराया जाने वाला पैकेट एक बार सबसे बड़ी सपतल सतह पर एक बार सबसे लम्बे किनारे पर और एक बार उसके किसी भी कोने में गिराया जाएगा।

2. रोलिंग परीक्षण:—(केवल 500 किलोग्राम भार तक निबंधित) पैकेजों को किसी भी ओर से 6 मीटर आगे की ओर तथा 5 मीटर पीछे की ओर या 12 मीटर एक ही दिशा में लुढ़काया जाएगा।

3. जल फुहार परीक्षण :—पैकेज को एक मिनट के लिए सामान्य आकस्मिक मानसून बौछार से समतुल्य जल फुहार में रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

पेंटिंग के लिए परीक्षण :

1. बाल ड्राप के परीक्षण :

(केवल स्टोव इनेमल के लिए)

12 मि.मी. व्यास की एक ठोस इस्पात की बाल फ्रेम के किसी भी पेंट किए हुए भाग पर 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा। उस स्थान पर पेंट जहां इस्पात की बाल पेंट से टकराई है दरार या पपड़ी का कोई भी चिन्ह दिखाए बिना समाघात को सहन करेगा। तथापि उन मामलों में जहां बाल गिराने वाला परीक्षण किया गया है वहां यदि असफल हो जाते हैं या संदेहपूर्ण परिणाम देते हैं तो परीक्षण उसी नमूने पर किसी अन्य स्थान पर दोबारा किया जाएगा और उसी परेषण में से दो और नमूनों पर फिर से परीक्षण किया जाएगा। यदि तीन परीक्षणों में से नमूने परीक्षण में असफल नहीं होते हैं तो परेषण को बाल परीक्षण की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला समझा जाएगा।

लवण घोल परीक्षण :—

फ्रेम को नीचे विनिर्दिष्ट तापमान पर 5 प्रतिशत साधारण नमक के घोल में एक घन्टे तक डुबोकर रखा जाएगा। रंग ढीला नहीं होगा, पपड़ी युक्त नहीं उतरेगी या उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं करेगा।

काला इनेमल युक्त पेंट—80° सेंटीग्रेड

अन्य इनेमलयुक्त पेंट—60° सेंटीग्रेड

विद्युत लेपन के लिए परीक्षण :—

1. आसंजन परीक्षण :

परत चढ़ी वस्तु का कटा हुआ टुकड़ा शिकंजे पर कसा जाएगा और रेती से कटे हुए टुकड़े पर इस रीति से रगड़ा जाएगा जिससे कि कुछ चूर्ण इकट्ठा हो जाए। परत और आधारित धातु के मध्य कोई पृथकता नहीं होनी चाहिए।

2. फैरोक्सिल परीक्षण

(1) एक अच्छी क्वालिटी का कागज (सोखता कागज) परीक्षित किए जाने वाले क्षेत्र के आकार का लें जो परीक्षण किए जाने वाली सतह को सोखने के लिए पर्याप्त हो।

(2) साफ जिलैटिन (35° सेंटीग्रेड पर 30 ग्राम/लीटर) के घोल से कागज के एक ओर समरूप परत चढ़ाए और उसे सूखने दें।

(3) कागज की सतह पर शुद्ध एन ए सी एल घोल (30 ग्राम/लीटर) फैलाएं और उसे परीक्षा की जाने वाली सतह पर कागज की परत की हुई सतह की ओर से रख दें। सतह की एन ए सी एल घोल में गीले ब्रुश से एक समान ब्रुश करते हुए तर रखें।

(4) 10 मिनट के पश्चात कागज को हटा दें और पोटाशियम फैरोसाइनाइट (10 ग्राम/लीटर) के घोल में डुबो दें।

(5) कागज पर उत्पन्न नीले धब्बे परीक्षित क्षेत्र में रन्ध्रता सीमा का संकेत देते हैं।

(6) 1000 प्रति वर्ग मि.मी. में एक नीले धब्बे की अधिकतम संख्या तक इसे परीक्षण की अपेक्षा को पूरा करने वाली समझी जाएंगी।

टिप्पण :—यह परीक्षण करने के लिए केवल उन रन्ध्रों को गिना जाएगा। जिन्हें बिना किसी सहायता के देखा जा सकता है।

परिशिष्ट-II

साइकिलों का प्रत्येक विनिर्माता, इससे संलग्न अनुसूची में दिए गए नियंत्रण स्तरों के साथ निम्नलिखित उत्पादों के विनिर्माण/परिरक्षण और पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए साइकिलों का क्वालिटी नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

1. क्रय की गई सामग्री और संघटक नियंत्रण:

(क) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या संघटकों के गुण धर्मों को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता क्रय विनिर्देश तथा सहायताओं के साथ व्यौरेवार विधाएं अधिकथित करेगा।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने का उत्पादक का परीक्षण प्रमाणपत्र होगा या ऐसे परीक्षण प्रमाणपत्र न होने की दशा में प्रत्येक परेषण में से नमूनों की क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता की जांच करने के लिए नियमित रूप से परीक्षण किया जाएगा। उत्पादक के परीक्षण प्रमाणपत्र की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कम से कम पांच परेषणों में से एक की पुनः जांच की जाएगी।

(ग) आने वाले परेषणों की सांख्यिकीय नमूना योजना के लिए क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा।

(घ) निरीक्षण और परीक्षण किए जाने के पश्चात् उचित पृथक्करण और दोषपूर्ण नमूनों के निपटाने के लिए व्यवस्थित प्रणाली अपनाई जाएगी।

(ङ) उपरोक्त वर्णित नियंत्रणों की बाबत पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप में रखे जाएंगे।

2. प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर विनिर्माता द्वारा, विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपस्कर तथा उपकरण की सुविधाएं होंगी।

3. उत्पाद नियंत्रण :

(क) मानक विनिर्देश के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान हो।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना (जहां कहीं भी अपेक्षित हो) अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(ग) विनिर्माता, किए गए परीक्षणों की बाबत पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप से रखेगा।

4. माप संबंधी नियंत्रण : उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त गेजों और उपकरणों की कालिक जांच या उनका संशोधन किया जाएगा और अभिलेख वृत्त कार्ड के रूप में रखे जाएंगे।

5. परिरक्षण नियंत्रण :

(क) विनिर्माता, उत्पाद को मौसमी दशाओं के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित करने के लिए व्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) भण्डारण और अभिवहन के दौरान उत्पाद को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जाएगा।

6. पैकिंग नियंत्रण : उत्पादों को पैक करने और साथ ही निर्यात पैकेजों के लिए विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे और उनका दृढ़ता से पालन किया जाएगा।

अनुसूची

नियंत्रण के स्तर

क्रम सं०	अपेक्षाएं	संदर्भ	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	लॉट आकार
1	2	3	4	5
1.	धुरी संकेन्द्रीयता	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश	प्रत्येक	प्रत्येक पारी का उत्पादन
2.	हैंडिल छड़ भार परीक्षण	यथोक्त–	एक	–यथोक्त
3.	फ्रेम			
	(क) भारत परीक्षण	–यथोक्त–	एक	–यथोक्त–
	(ख) सत्यता	–यथोक्त–	प्रत्येक	–यथोक्त–
4.	चैन			
	(क) टूटन भार परीक्षण	–यथोक्त–	तीन	–यथोक्त–
5.	स्पोक और निप्पल			
	(क) चूड़ियां	–यथोक्त–	अधिकतम 12 नग तक 10%	–यथोक्त–
	(ख) झुकाव परीक्षण (केवल स्पोकों के लिए)	यथोक्त–	अधिकतम 20 नग तक 5%	–यथोक्त–
6.	हब विक्षेप परीक्षण	यथोक्त–	5 नग	प्रत्येक संयोजन मेज से प्रत्येक पारी का उत्पादन
7.	पेडल संयोजन में स्पिंडल झुकाव परीक्षण	–यथोक्त–	एक	प्रत्येक ताप का उत्पादन
8.	क्रैंक, चैन, पहिया संयोजन भार परीक्षण	–यथोक्त–	एक	प्रतिदिन का उत्पादन
9.	अगला चिमटा			
	(क) भार परीक्षण	–यथोक्त–	एक	–यथोक्त–
	(ख) विस्तार परीक्षण	–यथोक्त–	एक	–यथोक्त–
10.	मुक्त पहिया (फ्री व्हील) मम			
	(क) धुरी या ज्या विक्षेप परीक्षण	–यथोक्त–	पांच	उसी संयोजन मेज पर प्रत्येक पारी का उत्पादन
11.	रिम :			
	(क) संपीडन परीक्षण	–यथोक्त–	अधिकतम 5 तक 1%	प्रतिदिन का उत्पादन
	(ख) विधुत लेपन :			
	1. आसंजन	–यथोक्त–	एक	प्रत्येक बैच का उत्पादन
	2. मोटाई			
12.	विधुत लेपन :			
	1. आसंजन	–यथोक्त–	एक	–यथोक्त–
	2. मोटाई			

13. रंगलेप	प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विनिर्देश	तीन	प्रत्येक पारी का उत्पादन
14. कारीगरी और फिनिश :	—यथोक्त—	प्रत्येक	प्रत्येक पारी का उत्पादन
15. संघटक और पुर्जे :	—यथोक्त	प्रत्येक	—
(क) सहायताओं के भीतर विभाग			
1. क्रिटिकल	—यथोक्त—	प्रत्येक	—
2. अन्य	—यथोक्त—	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर पर्याप्त संख्या	—
(ख) कार्य क्षमता	—यथोक्त—	—यथोक्त—	
(ग) कठोरता	—यथोक्त—	तीन	प्रत्येक बुनाई से प्रत्येक प्रभार
16. पेकजिंग :			—
(क) रंगरूप	—यथोक्त—	प्रत्येक	—
(ख) ड्राप परीक्षण	—यथोक्त—	एक	प्रति परेषण
(ग) रोलिंग परीक्षण	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
(घ) जल फुवार परीक्षण	—यथोक्त—	—यथोक्त—	प्रति डिजाइन

[फाइल सं० 6(2)/85-ई०आई०एण्डईपी]

एन०एस० हरिहरन, निदेशक

S.O. 2652.—Whereas the Central Government is of the opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of the Export Trade of India, that the Bicycles shall be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules. 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, and in supersession of the Notification No. S.O. 4356, dated the 5th December, 1967, execept as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within fortyfive days from the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 11th floor, Pragati Tower, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) To notify that Bicycles shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Bicycles (Quality Control and Inspection) Rules, 1987, set out in Annexure-I to this Order as the type of quality control and inspection, which shall be applied to such bicycle prior to export.

(3) To recognise :—

(a) National and International Standards and Standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;

(b) the specifications of the export contract as agreed upon between the buyer and the seller subject to the minimum of the specifications set out in Annexure-II of this Order as the standard specifications for the Bicycles.

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such bicycles unless the same are either accompanied by a certificate issude by any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the Bicycles are exportworthy or affixed with a seal or mark recognised by the Central Government under section 8 of the said Act.

3. Nothing in this Order shall apply to the export of samples of Bicycle by land, sea or air upto a value of rupees five hundred.

4. In this Notification, 'Bicycle' shall mean a two or three wheeler vehicle having a random arrangement of wheels, a saddle for the rider, a stearing handle and crank for its propulsion by the feet of the rider and shall include its spare parts, components and accessories.

ANNEXURE-I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) in supersession of the Notification No. S.O. 4357 dated the 5th December, 1967, except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Export of Bicycles (Quality Control and Inspection) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Act;

(c) "Council" means Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) "approved unit" means a manufacturing unit approved by the agency under rule 4 as having satisfied the requirements of inprocess quality control.

(e) "Consignmentwise Inspection" means the process of determining whether a consignment of bicycles meant for export complies with the standard specifications by inspection and testing by the agency in a manner as laid down by the Council;

(f) "inprocess quality control" means a system of quality control by which a manufacturing unit ensures that bicycles are manufactured to conform to the standard specifications by exercising controls at different stages of purchase of materials and components, manufacture, inspection, preservation and packing in a manner as given in Appendix-II;

(g) "periodic visit" means a visit made by officers of the agency to the approved unit at intervals to ensure compliance of the requirements of inprocess quality control in the unit;

(h) "spot check" means inspecion by the agency of an export consignment offered by an inprocess quality control approved unit to ensure its conformity to the standard specifications in a manner as laid down by the Council;

(i) "bicycles" shall mean a two or three wheeler vehicle having a random arrangements of wheels, a saddle for the rider a stearing handle and crank for its propulsion by the feet of the rider and shall include its spare parts, components and accessories.

3. Basis of Inspection.—Inspection of bicycles shall be carried out with a view to ensure that the quality of the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, namely :—

(a) National and International standards and standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;

(b) The specifications of the export contract as agreed upon between the buyer and the seller subject to the minimum specifications set out in Annexure-II.

4. Procedure of the Inspection :

(i) Inprocess Quality Control.—Any manufacturing unit intending to export bicycles manufactured by it and having inprocess quality control shall apply to the agency intimating therein its intention to seek approval under inprocess quality control.

(ii) The agency shall arrange to assess adequacy of inproces quality control exercised by the manufacturing unit and if satisfied it shall declare the manufacturing unit as an approved unit.

(iii) For the purpose of satisfying itself that necessary inprocess quality control is continued to be maintained by the approved unit, the agency shall carryout periodic visits and spot checks.

(iv) The approval accorded to the unit under inprocess quality control may be withdrawn by the agency, as per norms laid down in this regard by the Council, after giving a notice to the manufacturing unit of minimum period of seven days.

(v) A unit, whose approval has been withdrawn, may after identifying the deficiencies, make fresh application to the agency for fresh approval.

(2) Consignmentwise inspection.—(i) Any exporter intending to export a consignment of bicycles shall submit an intimation for inspection, in writing, to the agency of his intention so to do and submit alongwith such intimation a declaration of the specifications giving details of all technical characteristics as stipulated in the export contract relating to such export not less than four days prior to offer of the consignment, to enable the agency to carryout inspection of the consignment, as per rule 3 and the above procedure.

(ii) The agency, on satisfying itself that the consignment conforms to the standard specifications and requirements of the Act, shall issue an inspection certificate for export within four days of receipt of the intimation.

(iii) Where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of four days, refuse, in writing to issue the certificate alongwith the reasons therefor.

5. Place of inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out—

(a) at the premises of the manufacturing unit; or

(b) at the premises at which the goods are offered for inspection, provided adequate facilities for the purpose exist therein; or

(c) at the port of shipment.

6. Inspection fee.—Inspection fee shall be paid by the exporter to the agency as under :—

(i)(a) For exports under inprocess quality control scheme at the rate of Rs. 0.2 percent of the FOB value subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

(b) For exports under consignmentswise inspection at the rate of Re. 0.4 percent of the FOB value subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

(ii) Subject to a minimum of Rs. 20 per consignment the rate shall be Re 0.18 percent and Re. 0.36 percent for (a) and (b) respectively for manufacturer-exporters who are registered as Small Scale Manufacturing units with the concerned Governments of State/Union territories.

(iii) For exports of items manufacturing by the units having adequate inprocess quality control levels and exported by merchant exporters at the rate of Re 0.3 percent of F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

7. Appeal :

(i) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (3) of Rule 4, may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a panel of experts as may be appointed for the purpose by the Central Government.

(iii) The quorm for the Panel be three.
non-officials of the total membership of the panel of Experts.

(iii) The quorm for the Panel shall be three.

(iv) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE—II

1.0 MINIMUM SPECIFICATIONS FOR BICYCLE PARTS

1. BELL

1. Design and dimensions.

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish.

2.1 The parts shall be free from burrs, scratchs and other manufacturing deffects.

2.2 The bell dome and lever shall be nickel and chrome plated with a minimum nickel thickness of 0.008 mm on the outside. The plating shall be uniform and free from plating defects such as pits, blisters, unplated spots, cracks and stains. The plating shall adhere firmly to base metal and shall be nonporous. All other parts and inside of the dome shall be suitably treated to prevent rust. The lever may also be galvanised or zinc plated.

3. Performance

3.1 The bell shall operate smoothly and produce a clear ringing metallic sound.

4. Testing

4.1 Adhesion test—As per Appendix—I.

4.2 Ferroxyl test—As per Appendix—I.

2. BOTTOM BRACKET AXLE

1. Design and dimensions

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following :—

	Type-I	Type-II
(a) Bearing Portion dia	Min.16.45 mm	16.45 mm
	Max.16.65 mm	16.65 mm
(b) Crank portion dia	Min.15.65	15.80 mm
	Max.15.82	16.00 mm
(c) Thickness at cutter Pin slot	Min.12.60 mm	12.30 mm
	Max.12.90 mm	12.70 mm
(d) The tolerances on overall length shall be $\pm$1.0 mm		

(e) The minimum distance between the end edge of the axle and the nearest edge of the cotter pin slot shall be minimum 3 mm.

2. Workmanship and finish

2.1 The axle shall be finished smooth, free from burrs, scratches and other manufacturing defects. The Permissible eccentricity between the two bearing surfaces shall not exceed 0.30 mm.

2.2 The axle shall be chemically coloured or electroplated. When electroplated, the surfaces shall be free from plated defects such as pits, blisters, unplated spots and cracks.

3. Hardness

3.1 The axle shall be suitably heat, treated. The Hardness shall be between 400 HV and 800 HV at 30 kgf load.

3. BOOTOM BRACKET CUPS (Adjustable & Fixed)

1. Design and dimensions

1.1 The design and dimensions of bottom braket cups shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following :

(a) The minimum inside depth and overall width of various types of cups shall be as follows :—

	Min. inside depth in mm.	Overall in mm
1. Fixed type I	10.5	13.9
2. Fixed type II	8.8	12.2
3. Fixed type III	8.50	12.50
4. Adjustable Type I	10.5	13.9
5. Adjustable Type II	10.0	13.4
6. Adjustable type III	10.50	13.90

(b) Inside diameter of the cups at the outer end—
Min. 29.8 mm

Ma. 30.2 mm.

2. Workmanship and finish

2.1 The cups shall be free from burrs, scratches and tool marks. The bearing fortion shall be properly polished.

2.2 The thread shall be 34.8 x 24 TPI or 34.8 x 26 TPI or 35 x 1 mm pitch bicycle threads RH or LH or as required by the buyer, for adjustable and fixed cups as the case may be. The threads shall be fully formed and true. The maximum and minimum major diameter should be as per tolerances given in relevant IS Specification.

2.3 The cups shall be chemically coloured or electroplated when electroplated, they shall be free from plating defects such as pits, blisters, unplated spots and cracks.

3. Hardness

3.1 The bottom brackets cups shall be suitably heat treated. The hardness shall be min. 400 HV at 30 kgf load.

4. BOTTUM BRACKET LOCK RING

1. Design and dimensions

1.1 The design and dimensions of bottom bracket lck ring shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following :

(i) Thickness—2.75 mm min.

(ii) Inside threading shall be bicyle threads of 34.8 x 24 TPI or 26 TPI or 35 x 1 pitch RH or as required by the buyer.

2. Workmenship and finish

2.1 They shall be free from sharp corners, burrs and other manufacturing defects.

2.2 The threading shall be fully formed and true.

2.3 Ring shall be chemically coloured or electroplated. When electroplated, the same shall be free from plating defects such as pits, blishters, unplated spots and cracks.

5. Brakes

1. Design and dimensions

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish.

2.1 Brake parts shall be free from burrs and sharp corners. The rivetting shall be proper.

2.2 Brake links shall be drilled concentrically.

2.3 Threading of nuts and screws shall be proper.

2.4 Brake parts shall be either nickel and chrome plated or stoke enamelled having a smooth finish or shall be galvanised. The plating shall be free from visible plating defects such as pits, blisters, unplated spots, cracks or stains. Brake stirr up when nickel and chrome plated shall have a minimum nickel thickness of 0.006 mm and for children bicycle same shall be 0.005 mm

3. Hardness

3.1 The hardness of brake shoe rubber shall be between 70° to 90° scheloroscope.

4. Test

4.1 Electroplating :

(a) Adhesion test—as per Appendix-I.

(b) Ferroxyl test—as per Appendix-II.

6. PUMPS

1. Design and dimensions

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish.

2.1 The pump shall be free from burrs and sharp corners.

2.2 Threading in the pump connections and in the pump body shal be proper.

2.3 The working of the pump shall be smooth.

2.4 There shall be no leakage of air from the joint of pump connection to the body or the joint of connection with the tube.

2.5 The pump may be nickel and chrome plated with a minimum nickel thickness of 0.008 mm or stove enamelled to a smooth finish. When plated it shall be free from visible plating defects such as pits, blisters, cloudy patches, unplated spots, cracks or stains.

2.6 The plating shall firmly adhere to the base metal and shall be non-porous . When plated it shall withstand the test given at 3.2 and when nickel and chrome plated it shall meet the requirements given at 3.3.

3. Tests

3.1 Performance test—The pump shall be capable of developing a pressure of 1 kg/cm

3.2 Salt solution test—As per Appendix-I.

3.3 Electroplating

(a) Adhesion test—As per Appnedix-I.

(b) Ferroxyl test—As per Appendix-I.

7. CHANWHEEL AND CRANK

1. Design and dimensions

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following requirements.—

	Type-I	Type-II
(a) Gear Case clearance	Min.8.9 mm	Min.8.9 mm
(b) Diameter of axle hole	Min.15.85 mm Max.16.00	Min. 16.00 Max.16.15
(c) Diameter of cotter in	Min.9.4 mm Max.9.7 mm	Min.9.0 mm Max.9.15mm
(d) Thickness of the crank at the pedal hole.	Min.9.5 mm	Min.9.50mm
(e) Thickness of the LH crank around B.B. axle hole.	Min.17.5 mm	Min.17.50mm
(f) Wall thickness of the crank around B.B. axle hole.	Min. 6.15 mm (Minimum 5.00 mm for children bicycle..	
(g) Circular pitch of the teeth of chainwheel	12.70 mm shall be checked with corresponding chain.	
(h) Threading on pedal axle hole.	14.3 x 20 TPI or 14.00 x 1.25 mm pitch LH or RH,forLH and RH crank respectively.	

(i) Tolerance on overall length of the crank shall be ±3 mm.

(j) Distance between central line of the B.B. Axle hole and the centre line of cotter pin hole shall be 7.8 to 8.2 mm for Type II and 8.0 to 8.4 mm for Type-I.

(k) Thickness of the chain wheel shall not be less than 2.62 mm.

2. Workmanship and finish

2.1 The crank shall not have any forcing defects such as cracks, pits and scales. The crank shall be finished smooth and sharp edges rounded off.

2.2 The Chainwheel shall be true in one plane. The teeth shall be accurate and true and suit the bicycle chain. The chain wheel shall be free from burrs, cracks and other defects and concentric with the hole of the crank for central axle.

2.3 The crank and chainwheel shall be nickel and chromium plated. The minimum thickness of plating shall be 0.008 mm for nickel. The plated surface shall be free from visible plating defects such as pits, blisters, unplated spots, cracks or stains. The plating shall adhere firmly to the base metal and shall be non-porous.

3. Tests

3.1 Electroplating

3.1.1 Adhesion test—As per Appendix-I.

Ferroxyl test—As per Appendix-I.

3.2 Load test—The crank chainwheel assembly shall be rigidly fixed in a plane vertically having the crank horizontal and weight shall be applied through the hole for pedal spindle. The assembly shall sustain a weight of 180 kg at the pedal hole without breaking or yielding of the joints. For children bicycle the Assembly shall sustain a weight of 150 kg at the pedal hole wihtout breaking or yielding of the joints.

8. COTTER PINS

1. Design and dimensions

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following :—

	Type-I	Type-II
(a) Minimum length of tapering portion	18 mm	18 mm
(b) Thickness at the smaller end of taper	Min.7.4 mm Max.7.8 mm	Min.7.0 mm Max.7.40 mm
(c) Diameter of the bigger end of the taper.	Min.9.3 mm Max.9.55 mm	Min.8.80 mm Max.9.00 mm
(d) Minimum length of threaded portion—	10 mm	
(e) Threading—6.7 x 26 TPI or 17 x 1 mm pitch RH. The Cotter pin shall be supplied with suitable washers and nuts.		

2. Workmanship and finish.

2.1 The slope and cut of the cotter pins shall be uniform and facilitate accurate and tight fittings of the crank on the centre axle.

2.2 The threading shall be smooth and accurate so as to facilitate tightening of the nuts to keep the cranks free from any shake or play.

2.3 Cotter pins, washers and nuts shall be either chemically coloured or coated with zinc, cadmium or nickel chrome.

9. DYNAMO

1. The design and dimensions shall be as per the agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish.

2.1 The components shall be free from burrs and sharp conners.

2.2 Magnet should run free and true on its axis. The maximum eccentricity shall not be more than 0.2 mm (0.008").

2.3 The synthetic bearing shall run concentric with maximum eccentricity of 0.05 mm.

2.4 The eccentricity of the roller in the assembly shall not exceed 0.05 mm.

2.5 (i) The dynamo head and tail light shall be nickel and chrome plated with a minimum nickel thickness of 0.01 mm. The plating shall be free from visible platnig defects such as pits, blisters, cloudy patches, unplated spots, cracks or stains. The plating shall firmly adhere to the base metal and shal be non-porous.

(ii) The tail light and head lamp may be made out of any suitable plastic.

(iii) The dynamo tail light and head light may be enamelled also.

2.6 The inside of the head and tail light shall be provided with anti-rust coating.

2.7 The dynamo shall be supplied with suitable head and tail light fitted with bulbs, dynamo clamp, body set clamp and connecting wires.

3. Tests

3.1 (i) Performance test—(a) the dyamo shall be tested at a speed of 10 mph or 16 km/H and the voltage generated shall not vary by more than 10 % of its rated voltage.

(b) The bracket shall be operated 50 times for checking the performance of spring which will not show any sign of damage at the end of the test.

(ii) Electroplating—

(a) Adhesion test—as per Appendix I.

(b) Ferroxyl test—as per Appendix I.

10. SPOKES AND NIPPLES

1. Material

1.1 The spokes shall be made from valvanished high carbon steel wire having an ultimate tensile strength from 100 to 130 kgf/mm2.

2. Design and dimensions

2.1 The design and dimensions of the spokes and nipples shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following dimensions and tolerances :—

Spoke

(a) Nominal wire dia	± 0.03 mm
(b) Total length	± 0.0 mm — 1.00 mm
(c) Threaded length min.	10 mm
(d) Angle of bend	95° + 5° — 0°

Nipples

(a) Total length Min. 10.5 mm

(b)

Spoke Wire mm	15G (1.8 mm)	14G (2.0 mm)	13G (2.3 mm)	12G (2.64 mm)	10G (3.25 mm)
Niple head dia mm	6.0	6.0	7.3	7.3	9.2
Square portion mm	3.26	3.29	3.8	3.8	5.0

Tolerance on nipple head dia	±0,5 mm —0.1 mm
Tolerance on square portion	±0.13 mm

3. Workmanship and finish

3.1 Threading on the spokes should be such as to ensure smooth fit between the niple and spock and to ensure interchangeability.

3.2 The spokes shall be supplied either galvanised or nickel plated.

3.3 The nipple shall be nickel plated and shall be free from visual defects.

3.4 The washer may be galvanised, tinned or plated.

4. Tests

4.1 Bend test—The spoke shall be bent backward and forward for atleast 3times through an angle of 180° over a redious equal to its own diameter without showing any sign of fracture. The first bend o f90° shall not be counted.

4.2 Coating Test—The spokes after being cleaned with methylated spirit shall be subject to one dip of 30 seconds duration in copper sulplate solution of specific gravity 1:86 (at 18±2°C). The spoke at the end of the test shall not show any red deposit after washing in water.

4.3 Electroplating—Adhesion test—As per Appendix I.

11. FREE WHEEL

1. Design anud dimensions

1.1 The design and dimensions of free wheel shall be as per agreement between the buyer and the seller. The shape of the teeth on the sprocket shall be such as to suit the bicycle chains.

1.2 The main body shall have bicycle threading of 34.8 X 24 TPI or 34.7 X 1 mm pitch for fitting on the rear hubs. The tolerance as given in relevant IS or BS will be followed on thread gauges for checking the threads on the freewhell For children bicycle the main body shall have bicycle threading 0.970" X 26 TPI or its equivalent.

2 Workmanship and finish.

2.1 The inside of ball races shall be finished smooth to ensure free running of balls.

2.2 The components shall be thoroughly washed and the ball races charged with grease before assembly.

3. Hardness.

3.1 The components shall be hardened to a minimum hardness as stated under : —

* (i) Freewheel Chain Sprocket	400HV at 5kgf load
(ii) Screw besel	400 HV at 5 kgf load
(iii) Main body	400HV at 5kgf load
(iv) Steel balls	600 HV for high carbon & 700 HV for high carbon high chromium at 5 kgf load.
(v) Pawls	444 HV at 5 kgf load.

*for multispeed freewheels the hardness shall be 350 HV.

4. Tests.

4.1 Rotation Test—The freewheels the shall rotate freely without undue friction and shake.

4.2 Deflection test—The freewheel when suitably mounted and the chain sprocket rotated, shall not have an axial or radial deflecton of more than 0.4 mm. For multispeed freewheeled the maximum permissible axial and radial deflection shall be 0.8 mm and 0.5 mm respectively. The deflection shall be measured at the circular edge of the freewheel. Freewheels when checked at tooth bottom for both radial and axial deflection, the value should not be more than 0.5 mm both for radial and axial deflection.

12. FRONTFORK

1. Design and dimensions.

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following:—

(a) Fork column shall be made out of 25.4X1.62 mm tube.

(b) The inner diameter of the column shall be reamed to the size of 22.83 mm max. and 22.25 mm min.

(c) Minimum threading length on the column shall be 25 mm.

(d) The diameter of the fork corner shall be between 26.67 mm and 26.77 mm or between 27.00 and 27.10 mm. For children bicycle the diameter of the fork corner shall be 26.75mm ± 1 mm or 27.10 .1 mm.

(e) The minimum distance between the fork legs at a distance of 50.8 mm from the base of the crown shall be not less than 50.8 mm.

(f) Threading of fork column shall either be 25.4 mmX 24/26 TPI or 25 X 1mm 1 SO metric or its equvalent.

2. Workmanship and finish.

2.1 The stem and the two legs of the fork shall be fitted squarely through liners into the fork crown and the joints shall be properly brazed. The two legs shall be symmetrical with the centre line of the stem.

2.2 The axis of the hub shall be perpendicular to the centre line. The fork ends shall be parallel and square, the threads shall be so formed as to facilitate easy fitting and replacement.

2.3 The forks shall be thoroughly cleaned, rust-proved. Stove enamelled or electroplated to give a good finish. The painting shall be smooth and free from defects.

2.4 Crown cover shall be made out of either brass or steel suitably electroplated.

3. Tests.

3.1 The fork shall be tested for the following :

3.1.1 Sound test for brazing :—The fork shall be struck with a steel hammer of 1/2kg. on the legs and the column. The sound shall be clear.

3.1.2. Load Test—The fork shall be clamped rightly on its stem with its axis horizontal and the fork leg ends turned upward keeping the fork crown clear of the clamps jaws by 8 mm. A vertical load shal be applied on the fork ends, just where the front hub axle is to be fitted so that the load acts on both ends equally, the load shall be increased gradually until it reaches 45 kg. (For children bicycle the load shall be 40 kg). he fork shall be kept in this loaded state for 30 seconds. The fork with box-type crown shall not show a permanent set of more than 1.6 mm at the point of loading after the load is removed. For other design of forks like double tube, eyelet type and sports type, the permanent set shall not be more than 2.5 mm.

3.13 Expansion test.—The distance between the free ends of a fork legs when expanded by 13 mm (10 mm for children bicycle) by pushing them over a mandrel or any suitable device, shall not show any measurable permanent increase under ordinary methods of measurement.

3.1.4 Test of painting—

(a) Ball drop test—as per Appendix-I.

(b) Salt solution test—as per Appendix-I.

3.1.5. Elyectroplating—

(a) Adhesion test—As per Appendix-I.

(b) Ferroxyl test—as per Appendix-I.

13. SEAT PILLARS

1. Design and dimensions.

1.1 The seat pillars shall be made from steel tubes. The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following requirements:—

(i) Overall length	minimum—125 mm
(ii) Nech length	minimum—38 mm
(iii) Thickness of tube	minimum—1.0 mm
(iv) Outer diameter of neck portion	22.22 + 0.5 mm

(v) The larger diameter of seat pillar shall be either 25.4±0.3 mm or 26.4±0.3 mm.

2. Workmanship and finish.

2. The seat pillars shall have smooth finish and shall be chemically coloured, zinc or cadmium plated, enamelled or nickel and chromium plated. In case of nickle plating, the minimum thickness of plating shall be 0.006 mm.

3. Tests.

3.1 Electroplating

3.1.1 Adhesion test—As per Appendix-I.

3.1.2 Ferroxyl test—As per Appendix-I.

14. SADDLE

1. Design and dimensions.

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish.

2.1 All the pressed and machined components shall be free from sharp carners and burrs.

2.2 Threading shall be smooth and proper.

2.3 Riveting shall be sound and proper.

2.4 Springs and other parts shall be either chemically coloured, galvanised, blackened or nickel or chrome plated.

3. Test.

3.1 The seat shall be made of leather or any other synthetic material. The top side of the saddle shall be properly finished so as to be free from any cuts or other visual defects.

3.2 Colour fastness—A piece of air dried, bleeched (but not strached) white cotton cloth shall be rubbed over the surface of the leather sample to be tested. This test shall be reported with the wetted cloth. There should be no staining on the dried as well as wet cloth.

3.3 Moisture absorption test. The percentage increase in the weight of cycle leather on being completely dipped in water for 30 minutes shall not be more than 40 per cent.

15. BICYCLE RIM

1. Design and dimension.

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following:—

(a)	Tolerance on Circumference	+2 mm —1 mm
(b)	Profile tolerances	
	(i) Overall height	0.5 mm
	(ii) Overall width	—0.5 mm (for children bicycle) — 1 mm)
	(iii) Inner width (betwen cars)	+0.5 mm —1.0 mm
(c)	Height of ear—Minimum	—5.9 mm
	—Maximum	7.7 mm

2. Workmanship and finish :

2.1 The valve holes shall be punched or drilled centrally on the cone of rim at the centre of 2 spoke holes approximately opposite to the joint.

2.2 The number of spoke holes in front and rear rim shall be as per agreement with foreign buyer.

2.3 Spoke holes shall be approximately equally spaced and shall lie alternatively on either side of the central line of the rim.

2.4 The rim shall be nickel and chromium plated. The minimum thickness of plating shall be as follows :—

Nickel—0.008mm.

In case of specific requirement of the buyer, a dull finish centre of the rim may be provided.

3. Tests :

3.1 Compression test—The rim shall be held between the two supports keeping the weld at right angles to the line joining the points of loading. The load shall be applied to give a vertical compression to the rim staring with 30 kg. The load shall be slowly increased in steps of 10 kg. till 70 kg. is reached which will be kept for 2 minutes and released. Permanent set on the diameter of the rim shall not exceed 2.5 mm.

3.2 Electroplating.

3.2.1 Adhesion test—As per Appendix-I.

3.2.2 Ferroxyl test—As per Appendix-I.

16. PEDAL

1. Design and dimensions.

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following:—

Pedal Axle—Length of threading portion at the crank end Min. 8.0 mm.

Threading—14.28X1.27 or 14.X1.25 mm RH or LH for RH and Lh side peddals respectively.

Cone—Shall be from bar stock. The bearing portion shall be well machined without tool marks.

Rubber—The weight of a pair of rubber shall not be more than 165 gms. The rubber shall be free from manufacturing defects.

2. Workmanship and finish :

2.1 The threading at both the ends of the pedal axle, cone and nut shall be finished smooth to ensure proper fitting.

2.2 The pedal axle, pedal rod, cone and nut shall be chemically coloured or cane be supplied in natural finish against specific requests.

2.3 The tubes, flanges, stretcher bars and caps, if made of steel shall be finished smooth and shall be chemically coloured or enamelled or nickle or chromium plated. When plated minimum thickness of nickel shall be 0.004 mm.

3 Hardness

3.1 The pedal axle and axle cone shall have a minimum hardness of 400 HV at 5 kgf load and the bells shall have a minimum hardness of 600 HV for high carbon and 700 HV for high carbon high chromium at 5 kg. load. Pedal rubber shall have a share hardness between 70 to 90 or minimum 65 wherever reflectors are to be fitted.

4. Tests :

4.1 Bend test—A load of 800N shall be applied gradually on the spindle and should remain for a period of one minute. When released the deflection (Permanent set) on the spindle shall not be more than 3 mm. without showing any sign of crack.

1 kgf=9806 Newtons (N)

4.2 Electroplating

Adhesion test—As per Appendix—I.

17. MUDGUARD

1. Design and dimensions

1.1 The design and dimensions shall be as per the agreement between the buyer and the seller subject to the following :—

(a) width (near middle portion) Min.—46 mm (40 mm for children bicycle).

(b) Depth—Min. 18.00 mm.

(c) Thickness of sheet used—Min. 0.45 mm (0.40 mm for children bicycle).

2. Workmanship and finish

2.1 The mudgards shall be free from sharp edges, burrs and other manufacturing defects.

2.2 The mudguards shall be throughly cleaned so as to be free from rust, scale and oily substences and shall then be chemically phosphated and stove enamelled. Spray painted or otherwise finished to give a glossy finish or nickel and chrome plated.

2.3 The painting shall be free from wrinkles, blisters unevenness and scratches.

3. Tests

3.1 Salt solution test—as per Appendix—I.

3.2 Adhesin test—as per Appendix—I.

18. A BICYCLE LOCK

1. Design and dimension

1.1 The design and dimensions shall be as per agreemet between the buyer and the seller subject to the following :—

Minimum thickness of sheet for body—0.6 mm.

Minimum sheet thickness for key—1.5 mm.

2. Workmanship and finish :

2.1 The shackles shall be aligned properly and shall work smoothly.

2.2 The shackles ends shall be free frm burrs and sharp corners.

2.3 The design of the locks shall be such that the key will not come out in the unlocked pissition. The key shall work smoothly.

2.4 Internal parts of the locks shall be given antirust coating.

2.5 The hock in closed position shall be struck against a hard timber block. The lock shall not open of its own accord.

2.6 Locks shall be stove enamelled and have a smooth finish.

3. Tests :

3.1 Performance test : The lock shall be tested by locking and unlocking 50 times. There shall be no damage to its parts.

3.2 The locks shall be packed in such a manner so that the inspection agency could check the non-interchangeability which shall not be less than one in four.

18. B. BICYCLE CABLE LOCK

1. Design and dimensions :

1.1 The design and dimensions shall be as per the agreement between the buyer and the seller subject to the following :—

Minimum sheet thickness for key shall be 1.5 mm.

2. Workmanship and finished :

2.1 All the components of the lock and key shall be finished smooth.

2.2 Internal parts of the lock including wire rope shall be given antirust coating.

2.3 Metal casting shall be either painted by enamel paint or plated with nickel or chromium or zinc.

2.4 The lock in closed position shall be struck against a hard timber block. The lock shall not open of its own accord.

3. Tests :

3.1 Performance test—The lock shall be tested by locking and unlocking 50 times. There shall be no damage to its parts.

3.2 The lock shall be packed in such a manner so that the inspection agency could check the non-interchangeability which shall not be less than one in four.

19. HUB ASSEMBLY.

1.1 The design and dimensions :

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following :—

(a) Tolerance on overall length of from hub spindle. ±3 mm

(b) Tolerance on overall length of ear hub spindle ±3 mm

(c) Minimum threaded length of front hub spindle on each side 30 mm

(d) Minimum threaded length of rear hub spindle on each side. 40 mm

(e) Threading on hub assembly and cone shall be either 7.94x26 TPI or 9.52x26 TPI, or 8x1 mm ISO metric or 9.5 x 1 mm ISO metric.

(f) Threading on the rear hub for fitlng freewheel shall be 34.8x24 TPI or 35x1 mm pitch. For Children bicycle the same shall be 34.8 mm x 24 TPI or 34.70 x 1 mm pitch or 0.970" x 20 TPI.

(g) Tolerance on the distance between the outer surface of the cones— ± 3 mm (in complete hub).

(h) The minimum thickness of hub flange shall be 1.9 mm for the front hub and 2.2 mm for rear hub.

(i) The number of holes in hub flanges shall be as agreed upon between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish :

2.1 (a) The components shall have smooth finish. (b) inside of the cups (ball races) shall be smooth finished to ensure free running of the bails. (c) The threading on the spindle, cones and nuts shall be proper.

Unless otherwise specified, the hub flanges shall be provided with 16 spoke holes in the front hub and 20 spoke holes in the rear hub. The holes shall be staggered in the two flanges and shall be countersunk alternatively on both sides of each flanges for freely accommodating the spoke heads. The fitting shall be without undue shake or tightness. The threading shall be proper. The spindle, nuts, cones and cups shall be either chemically coloured or painted. Hub shells and franges shall be nicked and chomium plated with a minimum plating thickness of 0.008 mm o fnickel. Dust cap may be metallic or of any synthetic material. If metallic the cap shall be nickel chrome plated or blackened. The spindles, ball races and cones may also be supplied in natural finish against specific requests.

3. Hardness :

3.1 The following components shall be hardened to attain a minimum hardness as stated under :—

(i) Hub cup (ball races)	400 HV at 5 kgf load
(ii) Cone	400 HV at 5 kgf load
(iii) Steel balls	600 HV for High carbon & 700 700 HV for high carbon High chromium at 5 hgf load.

4. Tests :

4.1 Concentricity test—The front and rear hub assemblies shall be revolved on their spindles. The concentricity of hub shell and ball races at the periphery of the flange shall not exceed 0.4 mm.

4.2 The rear hub assembly shall be revolved on its spindle. When gauged at the periphery of the flange concentricity shall not exceed 0.4 mm.

4.3 The rear hub assembly shall be revolved on its spindle When gauged at the periphery of the threaded portion concentricity shall not be more than 0.4 mm.

4.4 Plating test

4.4.1 Adhesion test—As per Appendix—I.

4.4.2 Ferroxyl test—As per Appendix—I.

20. FORK FITTINGS

1. Design and dimensions :

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller. A Set of fork fittings may consist of 5 or 7 pieces as desired by the buyer.

2. Workmanship and finish :

2.1 The fork fittings shall be finished smooth free from burrs, scratches and tool marks. The bearing surfaces of the racers shall be properly polished.

2.2 The threading of the crew racers and check nuts shall be full and frue.

2.3 Frame cup and check nut shall be nickel and chrome plated, free from visible plating defects, such as pits, blisters, cloudy patches, unplated posts, cracks or stains.

3. Hardness :

3.1 The bottom head ball racer, crown racer and screw racer shall be suitably heat treated to attain a minimum hardness of 400 HV at 5 kg load. The hardness of the steel balls shall be 600 HV Min. for high carbon and 700 HV Min. for high carbon high chromium at 5 kgf load.

21. LUGGAGE CARRIER

1. Design and dimensions :

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish :

2.1 The luggage carrier shall be free from sharp edges, burrs and other manufacturing defects.

2.2 The luggage carrier shall be thoroughly cleaned as to be free from rust, scale and oily substances and shall then be chemically phosphated and stove enamelled, spray painted may be cadmium or nickel and chrome plated also.

2.3 The painting shall be free from wrinkles, blisters, unevenness of scratches. The plating shall be free from visible plating defects such as pit, blisters, cloudy patches, unplated spots, cracks or stains. The plating shall firmly adhere to the base metal and shall be non-porous.

3. Tests :

3.1 The fatigue property of the spring used in the luggage carrier shall be checked by fully opening and closing the carrier 50 times. After this test, the carrier shall not show any adverse effect in the functioning. This test shall be applicable only for spring type luggage carriers.

3.2 Salt solution test—As per Appendix I.

3.3 Adhesion and Ferrexyl test—As per Appendix—I.

22. HANDLE BARS

1. Material :

1.1 The handle bar bend and the stem shall be made from ERW steel tubes.

2. Design and dimensions :

2.1 The design and dimension shall be as per the agreement between the buyer and the seller subject to the following requirements :

Outside diameter of handle bar stem

22.28 mm

22.09 mm

3. Workmanship and finish :

3.1 The handle bar stem shall be squarely fitted to the central plug and properly brazed. It shall not have a deformation exceeding 2.0 mm in diameter at its curved portion.

3.2 The lever rods shall have smooth operation without appreciably play or shake.

3.3 The threading on the expander bolt shall be 7.94 x 26 TPI. The length of threading shall not be less than 35 mm. The bolt shall have a suitable cone and a washer. The cone shall have a minimum thickness of 9 mm and a larger end diameter between 19.5 and 20.6 mm. The taper on the cone shall be between [illegible]. The washer shall have a minimum thickness of 1.5 mm.

3.4 The handle bar shall be fitted with suitable hand grips. The grips shall be uniform in shape and size and free from manufacturing defects. All the parts of handle bars shall be nickel and chromium plated. The minimum thickness of plating for handle bar only shall be 0.008 mm. for nickel. Electro-galvanised springs may also be permitted if specifically required by the foreign buyer.

4. Tests :

4.1 Fatigue test—The fatigue property of the springs shall be checked by fully pressing and releasing the lever rods 50 times. The lever rods shall return to the normal position after 50 operation.

4.2 Load test—The handle bar shall be fixed on the handle stem (after removing the expander bolt and cone and the stem plugged in at the point of grip) in such a manner that stem is vertical and inserted into the fixing arrangement upto depth equal to two and half time the shaft diameter that is, 56 mm. A load of 45 kg (for children bicycles 35 kgs) shall then be applied gradually and simultaneously on each and of the handle 13 mm from the ends (left right) and left in that state for two minutes. The permanent set at the ends of handle bar shall not exceed 2 mm (for children bicycles 2.50 mm).

4.3 Electroplating :

4.3.1 Adhesion test—As per Appendix -I.

4.3.2 Ferroxyl test—As per Appendix I.

23. CHAIN GUARD

1. Design and dimensions :

1.1 The design and dimensions shall be as per the agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish :

2.1 The chain guard shall be thoroughly cleaned so as to be free from rust, scale and oily substances and shall then be chemically phosphated and stove enamelled spray painted otherwise finished to give a glossy finish or nickel and Chrome plated.

2.2 The painting shall be free from wrinkles, blisters unevenness and scratches. The plating shall be free from visual defects.

3. Tests :

3.1 Salt solution test—As per Appendix—I.

3.2 Adhesion and Ferroxyl test—As per Appendix—I

24. CHAINS

1. Design and dimensions :

1.1 The design and dimensions of the chain shall be as per agreement between the buyer and the seller subject to the following requirement for 1/2 x 1' 8" (12.7 x 3.00 mm) chains

(a) Maximum diameter of the roller 7.75 mm

(b) Maximum width over inner link [illegible] mm

(c) Minimum width between the outer plates 5.75 mm

(d) Maximum width over bearing pin 10.16 mm

(e) Tolerance on the length of chain under a load of 12.7 kg. 2.1 mm −0.0 mm

2. Workmanship and finish :

2.1 The components shall be free from burrs and sharp edges. The chain shall be provided with a coating of anti-rust oil or grease.

3. Hardness :

3.1 The hardness of various components of chain shall be as follows :—

(a) Pin—460 HV min. at 5 kgf load.

(b) Plates and Bushes/Rollers—384 HV min. at 5 kgf load.

4 Tests :

4.1 Breaking load test—A out length of 127 mm from the chain shall be attached to the shackles of the testing machine and a pull shall be applied axially. The chain shall not break at a load of less than 820 kg.

25. BICYCLE STAND

1. Design and dimensions :

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship and finish :

2.1 The stand shall be free from sharp edges, burrs and other manufacturing defects.

2.2 The stand shall be thoroughly cleaned so as to be free from rust, scale and oily substances and shall then be chemically phosphated and stove enamelled, spray painted or otherwise finished to give a glossy finish. The stand may be cadmium or nickel and chrome plated also

2.3 The painting shall be free from wrinkles, blisters, unevenness or scratches. The plating shall be free from visible plating defects such as pits, blisters cloudy patches, unplated spots, cracks or stains. The plating shall firmly adhere to the base metal and shall be non-porous.

3. Tests :

3.1 The fatigue property of the spring used in the bicycle stand shall be checked by working the stand 50 times. After this test, the stand shall not show any adverse effect in the functioning.

3.2 Salt solution test—As per Appendix- I

3.3 Adhesion test—As per Appendix—I

26 FRAME

1. Material

1.1 The frame including chain stay and seat stay shall be made from ERW steel tubes. The liners and lugs shall be made of the mild steel.

1.2 The B.B. Shell may be made out of mild steel or malleable cast iron and the threading on the B.B. Shell shall be either 24 TPI or 26 TPI.

2. Design and dimensions :

2.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller.

3 Workmanship and finish :

3.1 The tubes shall be fitted squarely to their respective lugs and the axis of bottom bracket shall be perpendicular to the plane of the frame.

3.2 The frame shall be throughly cleaned by sand blasting, shot blasting or pickling to free it from rust, scale and only substances. It shall then be chemically rust-proof and stove enamelled to give a glossy finish.

3.3 The threading shall be well greased after painting.

4. Tests :

4.1 The frame shall withstand the following tests :

4.1.1 Sound test—The frame shall be struck with a 1/2 kg. steel hammer bear the joints and it will produce a clear metallic sound

4.1.2 Alignment test—The frame should be aligned properly and to be checked on suitable fixture.

4.1.3 Load test—For this test the chain stay at the frame shall be clamped on a suitable lug mounted on a bench in such a manner as to rest on a roller support. The frame shall be loaded at the points where the handle bar and the seat are to be fitted with 23 kgf and 82 kgf weights respectively. The loads shall then be increased to 100 kgf (75 kgf for children bicycle) and 350 kgf (260 kgf for children bicycle) respectively. The maximum loads shall be kept for two minutes and released. Any deformation recorded in the first test shall not be taken into consideration and the frame in the subsequent three tests shall not show any apparent deformation by more than 0.15 mm at the bottom bracket

4.1.4 Test for painting :

(a) Ball drop test —as per Appendix-I

(b) Salt solution test —as per appendix-I.

27. REAR VIEW MIRROR

1. Design and dimensions :

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller.

2. Workmanship finish :

2.1 The mirror shall be well fixed all around. The back portion which may be made of metal, plastic, PVC, or any other suitable material shall be free from sharp corners and edges.

2.3 The mirror shall be supplied with suitable fixing rod, fixing clip and nuts.

2.4 The fixing rod, clip, and metal around glass may be nickel and chrome plated or anodized. When plated it shall be free from visible plating defects like pits, blisters, cloudy patches, unplated spots, cracks or stains. The fixing clip may also be made of rubber or PVC

2.5 The threading on fixing rod and nuts shall be proper.

28 RIM TAPES AND BUCKLES

1. Design and dimensions :

1.1 The design and dimensions shall be as per agreement between the buyer and the seller

1.2 The tapes shall comply with the following :

(i) Width Min 11.0 mm.

(ii) Ends in full width —Min. 18

Max. 25

2. Workmanship and finish :

2.1 The tapes shall be properly woven. The buckles made from mild steel shall be tinned or galvanised Buckles shall be free from sharp edges and burrs.

3 Tests :

3.1 The breaking load measured on full width on a length of 20 cm strip shall not be less than 18 kgf.

2.0 SAMPLING AND CRITERIA FOR CONFORMITY FOR ALL BICYCLE COMPONENTS

Sampling for inspection of each consignment and the criteria for comformity shall be in accordance with the table given below :—

Table

Lot Size	Sample size for visual & dimensional check.	Sub sample size to be drawn out of sample size from col. 2 for all other tests.	Permissible No. of defects For Col. 2	For Col. 3
Upto 50	3	1	0	0
51 to 100	5	1	0	0
101 to 300	8	2	0	0
301 to 500	13	3	1	0*
501 to 1000	20	3	1	0*
1001 to 3000	32	5	2	1
3001 and above	50	6	3	1

*In the event of failure of one sample 3 more samples shall be drawn and if there is no further failure the consignment shall be passed.

3.0 Marking—Unless otherwise stipulated by the foreign buyer, piece shall be legibly marked with the manufacturer's name trade mark of identification.

4.0 Packing—Pieces shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in such a manner as to ensure safe arrival at the destination without any damage.

TEST FOR PACKING

The packages shall be well finished and have good appearance. The package shall be such as to ensure that the inner contents shall withstand Drop Test, Rolling Test and Water Spraying Test as given below :—

1 Drop Test (to be restricted to head loads only):—The package to be dropped from a height of 150 cm once on the largest flat surface, once on the longest edge and once on any corner of its own.

2. Rolling Test—(to be restricted to a weight of 500 kg only).

The package to be subjected to rolling on its sides either six metres forward and six metres backward or twelve meters in one direction.

3. Water Spraying Test—The package to be allowed to be exposed against a water spray equivalent to a normal accidental shower for one minute.

APPENDIX—I

Tests for painting :

1. Ball Drop Test :

(For stove enemelled only)

A solid steel ball measuring 12 mm in diameter shall be dropped from a height of 1.5 meters on any painted portion of the frame. The paint at the place where the steel ball strikes the frame shall stand the impact without showing any sign of tear or seling off. However in cases where on conducting Ball Drop Test, the sample either fail or gives doubtful results, the test shall be repeated on the same sample at another point and the test shall further be carried out on two more samples drawn from the same consignment. If in the three tests carried out as outlined, the sample does not fail in the test, the consignment shall be deemed to have met the requirement of Ball Drop Test.

2 Salt solution test :

The frame shall be kept dipped for one hour in a 5 per cent common salt solution at the temperatures specified below. The point shall not soften, peel off or show any change is colour.

Black enamelled paint -80 C.
Other enemelled paints 60 C.

Tests for Electroplating :

1 Adhesion test :

A cut piece of the plated article shall be held in a vice and a file applied to the cut edge in such a manner as to raise the deposit. There shall be no separation between the coating and the basic metal.

2. Ferroxyl Test :

(i) Take a fine textured paper (blotting paper) sufficient to adopt itself to the surface to be tested and of about the same size as the area to be tested.

(ii) Coat one side of the paper uniformly with a solution of clear gelatine (30 gms/litre at 35°C). Allow it to dry.

(iii) Apply pure NaCl solution (30 gms/litre) to one coated surface of paper and lay it over the surface to be tested with the coated surface of the paper touching the surface to be tested. Keep the surface damp by brushing it evenly with a brush wetted with NaCl solution.

(iv) Remove the paper after 10 minutes and immerse it in a solution of potassium Ferrocyanide (10 gms/litre)

(v) Blue spots produced on the paper indicate the extent to porosity in the tested area.

(vi) Blue spots upto a maximum of one number per 1000 sq. mm. shall be considered as meeting the requirement of this test.

Note—For the performance of this test only those pores that are seen by unaided eyes shall be counted.

APPENDIX—II

Every manufacturer of Bicycles shall ensure quality control of the Bicycles by effecting the following controls at different stages of manufacture, prevention and packing of the products as laid down together with the levels of control as set out in the Schedule appended hereto.

1. Boughtout materials and components control :

(a) Purchase specification shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a producer's test certificate corroborating the requirements of the purchase specifications or in the absence of such test certificate, sample from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificate shall be counter cheiked at least once in five consignment to verify the correctness.

(c) The incoming consignment shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against stastical sampling plans.

(d) After inspection and tests are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained.

2. Process Control :

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various processes of manufacturer.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

3. Product Control :

(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specification.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on recorded investigations.

(c) Adequate records in respect of test carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

4. Materological Control and Gauge and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards.

5. Preservation Control :

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather condition.

(b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

6. Packing Control—Specifications shall be laid down for packing the product(s) and as well as for export package and the same shall be strictly adhered to.

SCHEDULE

(See Appendix—II)

LEVELS OF CONTROL

S. No.	Requirement	Reference	No. of samples to be tested	Lot Size
1	2	3	4	5
1.	Axle : concentricity	Standard specification recognised for the purpose.	Each	Each shifts' production
2.	Handle Bar : Load Test	-do-	1 No.	-do-
3.	Frames :			
	(a) Load test	-do-	1 No.	-do-
	(b) Trueness	-do-	Each	-do
4.	Chains :			
	(a) Breaking Load Test	-do-	3 Nos.	-do-
5.	Spokes and Nipples :		1% subject to a maximum no. of 12.	-do-
	(a) Threads	-do-		
	(b) Bend test (for spokes only)	-do-	5% subject to a maximum no of 20.	-do-
6.	Hubs : Deflection tost	-do-	5 No.	Each shifts production from each assembly table.
7.	Spindle in pedal assembly : Bend test	-do-	1 No.	
8.	Crank chain wheel assembly Load Test	-do-	1 No.	Each heat's production. Per day's production.
9.	Front Fork :			
	(a) Load Test	-do-	1 No.	-do-
	(b) Expension tost	-do-	1 No.	-do-
10.	Freewheel :			
	(a) Axial or Radial Deflection test	-do-	5 No.	Each shifts production on same assembly table.

1	2	3	4	5
11.	Rims :			
	(a) Compression test	Standard specification recoguised for the purpose.	1% subject to a maximum of 5 Nos.	Por day's production .
	(b) Electroplating			
	(i) Adhesion	-do-	1 No.	Each batch's production.
	(ii) Thickness			
12.	Electroplating :			
	(i) Adhesion	-do-	1 No.	Each batch's production.
	(ii) Thickness			
13.	Painting	-do-	3 No.	Each shift's production.
1 4.	Worksmanship and finish	-do-	Each	—
15.	Components and spares :			
	(a) Dimonsions without tolerance			
	(i) Critical	-do-	Each	—
	(ii) Others	-do-	Adequate number based on a recorded investigation.	—
	(b) Performance	-do-	-do-	
	(c) Hardness	-do-	3 Nos.	Each change from each woven.
16.	Packaging			
	(a) Appearance	-do-	Each	—
	(b) Drop Test	-do-	1 Nos.	Eachconsignment
	(c) Rolling Test	-do-	-do-	-do-
	(d) Water spraying test	,do-	-do-	Each design.

[F. No. 6/2/85-EI & EP)]
N.S. HARIHARAN, Director

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1987

का.आ. 2653.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2580 तारीख 3-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) अधीन के सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जंक्शन बिन्दु से जी.जी.एस. II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
कठवाड़ा	258	0	02	75
	169	0	04	75

1	2	3	4	5
	144/6	0	00	75
	168/1	0	00	50
	145/3	0	00	40
	145/2	0	01	50
	145/1	0	00	15
	146/ए	0	00	75

[सं. O-12016/104/86-ओ एन जी-डी-4]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 15th September, 1987

S.O. 2653.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2580 dated 3-7-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Compentent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Junction point to GGS II

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kathwada	258	0	02	75
	169	0	04	75
	144/6	0	00	75
	168/1	0	00	50
	145/3	0	00	40
	145/2	0	01	50
	145/1	0	00	15
	146/A	0	00	75

[No O-12016/104/86-ONG-D4]

का. आ. 2654.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1268 तारीख 14-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोगका अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

कूप नं. जे-22 से जी.जी.एस. I धालोरा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
मनीपुर	173	0	15	00

[सं. O-120619/86-ओ.एन.जी.-डी-4]

S.O. 2654.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 1268 dated 14-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Compentent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section the Central Government directs that the

right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. J-22 to GGS 1 Jhalora

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Manipur	173	0	45	00

[No O-12016/9/86-ONG-D4]

का. आ. 2655.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 623 तारीख 24-2-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, अतः केन्द्रीय सनकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में. घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एम.एन सी.जे. से कलोल-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
संथाल	393	0	06	00
	392	0	08	28
	1738	0	07	20
	370	0	16	20
	371/2	0	09	84
	373	0	10	56
	374/2	0	07	92

[सं O-12016/10/87-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2655.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 623 dated 24-2-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Compentent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNCJ to BALOL-4

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Santhal	393	0	06	00
	392	0	08	28
	1738	0	07	20
	370	0	16	20
	371/2	0	09	84
	373	0	10	56
	374/2	0	07	92

[No. O-12016/10/87-ONG-D4]

का.आ. 2656.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 40) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 799 तारीख 11-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.एन.डी.ई. से एन.के.जी.एस. III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
संथाल	1111	0	10	32
	1110	0	14	40
	1106	0	03	60
	1107	0	14	88
	1104	0	02	04
	1198	0	08	52
	1102	0	02	28
	1101	0	09	24
	1075	0	03	48
	1076	0	09	48
	1077	0	03	60
	1070	0	04	56
	1078	0	12	60
	1049	0	08	52
	1048	0	03	60

[सं. O-12016/14/87-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2656.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 799 dated 11-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Compentent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule apprended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNDE to NK GGS III

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Santhal	1111	0	10	32
	1110	0	14	40
	1106	0	03	60
	1107	0	14	88
	1104	0	02	04
	1198	0	08	52
	1102	0	02	28
	1101	0	09	24
	1075	0	03	48
	1076	0	09	48
	1077	0	03	60
	1070	0	04	56
	1078	0	12	60
	1049	0	08	52
	1048	0	03	60

[No O-12016/14/87-ONG-D4]

का.आ.सं. 2657.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 798 तारीख 11-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.एन.डी.यू. से एस.एन.सी.डी. से बलोल-4 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
बलोल	1663	0	07	08
	1660	0	10	80
	1659	0	06	00

[सं. ओ-12016/18/87-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2657.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 748 dated 21-3-87 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Compentent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

87/1159 GI—7

SCHEDULE

Pipeline from SNDU to SNCV to BALOL-4

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Balol	1663	0	07	08
	1660	0	10	80
	1659	0	06	00

[No. O-12016/18/87-ONG-D4]

का.आ. 2658.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 774 तारीख 11-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

बी.एल.एच.ई. (35) से बी.एल.एच.एच. (33) से बलोल जी.जी.एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
बलोल	719/1	0	05	88
	722/2	0	06	12
	722/1	0	03	00
	721	0	10	32

[सं. ओ-12016/21/87-ओ.एन.जी.-डी 4]

S.O. 2658.—Whereby notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 774 dated 11-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from BLHE (35) to BLHH (33) to Balol GGS

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Balol	71z/1	0	05	88
	722/2	0	06	12
	722/1	0	03	00
	721	0	10	32

[No. O-12016/21/87-ONG-D4]

का.आ. 2659.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 775 तारीख 11-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एफ.एन.डी.एफ. से एन.के.जी.डी.एस.-III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
संधाल	925	0	13	08
	1043/2	0	06	36
	1027	0	07	56
	1028/2	0	08	88
	कार्ट ट्रैक	0	00	60
	764	0	03	60
	763	0	14	88
	762/2	0	03	60
	761/2			
	761	0	08	76

[सं. ओ-12016/22/87-ओएनजी-डी 4]

S.O 2659.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 775 dated 11-3-87 under Sub-Section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNDF to NK GGS-III

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Santhal	925	0	13	08
	1043/2	0	06	36
	1027	0	07	56
	1028/2	0	08	88
	Cart track	0	00	60
	764	0	03	60
	763	0	14	88
	762/2	0	03	60
	761/2 761)	0	08	76

[No O-12016/22/87-ONG-D4]

का. आ. 2660 .—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०आ.सं. 960 तारीख 25-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में, निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एस.एन.सी.आई. से एस.एन.सी.जे. (इन्टर कनेक्शन) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
कसलपुरा	480	0	09	84
	कार्ट ट्रैक	0	02	40
	598	0	05	40
	597	0	04	20
	599	0	06	72

[सं. O-12016/24/87-ओ.एन.जी.-डी-4)]

S.O. 2660.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 960 dated 25-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Gvernment directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SNCI to SNCJ (Inter Connection)

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No	Hec-tare	Aro	Cen-tiare
Ka-alpura	480	0	09	84
	Cart track	0	02	40
	598	0	05	40
	597	0	04	20
	599	0	06	72

[No C-12015/24/87-ONG-D-4)]

का.आ. 2661 .—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 961 तारीख 25-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

बी.एल.एच.एच. (बी-33) से बलोल जी.जी.एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
बलोल	724	0	02	40
	725	0	16	20
	749/1	0	05	52
	750	0	04	56
	753	0	08	76
	सरकारी भूमि	0	01	92

[स. O–12016/25/87–ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2661.—Whereby by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 961 dated 25-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from BLHH (B-33) to Balol GGS

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Balol	724	0	02	40
	725	0	16	20
	749/1	0	05	52
	750	0	04	56
	753	0	08	76
	Govt. land	0	01	92

[No. O-12016/25/87-ONG-D-4]

का.आ. 2662.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन,) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1021 तारीख 1-4-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं. कारजीसा-1 से कूप नं. कलोल 126 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
जुलासन	853/3	0	06	30
	853/2	0	12	90
	852	0	06	90
	851	0	15	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	90
	865	0	06	30
	867	0	09	60
	868	0	12	00
	880	0	06	00
	879	0	06	30
	877	0	20	80
	876/1	0	12	60
	933	0	10	50
	934	0	10	20
	935/1	0	09	60
	936	0	09	80
	938	0	09	60
	875	0	15	90
	कार्ट ट्रैक	0	00	90
	645/1	0	09	30
	645/2	0	09	60
	642	0	10	5

[सं० O-12016/28/87-ओएनजी-डी 4]

S.O. 2662.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1021 dated 1-4-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from well No. Karjisa-1 to well No. Kalol-126.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec. tare	Are	Centiare
Zulasan	853/3	0	06	30
	853/2	0	12	90
	852	0	06	90
	851	0	15	00
	Cart track	0	00	90
	865	0	06	30
	867	0	09	60
	868	0	12	00
	880	0	06	00
	879	0	06	30
	877	0	20	80
	876/1	0	12	60
	933	0	10	50
	934	0	10	20
	935/1	0	09	60
	936	0	09	80
	938	0	09	60
	875	0	15	90
	Cart track	0	00	90
	645/1	0	09	30
	645/2	0	09	60
	642	0	10	50

[No. O-12016/28/87-ONG-D4]

का.आ. 2663.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2412 तारीख 11-6-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के-231 से जी.जी.एस.-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
सईज	1200	0	09	67
	1208	0	06	75
	1197	0	08	10
	1216	0	03	00
	1212	0	09	00

[सं. O-12016/48/86-ओ.एनजी-डी-4]

S.O. 2663.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2412 dated 11-6-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from K-321 to GGS II.

State : Gujarat Distict : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec. tare	Are	Centiare
Saij	1200	0	09	67
	1208	0	06	75
	1197	0	08	10
	1216	0	03	00
	1212	0	09	00

[No. O-12016/48/86-ONG-D 4]

का. आ. 2664.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2125 तारीख 15-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के 403 (के. ऐल. ई. वाई.) से जी. जी. एस. 8 तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला :—मेहसाना तालुका:—कलोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कलोल	1126	0	12	45
	1124	0	09	15
	कार्ट ट्रेक	0	00	75
	1118	0	04	50

[सं. O-12016/72/86-ओ. एन. जी.-डी. 4]

S.O. 2664.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 2125 dated 25-5-86 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from K-403 (KLEY) to GGS VIII.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kalol	1126	0	12	45
	1124	0	09	15
	Cart track	0	00	75
	1118	0	04	50

[No. O-12016/72/86-ONG-DG]

का. आ. 2655 :—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3310 तारीख 4-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, अत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. जी. एस. 3 से जी. जी. एस 6 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला :—मेहसाना तालुका :—कडी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
अम्बावरारा	124	0	06	00
	120	0	11	40
	119/पी	0	00	90
	110	0	41	65
	112/1	0	22	80
	कार्ट ट्रेक	0	01	20
	13	0	27	75
	9	0	15	00
	कार्ट ट्रेक	0	06	60
	8	0	02	10
	7	0	15	30
	48	0	13	80
	65/1	0	04	50
	55	0	13	60
	54	0	06	60
	65/2	0	00	60
	कान्स	0	00	65
	65/3	0	02	25
	62	0	03	75
	61/1	0	09	05
	63	0	04	05
	65	0	14	40
	68	0	09	30

[सं. O-12016/147/86—ओ एन जी डी—4]

S.O. 2665.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. 3310 dated 4-9-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the poer conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GGS III to GGS VI.

State - Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec. tare	Are	Centiare
Ambavpura	124	0	06	00
	120	0	11	40
	119/P	0	00	90
	110	0	41	65
	112/1	0	22	80
	Cart track	0	01	20
	13	0	27	75
	9	0	15	00
	Cart track	0	06	60
	8	0	02	10
	7	0	15	30
	48	0	13	80
	65/1	0	04	50
	55	0	13	50
	54	0	06	60
	65/2	0	00	60
	Kans	0	00	65
	65/3	0	02	25
	62	0	03	75
	61/1	0	09	05
	63	0	04	05
	65	0	14	40
	68	0	09	30

[No. O-12016/147/86-ONG-D4]

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1987

का.आ. 2666.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ सं. 2272 तारीख 22-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जी.जी.एस. I से जी.जी.एस.-V

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : गांधीनगर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
भोपन राठोड़	215	0	13	14
	216	0	04	16
	223/2	0	07	88
	222/1	0	10	08
	220	0	07	62
	कार्ट ट्रैक	0	00	48
	265	0	03	04
	272	0	09	00
	270	0	13	40
	271	0	21	41
	280	0	08	78
	299/1	0	04	16
	299/2	0	07	32
	317	0	05	48
	316/1	0	09	92
	316/2	0	05	00
	328	0	07	20
	329	0	10	48
	337	0	00	05
	334	0	15	08

1	2	3	4	5
	338	0	03	20
	339/1	0	01	92
	333	0	07	66
	341	0	10	00
	342/2	0	02	00
	342/4	0	03	25
	342/1	0	05	30
	352/1	0	05	36
	352/2	0	02	80
	351	0	02	26
	346/1	0	09	10
	347/1	0	01	24

[सं. O-12016/75/86-ओ एन जी डी-4]

New Delhi, the 16th September, 1987

S.O. 2666.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2272 dated 22-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from G.G.S I to GGS V.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Bhoyan Rathod	215	0	13	44
	216	0	04	16
	223/2	0	07	88
	222/1	0	10	08
	220	0	07	62
	Cart track	0	00	48
	265	0	03	04
	272	0	09	00
	270	0	13	40
	271	0	21	41
	280	0	08	78
	299/1	0	04	16
	299/2	0	07	32
	317	0	05	48
	316/1	0	09	92
	316/2	0	05	00
	328	0	07	20
	329	0	10	48
	337	0	00	05
	334	0	15	08
	338	0	03	20
	339/1	0	01	92
	333	0	07	66
	341	0	10	00
	342/2	0	02	00
	342/4	0	03	25
	342/1	0	05	30
	352/1	0	05	36
	352/2	0	02	80
	351	0	02	26
	346/1	0	09	10
	347/1	0	01	24

[No. O—12016/75/86-ONG-D 4]

का. आ. 2667.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1280 तारीख 16-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

अहमदाबाद-4 से डब्ल्यू.एच.आई. से अहमदाबाद-18 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
गेरतनगर	185	0	07	00
	195	0	18	60
	188	0	21	09
	193	0	06	00
	194	0	04	95

[सं. O-12016/20/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2667.—Whereas by notification of the Government of India in the inistry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1280 dated 26-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Ahmedabad-4 to WHI to Ahmedabad-18

State : Gujarat District: Ahmedabad Taluka; Dascroi

Village	Block No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Garatnagar	185	0	07	00
	195	0	18	60
	188	0	21	09
	193	0	06	00
	194	0	04	95

[No. O—126016/20/86-ONG—D 4]

का. आ. 2668.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 963 तारीख 25-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.-1 से एस.एस.सी.टी.एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
ईजपुरा	612	0	05	30
	590	0	02	00
	589	0	03	10
	588	0	15	10
	587	0	09	10
	584	0	03	40
	583	0	10	80

[सं. O-12016/27/86-ओ.एन.जी.-डी.4]

S.O. 2668.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 963 dated 25-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from ROU S-1 to S.S. CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Ispura	612	0	05	30
	590	0	02	00
	589	0	03	10
	588	0	15	10
	587	0	09	10
	584	0	03	40
	583	0	10	80

[No. O—12016/27/86-ONG—D 4]

का. आ. 2669 —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2274 तारीख 22-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी० जी० ऐस० I से जी० जी० ऐस० V

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सईज	779	0	04	03
	780	0	11	00
	782	0	16	10
	784	0	12	24
	776	0	04	55
	कार्ट ट्रेक	0	00	40
	587	0	17	28
	585/3	0	06	52
	585/1	0	03	04
	561/8	0	00	60
	561/6	0	00	40
	561/4	0	07	56
	561/1	0	12	97
	कार्टट्रेक	0	00	64
	471/1	0	17	33
	472/4	0	22	24
	463/3	0	00	96
	463/2	0	00	10
	463/1	0	02	79
	462	0	05	00
	456/1/11	0	05	87
	456/1/6	0	06	20
	454/2	0	00	80
	453/5	0	14	06
	453/2	0	02	54
	452	0	11	63
	कार्टट्रेक	0	00	48

[सं० ओ०-12016/77/86-ओ०एन०जी०-डी०-4]

S.O. 2669.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2274 dated 22-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GGS I to GGS V.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Saij	779	0	04	03
	780	0	11	00
	782	0	16	10
	784	0	12	24
	776	0	04	55
	Cart track	0	00	40
	587	0	17	28
	585/3	0	06	52
	585/1	0	03	04
	561/8	0	00	60
	561/6	0	00	40
	561/4	0	07	56
	561/1	0	12	97
	Cart track	0	00	64
	471/1	0	17	33
	472/4	0	22	24
	463/3	0	00	96
	463/2	0	00	10
	463/1	0	02	79
	462	0	05	00
	456/1/11	0	05	87
	456/1/6	0	06	20
	454/2	0	00	80
	453/5	0	14	06
	453/2	0	02	54
	452/	0	11	63
	Cart track	0	00	48

[No. O—12016/77/86-ONG-D4]

का.आ.सं. 2670—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2772 तारीख 25-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता

और आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डबका जी.जी.एस. से सरसावनी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : पादरा

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर	सेंटीयर
अंबाडा	221	0	01	60
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	223	0	05	76
	222	0	09	28
	219	0	10	00
	217	0	12	32
	कार्ट ट्रेक	0	01	92
	164	0	05	60
	163	0	03	76
	162	0	06	08
	161	0	05	60

1	2	3	4	5
	151	0	00	80
	120	0	08	50
	109	0	13	36
	107	0	01	60
	106	0	02	88
	101	0	14	88
	100	0	02	00

[सं. O-12016/116/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2670.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2772 dated 25-7-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from DABKA G.C.S. to Sarswani

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Ambada	221	0	01	60
	Cart track	0	02	40
	223	0	05	76
	222	0	09	28
	219	0	10	00
	217	0	12	32
	Cart track	0	01	92
	164	0	05	60
	163	0	03	76
	162	0	06	08
	161	0	05	60
	151	0	00	80
	120	0	08	50
	109	0	13	36
	107	0	01	60
	106	0	02	88
	101	0	14	88
	100	0	02	00

[No. O—12016/116/86-ONG—D4]

का.आ. 2671—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 3044 तारीख 6-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एम.ई.यू. से एस.ओ.पी. 54 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेंटीयर
मेवड	237	0	38	28
	406	0	12	24
	403	0	10	08
	402	0	08	64
	400	0	05	30

[सं. O-12016/131/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2671.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3044 dated 13-8-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

Pipeline from SEU to SOB 54

State : Gujarat District & Taluka . Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Mewad	237	0	38	28
	406	0	12	24
	403	0	10	08
	402	0	08	64
	400	0	05	30

[No. O-12016/131/86 ONG D4]

का.आ. 2672 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1374 तारीख 16-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जंक्शन, बिन्दु से जी.जी. एस-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलाल

गांव	ब्लाक	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
धमासना	883/1	0	01	12
	883/2	0	04	32
	882	0	05	26
	881	0	05	12

[सं. ओ-12016/26/86-ओ.एन.जी-डी-4]

S.O. 2672.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1374 dated 16-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Junction point to GGS IV.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Dhamasana	883/1	0	01	12
	883/2	0	04	32
	882	0	05	26
	881	0	05	12

[No. O—12016/26/86-ONG-DG-4]

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987

का. आ. 2673.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1278 तारीख 14-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

सी. टी. एफ. से जी. सी. एस. I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कठवाड़ा	458	0	02	70
	457	0	02	00
	456/ए	0	02	80
	455/2/पी	0	02	75
	305/4	0	01	85
	305/3	0	02	85

[सं.—O—12016/24/86-ओ एन जी-डी 4]

New Delhi, the 17th September, 1987

S.O. 2673.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroluem & Natural Gas S.O. No. 1278 dated 14-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from C.T.F. to GGS 1

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kathavada	458	0	02	70
	457	0	02	00
	456/A	0	02	80
	455/2/P	0	02	75
	305/4	0	01	85
	305/3	0	02	85

[No. O-12016/24/86-ONG-D4]

का.आ.सं. 2674.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1269 तारीख 14-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं. एन.आई. 72 से जी.जी.एस.-III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
गोबलज	507/2	0	03	15
	507/3	0	01	95
	507/4	0	03	75
	508/1	0	01	35
	508/2	0	07	20
	538	0	05	85

[सं. O–12016/10/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2674.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroluem & Natural Gas S.O. No. 1269 dated 14-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Goernment hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. N I 72 to GGS. III

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Villa ge	Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
Goblag	507/2	0	03	15
	507/3	0	01	95
	507/4	0	03	75
	508/1	0	01	35
	508/2	0	07	20
	538	0	05	85

[No. O-12016/10/86-ONG-D-4]

का.आ.सं. 2675.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2041 तारीख 7-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

सानन्द-20 से जी.जी.एस.-सानन्द I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
नासमेद	217/1	0	03	00
	218/1 } 218/3 }	0	09	00
	220/पी	0	03	15
	220/पी	0	03	60
	211	0	06	00
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	127	0	01	95
	128	0	17	40
	129	0	09	90
	134	0	06	00
	135	0	06	00
	104/1	0	08	85
	105	0	17	25
	98	0	15	15
	99/1	0	06	00
	96	0	05	70
	94	0	15	45
	93	0	15	75
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	88/पी	0	34	05

[सं. O–12016/60/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2675.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroluem & Natural Gas S.O. No. 2041 dated 7-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

87/1159 GI—9

SCHEDULE

Pipeline from Sanand-20 to GGS Sanand-I.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Nasmed	217/1	0	03	00
	218/1 } 218/3 }	0	09	00
	220/P	0	03	15
	220/P	0	03	60
	211	0	06	00
	Cart track	0	01	50
	127	0	01	95
	128	0	17	40
	129	0	09	90
	134	0	06	00
	135	0	06	00
	104/1	0	08	85
	105	0	17	25
	98	0	15	15
	99/1	0	06	00
	96	0	05	70
	94	0	15	45
	93	0	15	75
	Cart track	0	01	50
	88/P	0	34	05

[No. O—12016/60/86-ONG-D-4]

का.आ.सं. 2676.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०आ.सं. 2042 तारीख 12-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के.एल.ई.एच. (के-439) से जी.जी.एस.-9 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
पानसर	1060	0	06	15
	965	0	35	70
	961	0	15	90
	कार्ट ट्रैक	0	01	20
	924	0	03	60
	923	0	08	10

[सं. O–12016/61/86-ओ एन जी डी-4]

S.O. 2676.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroluem & Natural Gas S.O. No. 2042 dated 12-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Goernment hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from KLEH (K-439) to GGS IX.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Pansar	1060	0	06	15
	965	0	35	70
	961	0	15	90
	Cart track	0	01	20
	924	0	03	60
	923	0	08	10

[No. O—12016/61/86-ONG-D-4]

का.आ.सं. 2677.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2273 तारीख 22-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के-242 से के-194

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुक : कलोल

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
धामासाना	1017	0	04	65
	1012	0	08	10
	1011	0	02	25
	1008/पी	0	09	00
	1055	0	07	95
	1004	0	08	10
	995	0	10	80
	996	0	09	90
	985	0	01	50
	980	0	33	05
	964	0	06	30
	963	0	14	55
	962	0	04	00
	989	0	15	60

[सं. O–12016/76/86–ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2677.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2273 dated 22-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from K-242 to K-194

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Dhamasana	1017	0	04	65
	1012	0	08	10
	1011	0	02	25
	1008/P	0	09	00
	1005	0	07	95
	1004	0	08	10
	995	0	10	80
	996	0	09	90
	985	0	01	50
	980	0	33	05
	964	0	06	30
	963	0	14	55
	962	0	04	00
	989	0	15	60

[No. O—12016/76/86-ONG-D-4]

का. आ. 2678.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2994 तारीख 11-8-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है ।

और आग , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के. 405 से जी. जी. एस. VII तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्यः—गुजरात, जिला व तालुकाः— गांधीनगर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
उवारसद	1053	0	09	75
	1051	0	09	60
	1052/2	0	07	50
	1071/1	0	06	75
	1071/2	0	15	75
	1036	0	06	00

[सं. O—12016/122/86/ओ. एन. जी. डी-4]

S.O. 2678.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2994 dated 11-8-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from K-405 to GGS VII

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Uvarsad	1053	0	09	75
	1051	0	09	60
	1052/2	0	07	50
	1071/1	0	06	75
	1071/2	0	15	75
	1036	0	06	00

[No. O-12016/122/86-ONG-D-4]

का. आ. 2679.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3728 तारीख 16-10-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

गंधार से परवाजन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्यः—गुजरात जिलाः— भरुच तालुकाः—वागरा

गांव	ब्लोक	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
केशवान	756	0	04.	00
	769	0	34	40
	771	0	14	80
	772	0	09	20
	774	0	58	00
	773	0	00	20
	780	0	25	40
	778	0	28	00
	779	0	07	80
	800	0	17	00
	801	0	06	80
	802	0	18	80
	806	0	25	00
	807	0	10	20
	815	0	07	00
	1032	0	28	40
	1033	0	05	40
	1031	0	20	00
	1030	0	10	40
	866	0	00	20
	867	0	41	60
	875	0	22	40
	877	0	11	40
	878	0	22	40
	879	0	21	60
	883	0	10	60
	886	0	16	00
	844	0	29	60
	920	0	19	80
	918	0	06	00
	916	0	34	00
	917	0	14	00
	963	0	11	60
	965	0	13	60
	964	0	15	20
	971	0	34	80
	972	0	18	40
	1003	0	20	78
	973	0	00	90

1	2	3	4	5
	1002	0	16	60
	998	0	28	00
	989	0	04	37
	992	0	7	00
	991	0	09	00
	990	0	03	40
	993	0	00	50

[सं. O—12016/158/86-ओ. एन. जी.-डी-4]

S.O. 2679.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3726 dated 16-10-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Gandhar to Pakhajan

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Keshwan	756	0	04	00
	769	0	34	40
	771	0	14	80
	772	0	09	20
	774	0	58	00
	773	0	00	20
	780	0	25	40
	778	0	28	00
	779	0	07	80
	800	0	17	00
	801	0	06	80
	802	0	18	80
	806	0	25	00
	807	0	10	20
	815	0	07	00
	1032	0	28	40
	1033	0	05	40
	1031	0	20	00
	1030	0	10	40
	866	0	00	20
	867	0	41	60
	875	0	22	40
	877	0	11	40
	878	0	22	40
	879	0	21	60
	883	0	10	60
	886	0	16	00
	844	0	29	60
	920	0	19	80
	918	0	06	00
	916	0	34	00
	917	0	14	00
	963	0	11	60
	965	0	13	60
	964	0	15	20
	971	0	34	80
	972	0	18	40
	1003	0	20	78
	973	0	00	90
	1002	0	16	60
	998	0	28	00
	989	0	04	37
	992	0	17	00
	991	0	09	00
	990	0	03	40
	993	0	00	50

[No.O-12016/158/86-ONG-D-4]

का. आ. सं. 2680.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1810 तारीख 11-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

सोभासन सी. टी. एफ. से जी. जी. एस.-I तक पाइ लाइन बिछाने के लिए।

राज्यः—गुजरात जिला व तालुकाः—मेहसाना

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
सोभासन	84	0	02	25
	82	0	05	00
	81	0	01	80
	कौर्ट ट्रेक	0	00	25
	65	0	05	30
	66	0	01	80
	67	0	03	00
	68	0	02	95
	39	0	03	45
	44	0	01	85
	45	0	02	85
	46/1	0	01	25
	43	0	01	50
	47	0	04	40
	कौर्ट ट्रेक	0	00	30
	31	0	08	10
	कार्ट ट्रेक	0	01	50
	29	0	01	60

[सं. O-12016/36/85-ओं. एन. जी-डी 4]

S.O. 2680.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 1810 dated 11-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from CTF Sobhasan to GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Sobhasan	84	0	02	25
	82	0	05	00
	81	0	01	80
	Cart track	0	00	25
	65	0	05	30
	66	0	01	80
	67	0	03	00
	68	0	02	95
	39	0	03	45
	44	0	01	85
	45	0	02	85
	46/1	0	01	25
	43	0	01	50
	47	0	04	40
	Cart track	0	00	30
	31	0	08	10
	Cart track	0	01	50
	29	0	01	60

[No. O-12016/36/85-ONG-D-4]

का. आ. सं. 2681:— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 795 तारीख 11-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची

में विनिदष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं. 28 से डबका जी. सी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : पादरा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गवासद	92	0	10	95
	95	0	12	75
	133	0	05	25
	134	0	00	64
	132	0	12	00
	131	0	13	80
	127/3	0	10	50
	127/2	0	04	45
	113/1	0	10	60
	126	0	00	65
	113/2	0	03	75
	113/3	0	06	00
	113/4	0	07	80

[सं. O-12016/15/87-ओ एन जी-डी-4]

पी. के. राजगोपालन, डैस्क आफिसर

S.O. 2681.—Whereby by notification of the Government of India in the Ministry of Petroluem & Natural Gas S.O. No. 795 dated 11-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 28 to Dabaka G.C.S.

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Gavasad	92	0	10	95
	95	0	12	75
	133	0	05	25
	134	0	00	64
	132	0	12	00
	131	0	13	80
	127/3	0	10	50
	127/2	0	04	45
	113/1	0	10	60
	126	0	00	65
	113/2	0	03	75
	113/3	0	06	00
	113/4	0	07	80

[No.O-12016/15/87-ONG-D-4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1987

का.आ. 2682.—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3, उपधारा (3) के खण्ड (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग विकास बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों को 15 सितम्बर, 1987 से आगे और दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए उक्त बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है :—

1. कर्नल एस. पी. वाही, अध्यक्ष, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य
2. डा. एस. गांगुली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स का. लि.	

3. श्री जोसफ कुरियन, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, मद्रास फर्टीलाइजर्स लि. — खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य

4. डा. हरी नारायण, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद।
5. श्री राजा कुलकर्णी, अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम वर्कर्स — खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त सदस्य

[सं. 7/9/85-वित्त-II]

एम. कुमारास्वामी, निदेशक (वित्त)

MINISTRY OF PETROLEUIM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 16th September, 1987.

S.O. 2682 :—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (3) of section (3) of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974) the Central Government hereby reappoints the undermentioned members of the Oil Industry Development Board as members of the said Board with effect from the 15th September. 1987 for a period not exceeding two years:—

1. Col. S.P. Wahi, Chairman, Oil & Natural Gass Commission.
2. Dr. S. Ganguli, Chairman & Managing Director, Indian Petrochemicals Corpn. Ltd.
3. Shri Joseph Kurien, Chairman & Managing Director, Madras Fertilizers Ltd.

—Members appointed under clause(c)

4. Dr. Hari Narayan, Ex. Director, National Geophysical Research Institute, Hyderabad.
5. Shri Raja Kulkarni, President, National Federation of Petroleum Workers.

Members appointed under clause (d)

[No. 7/9/85-Fin. II]

M. KUMARASWAMI Director (Finance).

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1987

का.आ.2683 :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं।
1	2
कार्यपालक इंजीनियर, पूर्वोत्तर अन्वेषण प्रभाग सं. 1, केन्द्रीय जल आयोग, सिलचर।	उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित केन्द्रीय जल आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर।

[सं. 24/87-फा.सं. 21/2/87-स्था.]

वी.के. माथु, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 20th August, 1987

S.O. 2683 :—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column 1 of the table below, being a gazetted officer of the Government, to be the estate officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on the estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entries in column 2 of the said table :

TABLE

Designation of officer	Categories of Public Premises and Local limits of jurisdiction
1	2
Executive Engineer, North Eastern Investigation Division No. 1, Central Water Commission, Silchar.	Premises under the administrative control of the Central Water Commission situated within the local limits of his jurisdiction.

[No. 24/87. F. No. 21/2/87-Estt. I]
V. K. SADHU, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987

का.आ. 2684 :—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहां के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है :—

पश्चिम रेलवे :

बंबई मंडल

1. स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, ग्रांट रोड
2. वरिष्ठ बिजली फोरमैन (चलस्टाक) कार्यालय, बामी
3. लोको फोरमैन, बामी
4. बिजली फोरमैन, (पावर), बामी
5. वैगन फोरमैन, बामी
6. स्टेशन अधीक्षक, बामी
7. स्टेशन अधीक्षक, दादर
8. मुख्य संकेत निरीक्षक (इंचार्ज), अंधेरी
9. स्टेशन अधीक्षक, बोरीवली
10. स्टेशन अधीक्षक, अंधेरी
11. संकेत निरीक्षक (इंचार्ज), बोरीवरी
12. वरिष्ठ बिजली फोरमैन (पावर), बोरीवली
13. स्टेशन अधीक्षक, नंदुरबार
14. सहायक लोको फोरमैन, नंदुरबार
15. स्टेशन अधीक्षक, सूरत
16. वरिष्ठ बिजली फोरमैन (पावर), सूरत
17. वरिष्ठ बिजली फोरमैन (ट्रेन लाईटिंग), सूरत
18. लोको फोरमैन, उधना
19. स्टेशन अधीक्षक, उधना
20. सहायक बिजली फोरमैन (पावर), उधना
21. स्टेशन अधीक्षक—डहाणु रोड
22. स्टेशन अधीक्षक—वापी
23. स्टेशन अधीक्षक—पालघर
24. स्टेशन अधीक्षक—बीलीमोरा
25. स्टेशन अधीक्षक—नवसारी
26. स्टेशन अधीक्षक—बलसाड

[सं. हिन्दी 87/रा.भा. I/12/2]
एस.एम. वैश, सचिव रेलवे बोर्ड,
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 17th September, 1987

S.O. 2684.—In pursuance of Sub-Rule (2) and (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the official purposes of the Union), Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board), hereby notify the following offices of Western Railway where staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

WESTERN RAILWAY

BOMBAY DIVISION

1. Station Superintendent, Grant Road.
2. Senior Electrical Foreman, (Rolling Stock), Bami.
3. Loco Foreman, Bami.
4. Electrical Foreman (Power), Bami.
5. Wagon Foreman, Bami.
6. Station Superintendent, Bami.
7. Station Superintendent, Dadar.
8. Chief Signal Inspector (Incharge), Andheri.
9. Station Superintendent, Borivali.
10. Station Superintendent, Andheri.
11. Signal Inspector (Incharge), Borivali.
12. Senior Electrical Foreman (Power), Borivali.
13. Station Superintendent, Nandurbar.
14. Assistant Loco Foreman, Nandurbar.
15. Station Superintendent, Surat.
16. Senior Electrical Foreman (Power), Surat.
17. Senior Electrical Foreman (Train Lighting), Surat.
18. Loco Foreman, Udhana.
19. Station Superintendent, Udhana.
20. Asistant Electrical Foreman (Power), Udhana.
21. Station Superintendent, Dahanu Road.
22. Station Superintendent, Wapi.
23. Station Superintendent, Palghat.
24. Station Superintendent, Bilimora.
25. Station Superintendent, Navsari.
26. Station Superintendent, Valsad.

[No. Hindi-87/OL-I/12/2]
S. M. VAISH, Secy. Railway Board
and Ex-officio Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1987

का. आ. 2685 :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91 क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के होटलों के नियमित कर्मचारियों को उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जाएगी, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त प्रतिष्ठान, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट से प्रवृत्त होने की तारीख के पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले से संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ;

(4) उक्त प्रतिठान का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस प्रतिष्ठान पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त प्रतिष्ठान के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखानें, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखानों, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

अनुसूची

क्रमांक	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के होटल का नाम	छूट की अवधि
1	2	3
1.	होटल अशोक, बंगलौर	18 जुलाई, 1973 से 6 फरवरी, 1983
2.	होटल हसन अशोक, हसन	1 जनवरी, 1982 से 6 फरवरी, 1983
3.	ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	1 फरवरी, 1980 से 6 फरवरी, 1983
4.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	15 दिसम्बर, 1978 से 30 अप्रैल, 1984
5.	लक्ष्मी विकास पैलेस होटल, उदयपुर	1 जुलाई, 1970 से 30 सितम्बर 1985
6.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	17 फरवरी, 1980 से 12 दिसम्बर, 1984
7.	होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना	1 फरवरी, 1980 से 30 जून, 1984

1	2	3
8.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	1 फरवरी, 1980 से 30 जून, 1984
9.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	2 अक्टूबर, 1982 से 31 जुलाई, 1984
10.	अशोक होटल, नई दिल्ली	1 जुलाई, 1970 से 31 मई, 1986
11.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	1 जुलाई, 1970 से 31 मई, 1986
12.	लोधी होटल, नई दिल्ली	—वही—
13.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	—वही—
14.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	—वही—
15.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	1 नवम्बर, 1982 से 31 मई, 1986
16.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	17 अक्तूबर, 1982 से 31 मई, 1986
17.	कनिष्क होटल, नई दिल्ली	1 अगस्त, 1982 से 31 मई, 1986

[एस–38014/19/86-एस. एस. 1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पत्र देरी से प्राप्त हुए थे। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th September, 1987

S.O. 2685.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Hotels of the India Tourism Development Corporation Ltd., New Delhi, specified in the Schedule annexed hereto from the operation of the said Act for the period specified in the 3rd column of the said Schedule.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid establishment wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said establishment shall submit in respect of the period during which that establishment was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said establishment be empowered to :—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Hotels of the Indian Tourism Development Corporation Ltd., New Delhi	Period of exemption
1	2	3
1.	Hotel Ashok, Bangalore	18 July, 1973 to 6 February, 1983.
2.	Hotel Hasan Ashok, Hasan	1 January, 1982 to 6 February, 1983
3.	Lalitha Mahal Palace Hotel, Mysore.	1 February, 1980 to 6 February, 1983.
4.	Hotel Jaipur, Ashoka, Jaipur.	15 December, 1978 to 30th April, 1984
5.	Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur.	1 July, 1970 to 30 September, 1985
6.	Hotel Kalinga, Ashok, Bubaneshwar.	17 February, 1980 to 12 December, 1984.

7.	Hotel Patliputra Ashok, Patna.	1 February, 1980 to 30 June, 1984.
8.	Hotel Varanasi Ashok, Varanasi.	1 February, 1980 to 30 June, 1984.
9.	Hotel Aurangabad Ashok, Aurangabad.	2 October, 1982 to 31 July, 1984.
10.	Ashok Hotel, New Delhi.	1 July, 1970 to 31 May, 1986.
11.	Janpath Hotel, New Delhi.	1 July, 1970 to 31 May, 1986.
12.	Lodhi Hotel, New Delhi.	1 July, 1970 to 31 May, 86.
13.	Ranjit Hotel, New Delhi.	1 July, 1970 to 31 May, 1986.
14.	Qutab Hotel, New Delhi.	1 July, 1970 to 31 May, 1986.
15.	Samrat Hotel, New Delhi.	1 November, 1982 to 31 May, 1986.
16.	Ashok Yatri Niwas, New Delhi.	17 October, 1982 to 31 May, 1986.
17.	Kanishka Hotel, New Delhi.	1 August, 1982 to 31 May, 1986.

[No. S-38014/19/86-SS.I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1987

का. आ. 2686.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल इन्सट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है ।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात:—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते,

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसमें इसमें उसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी :—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए,; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है नकद और वस्तु रूप में जाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उदधरण लेना।

[सं. एस-38014/66/86-एस. एस-1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

New Delhi, the 11th September, 1987

S.O. 2686.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the National Instruments Ltd., Calcutta from the operation of the said Act for a period with effect from 1st July, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the saidAct hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in the behalf shall, for the purposes of—

(i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/66/86-SS-I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का. आ 2687:—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के क्षेत्रीय और विपणन कार्यालय के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली मार्च, 1986 से 30 सितम्बर 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात:—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे।

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिसको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी:—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपान किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अभियोग में के कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दतावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं. एस-38014/71/86-एस.एस.-1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 2687.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Regional and Sales Office of M/s. Bharat Electronics Limited, New Delhi from the operation of the said Act for a period with effect from 1st March, 1986 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees ;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in the behalf shall, for the purposes of—

(i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of

which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014|71|86-SS-I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का.आ. 2688.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की केन्द्रीय कर्मशाला लाडरी तथा पुनर्वास और कृत्रिम अंग विभाग के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली अक्तूबर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररुप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्त्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना

[सं. एस-38014/65/86-एस-एस-I]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 2688.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Central Workshop, Laundry and the Department of Rehabilitation and Artificial Limbs of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in the behalf, shall for the purposes of—

(i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/65/86-SS-I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का.आ. 2689—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड पी-68, सी.सी.आर., डाइवरसन रोड, पहाड़पुर, कलकत्ता और इंडियन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड, पिर पाऊ, बाम्बे, मुम्बई-74 के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली अक्तूबर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की और अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) नियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (j) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेखा उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अभियोग में कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्त्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं. एस.-38014/45/86-एसएस-I]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लग गया था किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 2689 :—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Indian Oil Blending Limited, P–68, CCR Diversion Road, Paharpur, Calcutta and the Indian Oil Blending Limited, Pir Pav Trombay, Bombay-74 from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 87.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exemted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the opration of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns is such form and containing such particulars at were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) Verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being or granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory he empowers to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such account, with books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, of office or other premises.

[F. No. S-38014/45/86-SS-I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not effect the interest of anybody adversely.

का. आ. 2690 :—बिहार राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में श्री बल्लभ शरण के स्थान पर श्री बृज भूषण सहाय, सचिव एवं सलाहकार बिहार राज्य को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 545 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 10 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"श्री बृज भूषण सहाय,
सचिव एवं सलाहकार,
श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग,
पटना।"

[सं. यू-16012/5/87-एस.एस.I]

S. O. 2690 .—Whereas the State Government of Bihar has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Sri Braj Bhusan Sahay', Adviser-cum-Secretary to the Government of Bihar, to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Ballabh Sharan;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against Serial number 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"Sri Braj Bhusan Sahay,
Adviser-cum-Secretary to the Govt. of Bihar,
Department of Labour, Employment & Training
PATNA."

[No. U-16012/5/87-SS.I]

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1987

का० आ० 2691 :—मैसर्स श्री श्रीराम को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, पुरानी म्यूनिसिपल पायलट डेरी के सामने, कनकारिया, अहमदाबाद (गुजरात) (जी० जे०/7259) (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद के स्थापन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले भी सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन उस रकम से कम है जो कर्मचारी भी उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम, के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिना जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014(94)87-एस०एस०-2]

New Delhi, the 14th September, 1987

S. O. 2691—Whereas Messers Shree Shreyeash Co-operative Credit Society Limited, Opp. Old Municipal Pilot Dairy, Kankaria, Ahmedabad-22 (GJ/7259) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment

are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in he nature of Life Insurance which are more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conf rred by sub-section (2A)ofsection 1 of the said Act and subject to the condition specified in the said Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such insepection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available of the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhnced, so that the benets available under the Group Insurance Scheme are mole favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior apprval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased membrs who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(94)/SS-II/187]

का. आ. 2692.—मैसर्स दि सिटिजन अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि., कोठारी मार्किट, इंदौर (एम. पी./5133) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का 17 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों

से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन से संबंध के नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(95)/87-एस.एस-2]

S.O. 2692.—Whereas Messr. The Citizen Urban Co-operative Bank Limited, Kothari Market, Indore (M.P.) (MP/5133) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than

the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such return to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(95)-87-SS-II]

का.आ 2693.—मैसर्स विदिशा जिला सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, विदिशा, (म.प्र.) (एम.पी./2132) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जायेगा, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितियों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(96)/87-एस.एस-2]

S.O. 2693.—Whereas Messrs Vidisha Jila Sahakari Bhoomi Vikas Bank Maryadit, Vidisha (Madhya Pradesh) (MP/2132) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (Hereinafter referred to a s the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corportion of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employes than the benefits admissible under the Employee's Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employee's Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the Employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favorable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/ nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(96)87-SS-II]

का. आ. 2694.—मैसर्स आन्ध्रा प्रदेश लाइटिनिगज लि., अन्तथापुर, आन्ध्रा प्रदेश (ए. पी./5573), (जिसे, इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्रा प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्रा प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(97)87-एस. एस. -2]

S.O. 2694 .—Whereas Messrs Andhra Pradesh Lightings Limited, Ananthapur, Andhra Pradesh, (AP/5573) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Sections 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(97)/87—SS-II]

का. आ. 2695.—मैसर्स लम्बार्ड मैमोरियल हास्पीटल उडुपी-576101 (के. एन./4759), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मंगलौर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मंगलौर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों का विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(98)/87-एस. एस. -2]

S.O. 2695.—Whereas Messrs Lombard Memorial Hospital, Udupi-576101 (KN/4759) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exemptes the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Mangalore and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group, Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Mangalore and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premiun etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premiun the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(98)/87-SS-II]

का. आ. 2696.—मैसर्स न्यूट्राइन कान्फैक्सनरी कम्पनी प्राइवेट लि., चित्तौर-517001 (ए.पी./1269) और इसकी सभी शाखाएं जो इसी कोड नम्बर के अन्तर्गत हैं। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधार-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्रा प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फ़ायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्रा प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(99)/87—एस. एस.-2]

S.O. 2696.—Whereas Messrs Nutrine Confectionery Company Private Limited, Chittor-517001(AP)/1269) and its branches covered under this code No. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premiun, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Inurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are

more favourable to such, employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);-

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returned to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Goernment may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premiun in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had emloyee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014 (99)/87-SS-II]

का. आ. 2697.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 3048, तारीख 2 सितंबर, 1967 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मेसर्स हार्डकैसल वाड एण्ड कंपनी लिमिटेड, एलिस बिल्डिंग, डा. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुम्बई-1 (एम एच/4063) को दी गई छूट तुरंत रद्द करती है ।

[सं. एस. 35012(18)/87—एस. एस. II]

S.O. 2697—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby cancels with immediate effect the exemption granted to M/s. Hardcastle Wand and Co., Ltd., Alice Building, Dr. D.N. Road, Fort, Bombay-1 (MH/4063) under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act by the Notification of the Government of India, in the Late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No.S.O. 3048, dated the 2nd September, 1967.

[No. S.-35012/18/87-SS-II]

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987

का.आ. 2698:—मैसर्स माउण्ट शिवालिक, ब्रेवरीज लि., भंकारपुर (चण्डीगढ़ के निकट) जिला पटियाला, पंजाब (पी.एन./4582) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2367 तारीख 11-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 21-7-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-90 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या

उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/61/84-एफपीजी(एस.एस.-2)]

New Delhi, the 17th September, 1987

S.O. 2698.—Whereas Messrs Mount Shiva-Lik Breweries Limited, Bhankarpur (Near Chandigarh) District-Patiala-Punjab (PN/4582) (hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter, referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurace Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2367 dated the 11-7-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-7-1987 upto and inclusive of the 20-7-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurnace Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nothwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount paybale under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the

Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonalbe opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for its and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/61/84-FPG-SS-II]

का. आ. 2699 :—मैसर्स नायल मशीन लि., (जो पहले मद्रास मशीन टूल्स मैन्यूफैक्चरिंग लि. के नाम से जाना जाता था) 301 त्रिची रोड, सिंगनालूर, कोयम्बेटूर (टी. एन./2355) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2364 तारीख 11-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 21-7-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी इनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की इस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/62/84-एफ. पी. जी. (एस. एस.-2)]

S.O. 2699 :—Whereas Messrs Loyal Machine Limited (Formerly known as Madras Machine Tool Manufaturing Limited) 301 Trichy Road, Singanallur, Coimbatore (TN/2355) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2 A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium,in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insutrance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme' 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2364 dated the 11-7-84 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-7-1987 upto and inclusive of the 20-7-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the priod approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corpooation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsiblility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S.-35014/62/84.-FPG-SS.-II)]

का. आ. 2700 :—मैसर्स दी बासमैन इन्जीनियरिंग प्राइवेट लि., 1/2 एलेनबाई रोड, कलकत्ता (डब्ल्यू. बी./1162) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा

गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2360 तारीख 11-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 21-7-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संन्दाय करने में असफल रहता है, और पालीसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सब सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/63/84-एफ. पी. जी. (एस.एस-2)]

SO. 2700:—Whereas Messrs The Wasman Engineering Private Limited, 1/2, Allenby Road, Calcutta (WB/1162) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to the said Act).

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, SO. 2360 dated the 11-7-84 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-7-1987 upto and inclusive of the 20-7-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a)of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Groups Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Inturance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do no remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/63/84. FPG. SS.II

का.आ. 2701.—मैसर्स कन्सोलीडेटिड पैकोमैटिक टूल कम्पनी (इण्डिया) लि., 301/302 एल. बी. एन. मार्ग, मुकुन्द बम्बई-400080 (एम. एच./3780),(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2606 तारीख 18-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 11-8-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-8-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/68/84-एफ.पी.जी. (एस. एस-2)]

S.O. 2701.—Whereas Messrs Consolidated Pneumatic Tool Company (India) Limited, 301/302, LBS Marg, Mulund (W) Bombay-400080 (MH/3780) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2606 dated the 18-7-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 11-8-1987 upto and inclusive of the 10-8-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been

covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India, shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/68/84-F.P.G.SS. II]

का. आ. 2702—मैसर्स हाई वे साईकल इण्डस्ट्रीज लि., 698, इन्डस्ट्रियल एरिया बी, लुधियाना (पंजाब) (पी. एन./3595), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2601 तारीख 18-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 11-8-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-8-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का

सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर के निश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/71/84-एफ.जी.पी. (एस.एस-2)]

S.O. 2702.—Whereas Messrs Highway Cycle Industries Limited, 698, Industrial Area 'B', Ludhiana (Panjab) (PN/3595) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2601 dated the 18-7-1984 and subject the conditions specified the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further perod of three years with effect from 11-8-1987 upto and inclusive of the 10-8-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charge as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/71/84. FPG (SS. II)]

का.आ. 2703—मैसर्स बैली ब्यू क्लिनिक, 9-डा. यू.एन. ब्रह्मचारी स्ट्रीट, कलकत्ता—700017 (डब्ल्यू. बी. 15010) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं, वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2611 तारीख 23-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए स्थापन को, 11-8-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-8-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को, जो यदि यह छूट न दी गई होती, तो उक्त स्कम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/73/84एफ.पी. जी (एस. एस-2)]

S.O. 2703.—Whereas Messers Belle Vue Clinic, 9-Dr. U.N. Brahumachari Street, Calcutta-700017 (WB/15010) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2611 dated the 23-7-1984 and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 11-8-1987 up to and inclusive of the 10-8-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits avaiiable under te Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before

giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as aready adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the promium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. 35014/73/84-FP-GSS-II]

का. आ. 2704:—मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., बिवार रोड, अजमेर, राजस्थान (आर. जे./1392) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2610 तारीख 23-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 11-8-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-8-1990 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षणों प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना आमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या-एस-35014/74/84एफ. पी. जी. एसएस-2]

S. O. 2704. —Whereas Messrs Hindustan Machine Tools Limited, Beawar Road, Ajmer, Rajastan (RJ/1392) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of he Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporaion of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refered to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2610 dated the 23-7-1984 and subjct to the conditions specified in th schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 11-8-1987 upto and inclusive of the 10-8-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and povide such facilities for inspection as the Central Goverment may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of)the employees.

5. Whereas, an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of a establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

5. The employer shall arrange to enahance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefis availale under the Group Insurance Scheme are more favouable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payble under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is

likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/74/84-FPG (SS. II)]

का.आ. 2705—मैसर्स बर्दराजा टैक्सटाइल प्राइवेट लि., पीलामेडु, को-अम्बाटूर-641004 (टी.एन./519) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3601 तारीख 23-10-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 10-11-87 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 9-11-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडु, से पूर्व अनुमोद

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/108/84-एस.एस-4(एसएस-2)]

S. O. 2705 .—Whereas Messrs Shr Varadaraja Textiles Private Limited, Peelamedu, Coimbatore-641004 (TN/519) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the sid establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in emjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S. O. 3601 dated the 23-10-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 10-11-1987 upto and inclusive of the 9-11-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relatin to the said establis hment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and prvide such facilities for inspction as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including mintenance of accounts, submission of returns, payments of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him a member of the Group Insrurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provision of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior

approval of the Regional-Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of vew.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishemnt, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the pemium etc. within the due dte, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. The case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/108/84.SS.IV-SS. II]

का. आ. 2706.—मैसर्स को-अम्बेटूर पाईनर फर्टीलाइजर लि., मुथुगौमदैनपुडूर पोस्ट सूलूर (कोअम्बेटूर) (टी. एन./5639), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3602 तारीख 23-10-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 10-11-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 9-11-1990 भी सम्मलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/109/84-एफ. पी. जी. (एस.एस-2)]

S.O. 2706 .—Whereas Messrs Coimbatore Pioneer Fertilisers Limited, Muthu-goumdenpudur Post Sulur (Coimbatore) 641406 (TN/5639) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

And Wheares, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (herein after referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-secion (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S. O. 3602 dated the 23-10-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a futher period of three years with effect from 10-11-1987 upto and inclusive of the 9-11-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section(3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accouns, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Governmet, and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas, an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employee under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the jemployees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsiblity for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/109/84-FPG-SS.II]

का. आ. 2707—मैसर्स ला शज्जर ब्लोअर्स प्राइवेट लि., कल्याण मिल्स के निकट, नरोदा रोड, अहमदाबाद-380025 (जी.जे./20-सी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3047 तारीख 17-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 28-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये, जिसमें 27-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिस से कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा

में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/122/82-पी.एफ. 2(एस.एस-II)]

S. O. 2707.—Whereas Messrs La-Gajjar Blowers Private Limited, Near Kalyan Mills, Naroda Road, Ahmedabad-380025 (GJ/20-C) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees, Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3047 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges, as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintonance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced. so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less

than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal hair/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the promium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurence Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S.-35015/122/82-PF. II (SS.-II)]

का० आ० 2808:—मैसर्स संगली अरबन को-आपरेटिव बैंक लि०, सी० एस० नं० 404, खान भाग, संगली-416416 (एम० एच०/7208) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4591 तारीख 1-12-1984 के अनुशरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 22-12-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें 21-12-1980 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम, के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक, भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/127/84-एस०एस०-4(एस०एस०-2)]

S.O. 2707.—Whereas Messrs Sangali Urban Co-operative Bank Limited, C.S. No. 404, Khan Bhog, Sangali-416416 (MH/720(8) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4591 dated 1-12-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-12-1987 upto and inclusive of the 21-12-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/ nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made with out the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/127/84—SS. IV-SS. II)]

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1987

का.आ. 2709—मैसर्स अहमदाबाद जुबली मिल्स लि., दरियाफ गेट के बाहर, पोस्ट बाक्स नं. 158, अहमदाबाद-380010 (जी. जे. 266) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2714 तारीख 1-7-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 24-7-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 23-7-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों

के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/12/82-पी.एफ.-2(एस एस-2)]

New Delhi, the 18th September, 1987

S.O. 2709.—Whereas Messrs. Ahmedabad Jublee Mills Limited, Outside dariyaph Gate, P.B. No. 158, Ahmedabad-380010 (GJ/266) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2714 dated the 1-7-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-7-1985 upto and inclusive of the 23-7-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation, of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/12/82-PF-II-SS-II]

का.आ. 2710.—मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि., रखियाल रोड, अहमदाबाद-380023 (जी.जे/1049) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2366 तारीख 11-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 21-7-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि की या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्व दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/58/84-एफ पी जी (एस एस-2]

S.O. 2710.—Whereas Messrs. Indian Oxygen Limited, Rakhial Road, Ahmedabad-380023 (GJ/1049) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2366 dated the 11-7-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-7-1987 upto and inclusive of the 20-7-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishbents, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. No withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/58/84-PFG-SS-II]

का.आ. 2711—मैसर्स जे.के. स्टैपल एण्ड टोस, जे.के. नगर, कोटा (राज्यस्थान) (आर.जे./1720) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2361 तारीख 11-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 21-7-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-7-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/64/84-एफ.पी.जी (एस एस-2)]

S.O. 2711.—Whereas Messrs. J. K. Staple and Tows, Jay Kay Nagar, Kota (Rajasthan) (RJ/1720) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2361 dated the 11-7-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-7-1987 upto and inclusive of the 20-7-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation, of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/64/84-PFG SS-II]

का.आ. 2712—मैसर्सनागरजूना स्टील्स लि., नागरजूना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद (ए. पी./6330) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3599 तारीख 23-10-1984 के अनुसरण में और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 10-11-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिससे 9-11-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्रा प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (ग) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप

मे वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/104/84-एसएस 4 (एसएस.-II)]

S.O. 2712.—Whereas Messrs Nagarjuna Steels Limited, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad (AP/6330) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3599 dated the 23-10-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 10-11-1987 upto and inclusive of the 9-11-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/104/84-SS-IV-SS-II]

का.आ. 2713.—मैसर्स-बोलानी आर्स माइन्स, चार्टर बैंक बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स नं० 46, कलकत्ता 700001 (डब्लू० बी०/5077) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय का प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4679 तारीख 28-11-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उस स्थापन को, 24-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नयोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजक कहा जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों का उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/282/83-पी. एफ. 2/(एस. एस-2)]

S.O. 2713.—Whereas Messrs Solani Ores Mine, Chartered Bank Building, Post Box-46, Calcutta-700001 (WB/5077) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in he Ministry of Labour, S.O. 4679 dated the 28-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-12-1986 upto and inclusive of the 23-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provicent Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspections as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilities for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/282/83-PF-II-SS-II]

का. आ. 2714.—मैसर्स—मुद्रा कम्युनिकेशन (प्राइवेट) लि., मणिक्याम अपार्टमेन्ट, सरदार पटेल नगर, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006 (जी. जे./4147-ए) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2603 तारीख 18-7-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 11-8-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-8-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/69/84-एफ.पी.जी. (एस.एस.-2)]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 2714.—Whereas Messrs Mudra Communications (Private) Limited, Manikyam apartments, Sardar Patel Nagar, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 (GJ/4147-A) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2603 dated the 18-7-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 11-8-87 upto and inclusive of the 10-8-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspections as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilities for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/69/84-PFG-II-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1987

का. आ. 2715.—कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की अनुसूची III के भाग "ग" में निर्दिष्ट व्यावसायिक रोगों और नियोजनों को शामिल करने हेतु नोटिस, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4221 तारीख 11 दिसम्बर, 1986 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उपखंड (ii) में तारीख 20 दिसम्बर, 1986 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से, जब भारत के राजपत्र जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, चार माह की अवधि के समाप्त होने तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 23 दिसम्बर, 1986 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और किसी भी व्यक्ति से, जिसके प्रभावित होने की संभावना थी, कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची III के भाग "ग" में निम्नलिखित व्यावसायिक रोगों और नियोजनों को शामिल करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की अनुसूची III के भाग "ग" में, क्रमांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, अर्थात्:—

"6 एक्यूट पुलमोनरी ओडिमा आफ हाई एल्टीच्यूड संबंधित जोखिम से उच्छन्न सभी कार्य"

[संख्या एस-37018/1/79-एस. एस. I]

मीना गुप्ता, निदेशक

New Delhi, the 15th September, 1987

S.O. 2615—Whereas a notice to add the occupational diseases and employments specified in part 'C' of Schedule III to the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) was published, as required by sub-section (3) of section 3 of the said Act with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 4221, dated the 11th December, 1986, in the Gazette of India, Part II, section 3, of sub-section (ii) dated the 20th December, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of four months from the date on which the copies of the Gazette of India, in which the notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 23rd December, 1986.,

And whereas no objection or suggestion has been received from any person likely to be affected thereby;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the said

Act, the Central Government hereby adds the following occupational diseases and employment, to part 'C' of Schedule III to the said Act, namely:—

In part 'C' of Schedule III to the said Act, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—

"6. Acute Pulmonary Oedema of High Altitude.	All work involving exposure to the risk concerned."	

[S—37018/1/79—HI—(SSI)]

MEENA GUPTA, Director

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1987

का. आ. 2716.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, नारदर्न रेलवे के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 सितम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 17th September, 1987

S.O. 2716.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Senior Divisional Mechanical Engineer, Northern Railway and their workmen, which was received by the Central Government on the 7-9-87.

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 258 of 1985

Reference No. L-41011|34|84-D.II(B) dt. 14th August, 1985

In the matter of dispute between :

Shri B. D. Tewari, Zonal Working President, Uttar Railway Karamchari Union, 96/196, Roshan Bajaj Lane, Ganeshganj, Lucknow.

AND

Senior Divisional Mechanical Engineer, Uttar Railway, Lucknow.

APPEARANCE :

Shri B. D. Tewari, representative for the workman &

Shri Hamid Qureshi, Counsel for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-41011|36|84-D.II(B) dt. 14-8-85, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the retrenchment of three workmen with effect from 5-9-81 without giving notice and compensation after completion of one year's continuous service is justified ? If not, to what relief the workman are entitled ?

2. This reference has been made on the issue raised by the Zonal Working President, URKU in respect of 3 persons namely S/Shri Ramesh Chandra Verma, Ram Lotan Rastogi and Mahesh Chandra Yadav. The claim statement in this case has been filed not by any of these persons but on their behalf by Shri B.D. Tewari, Zonal Working President, Uttar Railway Karamchari Union, Lucknow.

3. In short the case set up by the aforesaid union is that Ramesh Chandra Verma, Ram Lotan Rastogi and Mahesh Chandra Yadav were substitute casual labour in Loco Running Shed, Northern Railway Lucknow from 19-9-79, 1-3-78 and 1-9-80 respectively and all of them had worked continuously up to 4-9-81. Their services were terminated illegally without compliance of the provisions of section 25F of the I.D. Act, 1947 w.e.f. 5-9-81.

4. The defence is that these three persons had never completed 240 days work in one year nor they had completed 120 days continuous working in one spell. Their working was as per computarised list. It is further pleaded that they were not entitled to any notice or pay in lieu of notice or even any retrenchment compensation. Next it is pleaded that these three claimants are not workman and as such are not entitled to claim by benefit under any of the provisions of the Act. Lastly, it is pleaded that the claim statement submitted by the applicants through Shri B. D. Tewari, allegedly Zonal Working President, URKU is not maintainable as he has no authority file it. The claim statement could have been filed his own affidavit and they have been cross-examined to give strict proof of his authority to file the claim statement on behalf of these three applicants.

5. In support of their respective cases each applicant has filed him own adavit and they have been cross examined on their affidavits from the side of the management from the side of the management affidavit of one Shri R. B. Yadav Assistant Superintendent, Loco Shed, Northern Railway, Lucknow, has been filed and he has been cross examined on behalf of the three applicants by Shri Tewari. Shri Ramesh Chandra Verma in the instant case has filed two affidavits in support of his contention dated 10-9-1985 filed alongwith his claim statement and the other dated 31-1-86 filed subsequently, wherein he has deposed that he was employed in Loco Shed Northern Railway at Lucknow as cleaner from 19-9-81 to 4-9-81 and has worked continuously as Tube clearner for most of the period. He has further deposed that during the period of his employment two free passes, one dt. 23-8-80 and second dt. 15-6-81 were issued to him and these two free passes atleast prove that he had been in the employment of the management from 23-8-80 to 4-9-81, meaning thereby that he had worked during the period of 12 months preceeding the date of termination of his services for more than 240 days.

6. Shri Ram Lotan Rastogi has also filed two affidavits one dated 10th September, 1985 filed with the claim statement and the second dated 22nd January, 1986 filed on subsequent date. In para 2 and 6 of his first affidavit he has deposed that he had worked for more than 240 days in the year preceding the date of termination of his services and that he had worked continuously for more than 240 days in the year 1981, the working period of 1980 being in addition thereto. In this affidavit he has not mentioned as to when he was first appointed as substitute casual labour. However, in his second affidavit he has deposed that he was appointed as substitute casual labour on 1st March, 1978 in Loco Running Shed, Northern Railway, Alambagh, Lucknow, on full pay of a temporary railway employee. He has also referred to some copy of certificate dt. 10th July, 1980 issued to him by Assistant Mechanical Engineer, Lucknow. According to his statement in para 3 of the affidavit the said copy has been enclosed with the affidavit but no such copy appears on the file of this case. Lastly he has referred to the filing of two photostat copies of the passes one dated 8th August, 1981 and the second dated 7th July, 1980. Thus by means of his second affidavit he has tried to bring his case in line with the case set up in the claim statement.

7. The third affidavit is of Shri Mahesh Kumar Yadav. He had not filed any affidavit with the claim statement. He only filed it subsequently. The affidavit is dated 31st January, 1986. He has stated that he had worked as substitute cleaner in

Loco Running Shed Alambagh Lucknow from 1st September, 1980 to 4th September, 1981 and received during the said period a free pass on 20th October, 1980 which he could have availed of upto 19th February, 1981. According to him also he had worked for more than 240 days in the year preceeding the date of his retrenchment.

8. On the other hand Shri R. B. Yadav, management witness has reiterated the facts stated in the written statement in his affidavit.

9. On a careful consideration of the evidence on record I find that the three applicants have failed to make out a case in their favour. One thing is crystal clear i.e. had these three applican s worked continuously without break for a period of 120 days they would have claimed for themselves the status of a temporary railway servant. Since such a case has not been set up it becomes evident that during the period during which they claimed to have worked, they did not work continuously without break and that they would not have come up with a case under Sec. 25 of the I.D. Act.

10. Applicant Mahesh Kumar Yadav, has deposed in the last para of his statement in cross-examination that he can not say for how many days he had worked during 1980 and 1981. This reply was given by him when it was put to him that in 1980 he had worked only for 80 days and in 1981 he had worked only for 31 days. He further goes on to depose in the last but one para of his statement in cross-examination that he does not remember how much pay he got in the first month of his employment. He has further stated that in the first month of his employment he was ceased to work for two days and in that way in every month he was ceased to work for one or two days. He was unable to say for how many days he was ceased to work during the entire period of his employment. Hence, I find that these three applicants had not worked without break during the period during which they allege to have worked in the employment of the management opposite party.

11. We have, therefore, simply to see whether each of them had worked for 240 days during the period of 12 months preceding the date of their termination. The burden of proof is definitely on them. It is for them to prove by cogent and reliable evidence that they had worked for 240 days or more during the period of 12 months preceeding the date of their termination. No documentary evidence to prove this fact has been filed by them.

12. S/Shri Ramesh Chandra Verma, Ram Lotan Rastogi and Mahesh Kumar Yadav have relied on the free passes which are said to have been issued to them. They have filed its photo state copies. The management has taken the plea that the passes were wrongly issued to them. Even if it be taken that these passes were rightly issued to them, they do not carrying their case much beyond the fact that on the days on which these passes were issued they were in the employment of the management. No inference of the sort as has been referred to in para 4 of the affidavit dated 31st January, 1986 of Shri Ramesh Chandra Verma that his passes atleast to go show that from 23rd August, 1980 to 4th September, 1981, he had been in the employment of the management as cleaner in Loco Running Shed Northern Railway, Lucknow, can be drawn. On the basis of the facts alleged by him in his affidavit all that can be said is that he had worked on 23rd August, 1980 and 15th June, 1981.

13. It was not at all difficult for the applicants to have proved the above facts by production of the casual Labour card which are issued to the casual labour wherein attendance of the casual labour is recorded on days on which they actually work.

14. On the other hand, the case set up by the management is that the working of the applicant was as per computerized list. This fact has also been stated in para 2 of its affidavit by R. B. Yadav, Asstt. Superintendent Loco Running Shed, N.R. Lucknow. In his cross-examination he has deposed that he has seen the computerized list of these three applicants showing year-wise working. During his cross-examination he also filed the true copy of the statement showing the number of days during which each of these three applicants had worked. The number of days, it appears, seems to have been work out from the paid vouchers. The statement shows that S/Shri Ramesh Chandra Verma worked only for 159 days, 20 days in the year 1979, 132 days in the year 1980 and 7 days in the year 1981; Ram Lotan Rastogi worked in all for 174 days, 134 days in the year 1980, and 40 days in the year 1981 and Mahesh Kumar Yadav worked in all for 115 days, 80 days in the year 1980 and 35 days in the year 1981. If the applicants had any doubt about the correctness of this statement, they could have, through their authorised representative, summoned the computerized list referred to in the written statement of the management and also in the affidavit of Shri R. B. Yadav, Asstt. Superintendent, Loco Shed, N.R. Lucknow.

15. Thus, I find that the above three applicants have not been able to prove that each of them had worked for 240 days or more continuously during the period of 12 months preceding the date of their termination. Their mere allegations and statements in the affidavit that they had continuously worked during the periods referred to in the claim statement cannot be relied upon in the absence of any cogent and reliable evidence.

16. The benefit of the provisions of Sec. 25-F of the Act coul'd have been availed by the applicants if they had shown that they had been in continuous service for not less than one year, which period of one year has to be calculated in the manner given in Sec. 25-B(2) of the Act, during the period of 12 months preceeding the date of termination of their services.

17. Before parting with the case it is important to note that the instant case was fixed for arguments on 28th August, 1987, and this fact was noted by Shri Hamid Quereshi, counsel for the management and Shri B. D. Tewari, representative of the workmen and they marked their initials on the order sheet on that very day. On 28th August, 1987, the case was taken up for arguments and none appeared from the side of the management. Shri Tewari, authorised representative for the management filed written arguments a day before and for the management it was ordered that if it desires it can file its written arguments by 31st August, 1987. Again on 31st August, 1987, none appeared from the side of the management to argue the case nor any written arguments were filed in the case on behalf of the opposite party hence, the award was reserved on 31st August, 1987.

18. For the reasons discussed above, I hold that since the applicants had not completed one year of continuous service within the meaning of section 25-B, they were not entitled to any notice, nor any compensation as provided for in section 25-F of the Act, hence, they are not entitled to any relief.

19. Award is made accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

[No. L-41011/34/84-D.II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1987

का. आ. 2717.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-9-1987 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 18th September, 1987

S.O. 2717.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Benares State Bank Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th September, 1987.

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 58 of 1987

In the matter of dispute

BETWEEN

The General Secretary,
All India Benaras State Bank Employees Union,
CK-27/4 Chapariagali,
Chowk Varanasi (U.P.)

AND

The Deputy General Manager,
Benaras State Bank Limited,
H.O.D. 52/1 Luxa Road,
Varanasi. (U.P.).

APPEARANCES :

Sardar Amreek Singh, counsel—for the Management.
None—for the workman.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/79/86-D.IV (A), dated 11-6-87, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of the Benaras State Bank Limited, in not transferring Shri M. L. Dwivedi, clerk Farrukhabad Branch to Kanpur as per his transfer request dt. 3-6-75 and transferring other workmen out of turn ignoring the claim of the workman, is fair and legal? If not, to what relief the workman concerned is entiled ?

2. In the instant case the reference from the Labour Ministry was received in the office of the Tribunal on 16th June, 1987, thereafter, notice to the parties was issued for filing their respective statement of claim complete with relevant documents, list of reliance and witnesses with the Tribunal within a month i.e. till 15-7-87. This notice was issued in persuance of order dt. 17-6-87. On 15-7-87 Shri A. S. Yadav, appeared from the side of the management but till then no successor of the Presiding Officer took the charge, hence, it was ordered that the case be put up on 31-7-87. Both the parties were absent on 31-7-87, hence, notice was again issued to the parties for filing their claims fixing 19-8-87 in pursuance of order dated 31-7-87. The same day at about 3.00 p.m. One Shri A. S. Yadav appeared from the side of the management and took notice of the date.

3. On 19-8-87 the case was taken up and Shri A. S. Yadav representative for the management and Shri D. S. Saxena representative for the workman put in their appearance. Shri D. S. Saxena, representative for the workman moved application for adjournment upon which time was allowed till 2-9-87 and it was specifically ordered on 19-8-87 that no further time for filing the claim statement by the workman could be allowed. On 2-9-87 Sardar Amreek Singh appeared for the management and none appeared from the side of the workman despite notice of the date.

4. From the above, it seems that the workman is not interested in prosecuting the case, hence, in the circumstances of the case, no claim award is being given.

5. Award is made accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Govt. for its publication.

Dt : 2-9-87.

ARJAN DEV, Presiding Officer

[No. L-12012/79/86-D IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1987

का. आ. 2718.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, (उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय मद्रास) में सहायक श्री आर. सुन्दर लाल को 22-9-1987 से 25-9-1987 तक उत्प्रवास संरक्षी, मद्रास के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[संख्या ए-22012/1/86-उत्प्रवास-II]

ए. वी. एस. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st September, 1987

S.O. 2718.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri R. Sundar Lal, Assistant in the Office of the Protector of Emigrants, Madras to perform all the functions of Protector of Emigrants, Madras from 22-9-1987 to 25-9-1987.

[No. A-22012(1)/86-Emig.II]

A. V. S. SARMA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987